DECEMBER 2016

Topic	Page
Polity	2-12
Geography, Environment& Ecology	13-17
Science and Technology	17-19
International Relation& International events	19-24
Editorials	24-31
National Issues	31-37
Security issues	37-38
Social issues	38-43
Economy	43-52
Governance	52-61
Miscellaneous	61-63

GENERAL STUDIES HINDI

POLITY:

1. दवा का आधार

Why in news:

दिल्ली हाईकोर्ट ने दवा कंपनियों को राहत देते हुए' फिक्स्ड डोज कॉम्बीनेशन) 'एफडीसी (दवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाली केंद्र की अधिसूचना को खारिज कर दिया है.

Background

केंद्र सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर इन दवाओं को प्रतिबंधित किया था। समिति ने पाया था कि इन दवाओं का साइड-इफेक्ट होता है और कई दवाएं तो अपने दावे के हिसाब से बीमारियों से लड़ने में सहायक भी नहीं होतीं

क्यों खारिज की गई अधिसूचना :

- दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार यह साबित नहीं कर पाई कि दस मार्च को 344 एडीसी) फिक्स डोज कांबिनेशन (दवाओं को प्रतिबंधित करने का उसका फैसला विधिसम्मत था
- न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्र सरकार ने निहायत बेतरतीब' तरीके 'से इन दवाओं को प्रतिबंधित किया है।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि सरकार ने जो निर्णय लिया, परिस्थितियों के हिसाब से वैसा करने की कोई अनिवार्यता नहीं थी।

क्या दलील थी दवा कंपनियों की :

- दवा कंपनियों की दलील थी कि सरकार ने फैसला लेते समय दवा व प्रसाधन अधिनियम की प्रक्रियाओं पर ठीक से अमल नहीं किया।
- दवा तकनीकी सलाहकार बोर्ड या औषधीय सलाहकार समिति से भी इस बारे में राय नहीं ली गई, बल्कि एक तकनीकी समिति गठित करके उसकी सिफारिश सरकार ने मान ली। ऐसा करना कानूनन ठीक नहीं था।
- किसी दवा को प्रतिबंधित करने से पहले निर्माता कंपनी को तीन महीने का नोटिस दिया जाना चाहिए था।
- जिस तकनीकी समिति की सिफारिश पर पाबंदी लागू की गई, वह एक गैर-स्वायत्त समिति थी, जिसेऐसी सलाह देने का वैध अधिकार नहीं था।
- इन दवाओं का सरकार ने न तो कोई क्लीनिकल परीक्षण कराया और न ही होने वाले नुकसान का कोई आंकड़ा दिया, बस सीधे-सीधे उन्हें 'बेकार' बता दिया।

GENERAL STUDIES HINDI

सरकार का तर्क :

- केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि दवा कंपनियां, जिन समितियों की सलाह लेने की बात कर रही हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि दवाओं का नुकसानदेह होना ही पर्याप्त था। और पाबंदी ही इसका एकमात्र जवाब था।
- ऐसी किसी भी दवा का लाइसेंस दवा एवं औषधि महानियंत्रक से लेना जरूरी होता है, न कि किसी राज्य की ड्रग लाइसेंसिंग एजेंसी से, जैसा कि तमाम कंपनियों ने कर रखा है। फिर, कानून सरकार को यह अधिकार देता है कि वह अपनी' संतुष्टि 'के आधार पर कार्रवाई कर सकती है।

Q. फिक्स्ड डोज कॉम्बीनेशन ' क्या है ? उसके क्या लाभ और हानियाँ है ? (UPSC- 2013)

2. न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका का काम: संसदीय स्थायी समिति

- सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टो में रिक्त पदों को भरे जाने में विलंब पर कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसद की स्थायी समिति ने कहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति वास्तव में कार्यपालिका का काम है।
- न्यायपालिका की भूमिका उसमें सिर्फ परामर्श तक ही सीमित है।

- समिति ने नियुक्ति व्यवस्था में न्यायपालिका को एकाधिकार देने वाले फैसलों को पलटे जाने और इसके लिए सरकार को उचित कदम उठाने की सलाह भी दी है।
- कहा है कि कई बार मुख्य न्यायाधीश बहुत कम अवधि के लिए तैनात होते हैं, ऐसे में उनका कार्यकाल भी तय किया जाना चाहिए।
- समिति ने न्यायाधीशों के खाली पड़े पदों पर चिंता जताते हुए सरकार और न्यायपालिका से जनहित में इन्हें जल्दी भरे जाने पर जोर दिया है।
- समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका के जरूरी काम में आता है और कार्यपालिका न्यायपालिका से परामर्श कर इसे अंजाम देती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका से परामर्श या न्यायपालिका की सहमति जरूरी होगी
- समिति का कहना है कि संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर सहमति की जगह परामर्श (कंकरेंस) शब्द का इस्तेमाल किया है। समिति ने सिफारिश की है कि ऐसे में संविधान के (कन्सल्टेशन) मूल भाव को बदलने वाले सुप्रीम कोर्ट के सेकेंड जजेस केस व अन्य फैसलों को पलटा जाना चाहिए और संविधान की पूर्व स्थिति कायम की जानी चाहिए। इसके लिए सरकार उचित कदम उठा सकती है।
- संविधान के 99वें संशोधन और एनजेएसी के जरिए न्यायाधीशों (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग) की नियुक्ति की नई व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों के4-1 के बहुमत से खारिज करने का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि 99वां संविधान संशोधन लोकसभा में एकमत से और राज्यसभा में भी सिर्फ एक ही असहमति थी इसलिए वहां भी लगभग एकमत से पास हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। समिति का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय न्यायाधीशों के कुल 31 मंजूर पद हैं ऐसे में संविधान संशोधन से जुड़े मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट की कम से कम 11 न्यायाधीशों की पीठ को विचार करना चाहिए। जबकि संवैधानिक व्याख्या से जुड़े मुद्दों पर कम से कम सात न्यायाधीशों की पीठ को सुनवाई करनी चाहिए।

3 पुस्तकों की फोटोकॉपी अनुमति सम्बन्धी मामले में फिलहाल रोक

क्या था मामला :

हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 16 सितंबर को इंटरनैशनल पब्लिशर्स की अर्जी खारिज कर दी थी जिसने डीयू नॉर्थ कैंपस में टेक्स्टबुक की फोटोकॉपी की बिक्री को चुनौती दी थी। इसके बाद मामला डबल बेंच के सामने आया था।

DETAIL

GENERAL STUDIES HINDI

डबल बेंच ने इस मामले में पब्लिशर्स के निवेदन को बहाल कर दिया और कहा कि इस मामले में सुनवाई की जरूरत है। याचिकाकर्ता पब्लिशर्स की मांग है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थित दुकान को टेक्स्टबुक के फोटोकॉपी बेचने से रोका जाए। कोर्ट ने कहा कि इस बात को देखना और इस पर विचार करने की जरूरत है कि क्या पूरी किताब की फोटोकॉपी की इजाजत ठीक है या नहीं? साथ ही कॉपीराइट ऐक्ट के तहत स्टूडेंट्स के लिए कोर्स पैक के मुताबिक फोटोकॉपी उचित है?

- अदालत ने कहा कि वह इस समय कोई भी अंतरिम ऑर्डर नहीं दे रहे, लेकिन फोटोकॉपी शॉप को कहा है कि वह रिकॉर्ड रखें कि स्टूडेंट्स को क्या कॉपी सप्लाई की है।
- डबल बेंच ने फोटोकॉपी की बिक्री पर रोक नहीं लगाई लेकिन सिंगल बेंच को दो मुद्दों पर पब्लिशर्स की दलील पर दोबारा सुनवाई और विचार करने को कहा है।
- डबल बेंच ने कहा कि पब्लिशर्स ने जो सवाल उठाए हैं उन पर सुनवाई की जरूरत है लेकिन उस दलील को स्वीकार नहीं किया गया, जिसमें पब्लिशर्स ने टेक्स्टबुक के फोटोकॉपी पर तुरंत रोक की मांग की थी।

4. दिव्यांग विधेयक 2016

Why in news:

दिव्यांगों से जुड़े विधेयक शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक:नि -2014 (राइट्स आफ पर्सन दि डिसएबिलिटी बिल को (आरपीडीबी -संसद ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया।दिव्यांग व्यक्ति अधिकार वाला यह विधेयक पुराने दिव्यांग अधिनियम-1995 का स्थान लेगा। इस नए कानून से दिव्यांगों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण हो सकेगा। यह विधेयक विकलांग लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुरूप है, जिस पर भारत ने 2007 में हस्ताक्षर किए थे।

Disabled people in India

2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में दो करोड़ से ज्यादा लोग किसी किसी रूप में दिव्यांग हैं।-न- नया कानून बन जाने से तकरीबन10 करोड़ लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

क्या है मुख्य प्रावधान

- इसमें दिव्यांगों से भेदभाव किए जाने पर दो साल तक की कैद और अधिकतम पांच लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है
- इस विधेयक के तहत दिव्यांगों की श्रेणियों को सात से बढ़ा कर 22 कर दिया गया है। इन 22 श्रेणियों में तेजाब हमले के पीड़ितों, पर्किंसन, हीमोफीलिया, थेलेसीमिया, आटिजम, मानसिक विकार, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल जैसी समस्याओं से पीड़ितों को भी शामिल किया गया है।
- विधेयक ने नि शक्तजन मामलों के मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्तों को भी अधिक अधिकार: दिए हैं, जो नियामक इकाई के रूप में काम करेंगे। केंद्र सरकार दिव्यांगता की नई श्रेणी सूची में जोड़ सकती है।
- दिव्यांग श्रेणी के लिए नौकरियों में चार फीसद आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

analysis

- पुराने बिल के मुकाबले संशोधित विधेयक में 40 फीसद से ज्यादा दिव्यांग लोगों को नौकरी, शिक्षा और सरकारी योजनाओं में आरक्षण मिलेगा। निजी कंपनियों की इमारतों में दिव्यांगों के आने- जाने के लिए रैंप और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
- इस विधेयक से दिव्यांगों के क्षेत्र में बदलाव की नींव पड़ी है और देश अन्य विकसित देशों की तरह बराबरी पर खड़ा हो गया है।
- इस विधेयक के कानून बनने से निजी क्षेत्र में भी विशेष तौर पर सक्षम लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण यह कि विधेयक से सरकारी क्षेत्र में 4 प्रतिशत के आरक्षण के प्रावधान से दिव्यांग समुदाय मजबूत एवं सक्षम बनेगा।
- विधेयक में कई तरह की विकलांगताओं पर विचार किया गया है जो पहले शामिल नहीं थीं

5. संसद में नियमो में बदलाव की आवश्यकता

सन्दर्भ :

संसद का हाल ही का winter session हंगामे की भेंट चढ़ गया | यह एक आम बात हो गई है जो संसद कभी 150 से 160 दिन चला करती थि वो अब घट कट 70 -80 दिन हो गई है | संसद की गरिमा बनाए रखने के लिए आवश्यक है की सेशन हंगामे की भेंट नहीं चढ़े और संसद में काम हो |

इस बार मुद्दा क्या था ?

चिर परिचित वजह रही कि विमुद्रीकरण पर बहस वोटिंग वाले नियम के तहत हो या वोटिंग के बिना। बहुत से राजनीतिक दल बहस शुरू होने के पहले ही यह बात सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि इस दौरान वोटिंग जरूर हो, क्योंकि ऐसा होने से उन्हें सरकार को शर्मिंदा करने का अवसर मिल सकता है। इसी तरह सरकार ने भी दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह वोटिंग के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार नहीं होगी। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे और शीत सत्र समाप्त हो गया।

सुधार आपेक्षित :

भारतीय संसद ब्रिटिश काल के ढांचे की तर्ज पर काम कर रही है। उसके कायदे कानून-19वीं शताब्दी के यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं। इनमें से बहुत को तो खुद यूके ने भी नकार दिया है।दूसरे लोकतंत्रों,

जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं, ने महत्वपूर्ण रूप से अपनी विधायी संरचना में सुधार किए हैं। ये सुधार हमारे लिए शिक्षाप्रद हो सकते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है उच्च सदन में किए गए सुधार।

क्या हो सकते है वो सुधार :

- **Agenda निर्धारण और Business Advisory committee** : भारतीय संसद का एजेंडा निर्धारित करने का सर्वमान्य नियम नहीं है, बल्कि यह सहमति और विवेक के आधार पर तय होता है। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव के मामले में नियम थोड़े स्पष्ट हैं, जिसके मुताबिक अगर कम से कम 50 सांसद यह प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो उन्हें यह लिखित रूप में देना होता है। बाकी तमाम तरह के एजेंडे के लिए स्पीकर के विवेक का ही सहारा लिया जाता है, जिसका सीधा मतलब होता है कि इस पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी), जो सभी दलों के वरिष्ठ नेताओं की एक समिति होती है, की आम सहमति ली जाती है। इसी परंपरा को निभाते निभाते कई दशक बीत गए और- हमारी निर्भरता आम सहमति पर बढ़ती ही चली गई और वैसे भी यदि बीएसी के सदस्यों में आपसी सहमति नहीं बनती है और इन परिस्थितियों में स्पीकर अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर कोई फैसला थोपता है तो उससे विवाद बढ़ता ही है।
- **चर्चा के नियम और अस्पष्टता :** लोकसभा में नियम 184 के तहत वोट के साथ चर्चा और नियम 193 के तहत बिना वोट के चर्चा का प्रावधान है, जबकि इन दोनों ही नियमों का इस्तेमाल किस स्थिति में किया जाए, इस बात के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं हैं और हमें घूम फिर कर यह फैसला- बीएसी की आम सहमति पर ही छोड़ना पड़ता है।
- **21st Century can not be bounded by 20th century laws:** संसद में सरकार और विपक्ष के बीच आम सहमति बनने के ऊपर कथित शायद 19वीं या 20वीं शताब्दी में कारगर था, लेकिन आज के दौर में यह एकदम अव्यावहारिक है। हमने वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को जिस वक्त अपनाया था उस वक्त कुछ और ही आलम था। तब देश की जनसंख्या काफी कम और संसद में गिनी चुनी पार्टियां थीं।-

GENERAL STUDIES HINDI

WhatsApp # 8800141518

सबसे कम उत्पादक सत्रों में शामिल

16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच चले संसद के शीतकालीन सत्र ने कई रिकॉर्ड बनाए। दुखद यह रहा कि ये सारे रिकॉर्ड लोकतंत्र के इस मंदिर की गरिमा को धूल-धूसरित करने वाले रहे। पिछले 15 साल में यह सत्र सबसे कम उत्पादक सत्रों में से एक रहा। लगातार बाधित रहने के चलते केवल दो बिल ही पारित किए जा सके। तय समय के पांचवे हिस्से से भी कम कामकाज दोनों सदनों में हो सका। पूरे सत्र के दौरान संसद के कामकाज पर पेश है एक नजर :

पारित होने के लिए तय बिल की तुलना में पारित हुए बिल

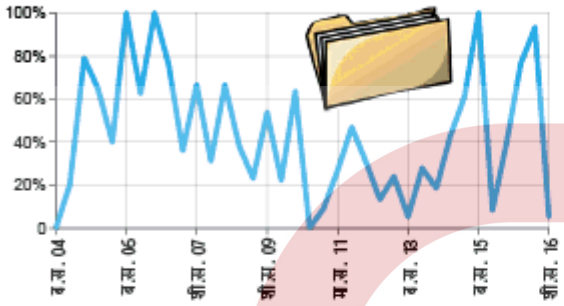

किस मसले पर कितनी बहस

ज्यादा उत्पादक समय गैर विधायी कामों में खर्च होता है।

विषय	सदन	समय	संसद
नोटबंदी	लोकसभा	1.24	18
अनुदान की पूरक मांगें	लोकसभा	00.50	9
ममता बनर्जी के विमान उतरने में देरी	लोकसभा	00.10	2
नोटबंदी	राज्यसभा	6.29	15
ममता बनर्जी के विमान उतरने में देरी	राज्यसभा	00.25	11

कितने स्थगन प्रस्ताव

स्थगन प्रस्ताव संसद में उठाने जाने वाले ऐसे वोटिंग प्रस्ताव होते हैं जिसके तहत सरकार की किसी नीति से नाखुशी पर सांसद किसी सदन के कामकाज को स्थगन करने की मांग कर सकते हैं। विपक्ष द्वारा इस बार भी नोटबंदी पर स्थगन प्रस्ताव का अनुरोध किया गया लेकिन लोकसभाध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी। 16वीं लोकसभा में अब तक सिर्फ एक बार ऐसा प्रस्ताव आया है।

एक से लेकर 16वीं लोकसभा तक

*लोकसभा का कार्यकाल नहीं पूरा हुआ

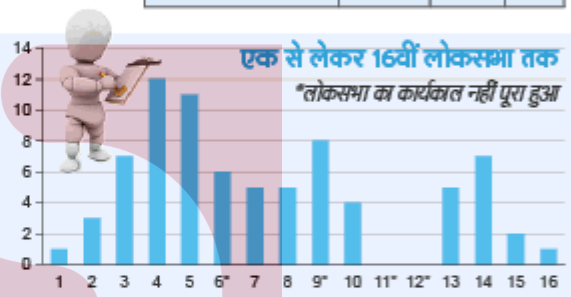

सबसे अनुत्पादक प्रश्नकाल

राज्यसभा में सूचीबद्ध 330 सवालों में से महज दो का मौखिक जवाब दिया गया। पिछली तीन संसद में राज्यसभा में इस सत्र का प्रश्नकाल निम्न कामकाज वाले सत्रों में एक रहा।

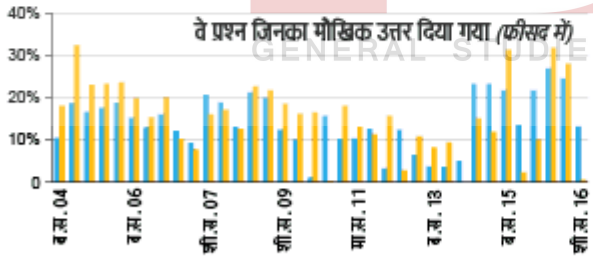

19 सत्र की शुरुआत में चर्चा और पास कराने के लिए सूचीबद्ध किए गए कुल बिल

0 बिल पास हुए

9 पेश करने के लिए सूचीबद्ध बिल

3 पेश किए गए बिल

2 सत्र में पारित बिल

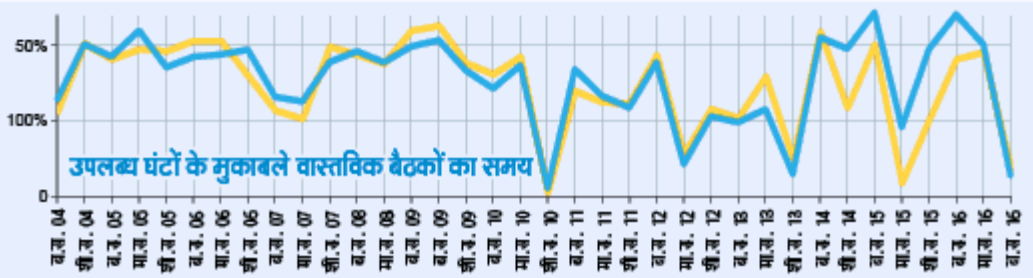

92% 16वीं लोकसभा में लोकसभा का औसत प्रदर्शन **71%** 16वीं लोकसभा में राज्यसभा का औसत कामकाज

ब. स. – बजट सत्र; मा. स. – मानसून सत्र; शी. स. – शीत सत्र

लोकसभा राज्यसभा

http://gshindi.com

- **सख्त और सिस्टम की जरुरत जैसे UK में** : आज भी यूके के हाउस ऑफ कॉमंस में हमारी लोकसभा जहां)36 पार्टियां हैं के (मुकाबले काफी कम पार्टियां हैं, लेकिन उनके यहां और हमारे यहां संसद में पार्टियों की तादाद कितनी है, इससे बड़ा तथ्य यह है कि आधुनिक लोकतंत्र में नियम काफी सख्त और सिस्टम पर आधारित हैं जिसमें सहमति या विवेक पर आधारित निर्णय की गुंजाइश बहुत कम बचती है। ये नियम हर तरह की चर्चा को, चाहे वह वोटिंग के आधार पर हो या नॉन वोटिंग के आधार पर, एक धरातल पर लाने में कामयाब होते हैं। आज के दौर में हमारी संसद को भी इसी तरह के नियम बनाने चाहिए।
    - सबसे पहले वोटिंग और नॉन वोटिंग चर्चा के लिए दो गैरविवेकाधीन नियम पेश किए जाने चाहिए। अगर 50 सांसदों के हस्ताक्षर हों तो नॉन वोटिंग चर्चा हो और अगर 100 के हस्ताक्षर हों तो वोटिंग वाले नियम के तहत चर्चा होनी चाहिए।
    - इस तरह का नियम बनाने से हम आम सहमति जैसे अव्यावहारिक फामरूले पर भरोसा करने के बजाय स्पष्ट तौर पर एजेंडा निर्धारित कर सकते हैं।
    - अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए हस्ताक्षर करने वाले सांसदों की संख्या 50 से बढ़ाकर 150 कर देनी चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण प्रस्ताव नहीं होता और इसे पारित करने के लिए लोकसभा के 543 सदस्यों में से 272 की सहमति प्राप्त होनी चाहिए।
    - ये नियम बहुत से जरूरी मुद्दों पर चर्चा को एक अन्य स्तर की ऊंचाई पर ले जाने की क्षमता रखते हैं।
- संसद के हर सत्र में कुछ दिन विपक्ष की पसंद के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। यह नियम हाल में ब्रिटेन ने भी अपनाया है। सभी विपक्षी सांसदों के एक समूह को ऐसे दिनों के चुनाव के लिए एजेंडा निर्धारित करना चाहिए। ताकि विपक्ष की आवाज को भी सूना जा सके
- संसद में हंगामा करने वाले सांसदों को अनुशासित करने या उन पर कार्रवाई के लिए नियम स्पीकर के विवेक के बजाय लिखित में होने चाहिए, क्योकि स्पीकर के पास हंगामा करने वाले सांसदों को संसद से बाहर निकालने का विशेषाधिकार प्राप्त होने और अच्छे व्यवहार को लेकर बहुत से सर्वदलीय प्रस्ताव होने के बाद भी जब स्पीकर सचमुच इसका इस्तेमाल करते हैं तब उन्हें सांसदों की आलोचना का शिकार होना पड़ता है।
- साधारण और स्पष्ट नियम बनाने से बात बन सकती है, जिसके मुताबिक यदि सांसद एक बार हंगामा करे तो एक दिन के लिए तथा दूसरी बार हंगामा करने पर पूरे सत्र से स्वत ही बाहर कर : दिया जाए। इससे संसद की गरिमा लंबे समय तक बनी रहेगी। यह नियम तो पहले से ही कई राज्य विधानसभाओं में अवरोधों को हल करने के तरीके के रूप में रखा जा चुका है और कुछ पीठासीन अधिकारियों ने इसका पक्ष भी लिया है। इस नियम को लागू करने से अध्यक्ष शर्मिंदगी से भी बच जाएंगे और अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल दूसरे मुद्दों को हल करने में कर पाएंगे।

GENERAL STUDIES HINDI

conclusion

बिना इन परिवर्तनों को लाए हुए विपक्षी दलों से केवल उम्मीद ही की जा सकती है कि वे आने वाले समय में अगर कानूनन अपना पक्ष रखने में कामयाब न हुए तो हंगामा नहीं करेंगे और ऐसे में स्वाभाविक है कि जिस पार्टी की सरकार है वह नियमित तौर पर बीएसी में किसी भी चुनौतीपूर्ण मुद्दे पर आम सहमति की प्रक्रिया से इंकार करेगी और कम विवादस्पद मुद्दों को ही उठाएगी। जब तक हम इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर लेते कि पुराने पड़ चुके आम सहमति पर आधारित नियमों को बदलने की जरूरत है तब तक हम इसी हंगामे के चक्र में गोल बार संसद-गोल घूमते रहेंगे और बार-बाधित होती रहेगी

6. संविधान के दायरे से परे नहीं है जम्मूकश्मीर-: SC

क्या था मामला :

फैसला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक की अपील पर आया है।- हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य को अपने स्थायी निवासियों की अचल संपत्तियों के अधिकारों के संबंध में कानून बनाने का है। संसद में बनाया गया कानून अगर 'पूर्ण संप्रभु अधिकार' राज्य विधानसभा में बनाए गए कानून को प्रभावित करता है, तो उसे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया- जा सकता। जबकि, 'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनांशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंट्रेस्ट एक्ट-2002' (एसएआरएफएईएसआइ कश्मीर के-जम्मू (-ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट1920 को प्रभावित करता है। एसएआरएफएईएसआइ के तहत बैंकों को अदालती प्रक्रिया के बाहर रहकर अपने सुरक्षा हितों के लिए कर्जदार की गिरवी रखी गई संपत्तियों पर कब्जा कर उसे बेचने का अधिकार हासिल है

क्या कहा था HC ने

जम्मूकश्मीर हाई कोर्ट ने कहा था-, 'संसद के पास कानून बनाने की पात्रता नहीं है..., अगर ये राज्य से जुड़े हों।' जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा था कि कश्मीर संप्रभु राज्य है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि भारतीय संविधान के बाहर जम्मूकश्मीर को कोई भी शक्ति नहीं दी जा सकती है।-

SC का तर्क :

सुप्रीम ने कहा,

- 'हाई कोर्ट के फैसले की शुरुआत ही गलत छोर से हुई और इसका निष्कर्ष भी गलत ही निकला। यह कहता है कि जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा-5 के मुताबिक राज्य को उसके स्थायी निवासियों की अचल संपत्ति के अधिकारों के बारे में कानून बनाने का पूर्ण संप्रभु अधिकार है।
- जम्मू 'कश्मीर के स्थायी निवासी भारत के नागरिक हैं और यहां दोहरी नागरिकता नहीं है-
- एसएआरएफएईएसआइ के प्रावधान संसद की विधायी क्षमता के दायरे में हैं और उन्हें जम्मू-कश्मीर में लागू किया जा सकता है।
- देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि राज्य के निवासियों के बारे में उनकी संप्रभुता की अलग और विशिष्ट वर्ग का होने जैसी व्याख्या पूरी तरह गलत है।
- सुप्रीम ने कहा, 'यह दोहराना बेहद जरूरी है कि जम्मूकश्मीर के संविधान की धार-ा-3 यह घोषणा करती है कि जम्मू।'कश्मीर राज्य भारतीय संघ का अभिन्न भाग है और रहेगा-
- भारत की सबसे बड़ी अदालत ने यह भी कहा कि वह इस तरह से विचार रखने के लिए इसलिए मजबूर हुई है क्योंकि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में संप्रभुता का जिक्र इस तरह से किया है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है।
- अदालत की बेंच ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारतीय संविधान और जम्मू कश्मीर के- संविधान में कोई टकराव नहीं है।
- कोर्ट ने कहा, 'भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 और जम्मू कश्मीर के संविधान का सेक्शन-3 से यह साफ होता है कि भारत राज्यों का संघ है। वहीं जम्मू कश्मीर राज्य भारतीय संघ का अभिन्न- हिस्सा है।'

GENERAL STUDIES HINDI

7. मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी बिल को कैबिनेट की मंजूरी

क्यों खबरों में

सरकार ने मेंजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल, 2016 को मंजूरी दे दी। सरकार ने फैसले लेने में पोर्ट्स को पूरी ऑटोनॉमी देने के लिए इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जिससे वे पूरी क्षमता और पेशेवर तरीके से काम कर सकें। यह बिल मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट, 1963 की जगह लेगा।

Detail

- इस बिल के पारित होने से बड़े पोर्ट्स ज्यादा क्षमता से काम कर सकेंगे और उन्हें फैसले लेने के लिए पूरी ऑटोनॉमी दी जाएगी।
- साथ ही बड़े पोर्ट्स के लिए अपने इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण करना आसान हो जाएगा।

- यह बिल पुराने मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट, 1963 की तुलना में ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें अप्रचलित सेक्शंस को खत्म करके इनकी संख्या 134 से घटाकर 65 कर दी गई है।
- इसके लागू होने के बाद इसमें ज्यादा स्पष्टता आएगी।

8. राजनीतिक दलों के दो हज़ार रुपये से अधिक के गुप्त चंदे पर भी रोक लगनी चाहिए : चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने चुनावों में कालेधन पर रोक लगाने के मकसद से सरकार से कानूनों में संशोधन का आग्रह किया है ताकि राजनीतिक दलों को दो हज़ार रुपये और उसके ऊपर दिए जाने वाले गुप्त दान पर रोक लगाई जा सके.

- राजनीतिक दलों द्वारा गुप्त चंदा प्राप्त करने पर कोई संवैधानिक या वैधानिक रोक नहीं है. हालांकि, जनप्रतिनिधि कानून-1951 की धारा 29-सी के तहत चंदों की घोषणा जरुरी होने के तहत गुप्त चंदों पर अप्रत्यक्ष आंशिक रोक जरुर है, किन्तु इस प्रकार की घोषणा 20 हज़ार रुपये से अधिक के योगदान पर ही की जानी चाहिए
- आयोग की ओर से सरकार को भेजे गए प्रस्तावित चुनावी सुधारों के तहत दो हजार रुपये के बराबर या उससे ऊपर का गुप्त चंदे पर रोक होनी चाहिए. प्रस्तावित संशोधन चुनाव सुधार पर उसकी सिफारिशों का हिस्सा है.
- नोटबंदी और कराधान संशोधन अधिनियम-2016 के बाद राजनीतिक दलों को कोई छूट या विशेषाधिकार प्रदान नहीं किया गया है
- आयोग ने यह भी प्रस्तावित किया है कि आयकर छूट ऐसी ही पार्टियों को दी जानी चाहिए जो चुनाव लड़ती हैं और लोकसभा या विधानसभा चुनाव में सीटें जीतती हैं.
- आयकर कानून, 1961 की धारा 13-ए राजनीतिक दलों को मकान सम्पत्ति से आय, स्वैच्छिक योगदान से होने वाली आय, पूंजी लाभ से आय और अन्य स्रोतों से आय पर छूट प्रदान करती है. भारत में राजनीतिक पार्टियों की केवल वेतन मद में होने वाली आय और व्यापार या पेशे से होने वाली आय कर के दायरे में आती है.
- चुनाव आयोग ने कहा कि यदि सरकारी खजाने की कीमत पर सभी राजनीतिक दलों को सुविधा प्रदान की जाती है तो ऐसे मामले हो सकते हैं जिसमें राजनीतिक पार्टियों का गठन आयकर छूट के प्रावधानों का लाभ उठाने के लिए ही किया जाए
- कालेधन पर लगाम के तहत की गई अन्य सिफारिशों में चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि राजनीतिक दलों को उच्चतम न्यायालय के 1996 के एक आदेश के तहत सभी धनराशि के कूपन के बदले चंदा देने वालों की जानकारी दर्ज कराना जरुरी बनाया जाए.

कूपन चंदा लेने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा इजात किए गए तरीकों में से एक है जिसके जरिए वे चंदे लेते हैं. इसलिए वे इनका मुद्रण स्वयं करते हैं. इसकी कोई सीमा नहीं कि कितने कूपनों का मुद्रण किया जा सकता है.

9. धार्मिक कार्यों से जुड़ी इकाई की भूमि ली जा सकती है सार्वजनिक कार्यों के लिए :UP HC

क्यों खबरों में

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी धार्मिक इकाई से जुड़ी भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है।

समबन्धित case

अदालत ने यह व्यवस्था एक चर्च और एक सड़क निर्माण से संबंधित मामले में दी। उच्च न्यायालय ने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से कहा कि वे छह लेन की सड़क के निर्माण के लिए एक चर्च को गिराने या स्थानांतरित करने के तौर तरीकों पर काम करें।

क्या कहा अदालत ने

- उच्च न्यायालय ने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से कहा कि वे छह लेन की सड़क के निर्माण के लिए एक चर्च को गिराने या स्थानांतरित करने के तौर तरीकों पर काम करें ।
- जब राष्ट्रीय राजमार्ग कानून 1956 के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संबंधित भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है तो याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती।

10. आदेशों की अवमानना से परेशान न्यायपालिका

- न्यायपालिका राज्य का वह अंग है जिसके पास अपने आदेशों के अनुपालन के लिए कोई एजेंसी नहीं होती है।
- उसे अपने आदेशों को लागू कराने के लिए कार्यपालिका या विधायिका की मदद लेनी पड़ती है।

इतिहास के पन्नो से

उच्चतम न्यायालय के आदेशों की खुलेआम आलोचना करने वाले दो मुख्यमंत्रियों ने बाद में उससे माफी भी मांगी। कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री एस एम कृष्णा ने वर्ष 2008 में कावेरी नदी जल विवाद पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया था जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने वर्ष 1994 में अयोध्या के विवादित ढांचा प्रकरण में आदेशों की अवहेलना की थी

हालही में पुनरावृत होती

न्यायपालिका के सामने एक बार फिर ऐसे हालात पैदा हुए हैं जब उसके आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। कावेरी पर पैदा हुए नए संकट के अलावा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में (बीसीसीआई) पारदर्शिता लाने के लिए गठित लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने में भी कोताही बरती जा रही है।

- इसी में बिहार में हाल ही में पहले पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के शराबबंदी कानून को खारिज कर दिया था लेकिन दो दिन बाद ही राज्य सरकार नया कानून लेकर आ गई। बिहार की नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून में असुविधाजनक फैसलों को परे रखने का रास्ता अख्तियार किया है।
- इसके पहले कर्नाटक सरकार ने भी कावेरी विवाद पर एक ऐसा कानून पारित करा दिया जो इस मुद्दे पर किसी भी अदालती आदेश को निरस्त करने का आदेश देता है। केरल सरकार ने भी तमिलनाडु के साथ मुल्लैपेरियार बांध को लेकर जारी विवाद से बच निकलने के लिए कानून बनाया था।

GENERAL STUDIES HINDI

उच्चतम न्यायालय की नाराजगी

उच्चतम न्यायालय ने अदालती आदेशों से बच निकलने के लिए इस तरह के तरीकों पर बार बार अपनी-नाराजगी जताई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक का कानून निरस्त करते हुए कहा था कि'किसी समझौते से पीछे हटने के लिए विधायी प्रक्रिया का सहारा लेना अनुचित है। विवाद पर फैसले की शक्ति को छीन लेना इस कानून का मकसद था जो एक तरह से विधायिका का न्यायिक शक्तियां हासिल करने का प्रयास माना जाएगा।

क्या क्या तरीके

- न्यायिक आदेशों से बचने के लिए एक और तरकीब है आदेश में सुधार के लिए अर्जी दाखिल करना। आदेश में सुधार की मांग करना एक तरह से आदेश की समीक्षा की ही मांग है। दिल्ली में पुरानी डीजल कारों पर रोक के मामले में कार लॉबी ने इसी तरीके का सहारा लिया था।

- अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो पुनर्विचार याचिका का संवैधानिक विकल्प आजमाया जाता है और आखिर में सुधार याचिका का विकल्प तो खुला ही रहता है।
- वैसे इन सभी तिकड़मों की सफलता दर कम है लेकिन संबंधित पक्ष अपने लोगों को संतुष्ट करने अथवा विपक्षियों के साथ मोलभाव के मकसद से मामले को लटकाने के लिए इनका इस्तेमाल करते रहे हैं।उच्चतम न्यायालय ने अपने कई फैसलों में बार-बार समीक्षा के अनुरोधों की आलोचना की है।
- अगर इन तरीकों से बात नहीं बनती है तो संवैधानिक मामलों से जुड़ा मुद्दा होने का हवाला दिया जाता है ताकि मामला बड़े खंडपीठ को सौंपा जा सके। फिर कई वर्षों तक उस पीठ का गठन नहीं हो पाता है जिससे मामला लटका रहता है।

परिष्कृत तरीके

अदालती आदेशों को निष्क्रिय करने के लिए कई परिष्कृत तरीके भी आजमाये जाते हैं।

- सरकारें अदालतों के आदेशों के क्रियान्वयन के बारे में छल-कपट से भरी जानकारी दे सकती हैं। उपेंद्र बख्शी बनाम उत्तर प्रदेश वाद पर 1981 में आया फैसला अब भी उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें महिलाओं के पुनर्वास केंद्रों की कार्यप्रणाली को दुरुस्त करने की मांग की गई है।
- इसी तरह से वाराणसी में शिया और सुन्नी समुदाय के बीच 136 साल से जारी कब्रिस्तान विवाद के समाधान के लिए अदालत ने 33 साल पहले कब्रों को दूसरी जगह ले जाने का आदेश दिया था।
- देश में पुलिस सुधारों की दिशा में ऐतिहासिक प्रकाश सिंह मामले में फैसला वर्ष 2006 में आ गया था लेकिन अब तक न तो केंद्र और न ही राज्य उसे लागू नहीं कर पाए हैं। बीच बीच में-चर्चा उठती भी है तो राज्यों में सरकारें बदल चुकी होती हैं और सरकार के पास सचिवों के तबादले जैसे तमाम बहाने होते हैं।

क्या चाहिए

इसके लिए चाहिए की तीनो अंगो में सामंजस्य हो | अगर राज्य के ये तीनों अंग आपस में ही भिड़े हों तो संवैधानिक स्थिति बेढंगी बन सकती है। जब सरकार के इन तीनों अंगों के बीच सौजन्य और सामंजस्य होता है तो आम तौर पर संकट के गंभीर रूप अख्तियार करने के पहले ही उनका समाधान निकाल लिया जाता है।

स्थगन आदेश देने में अदालतों को अधिक विवेक का परिचय देना चाहिए। आखिर न्याय मिलने में देरी भी तो सुचारु न्याय प्रणाली पर सवालिया निशान लगाती है।

GENERAL STUDIES HINDI

11. पारदर्शी लोकतंत्र के लिए चुनाव आयोग की पहल

- चुनाव आयोग चाहता है कि राजनीति में धन बल के बढ़ते दुरुपयोग पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने के लिये जनप्रतिनिधित्व कानून और आयकर कानून के चुनिन्दा प्रावधानों में संशोधन किया जाये। आयोग ने इस दिशा में पहल करते हुए कम से कम 255 ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दलों को पंजीकृत दलों की सूची से बाहर कर दिया है, जिन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है।

- इन दलों के बारे में संदेह है कि उनका इस्तेमाल काला धन खपाने के लिये हो रहा है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से काला धन बाहर करने तथा राजनीतिक दलों को 20 हजार रुपए तक का चंदा देने वालों के नामों की गोपनीयता खत्म करने तथा व्यक्तिगत चंदे की राशि घटाकर दो हजार रुपए तक करने जैसे निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव पर विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तर के दलों का रुख अभी साफ नहीं है।

क्या है चुनाव आयोग की सिफारिशें :-

- आयोग ने केन्द्र सरकार से कहा है कि राजनीतिक दलों को दो हजार या इससे अधिक राशि के बेनामी चंदे पर रोक लगाने के लिये कानून में बदलाव किया जाये। आयोग तो यह भी चाहता है कि आयकर की छूट लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने वाले और चुनाव में सीटें जीतने वाले राजनीतिक दलों को ही मिलनी चाहिए।
- आयोग का मानना है कि यदि काले धन को निष्प्रभावी बनाने के लिये एक हजार और पांच सौ रुपए की मुद्रा को चलन से बाहर करने के फैसले से करोड़ों देशवासी अनेक परेशानियों का सामना कर सकते हैं तो फिर राजनीतिक दलों को भी खुद को काले धन से मुक्ति दिलाने की दिशा में पहल करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। आयोग ने इन प्रस्तावों को केन्द्र सरकार के पास भेजे प्रस्ताव में शामिल किया है। बेनामी चंदे के बारे में आयोग के प्रस्ताव से स्पष्ट है कि वह उन दलों को आयकर से छूट का लाभ देने के पक्ष में नहीं है, जिनका गठन आयकर बचाने के इरादे से ही किया गया हो।

विस्तार से :-

- निर्वाचन आयोग के मुताबिक इस समय देश में 1900 से अधिक पंजीकृत राजनीतिक दल हैं और इनमें से चार सौ से अधिक दलों ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। बहुत संभव है कि काले धन को खपाने के लिये इन दलों का इस्तेमाल होता हो। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए आयोग ने ऐसे दलों की छंटनी का अभियान शुरू किया और उसने इस संबंध में राज्यों के मुख्य चुनाव आयुक्तों से रिपोर्ट भी तलब की है
- इसके अलावा, आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक साथ दो सीटों से चुनाव लड़ने की व्यवस्था को हतोत्साहित करने के इरादे से जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा में संशोधन का सुझाव दिया है।
- आयोग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 2004 में सरकार के पास कानून में संशोधन का प्रस्ताव भेजा था। आयोग का मत था कि यदि कानून में संशोधन संभव नहीं हो तो नियमों में प्रावधान किया जाये कि दो सीटों से चुनाव लड़ने और जीतने के बाद एक सीट छोड़ने वाले उम्मीदवार को ऐसी सीट पर होने वाले उपचुनाव पर होने वाले खर्च के संबंध में उचित धनराशि सरकारी खजाने में जमा करानी चाहिए। लोकसभा सीट के लिये यह धनराशि दस लाख रुपए और विधानसभा की सीट के लिये पांच लाख रुपए निर्धारित की जा सकती थी
- न्यायमूर्ति ए. पी. शाह की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने चुनाव सुधारों को लेकर मार्च 2015 में सरकार को अपनी 255वीं रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें उम्मीदवारों के दो स्थानों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने और राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे और इसका विवरण देने की अनिवार्यता के बारे में भी महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे। यह रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है।

सरकार के रुख को देखकर ऐसा लगता है कि 30 दिसंबर के बाद इस तरह के पंजीकृत दल जांच के दायरे में आ सकते हैं, जिन्होंने हाल के सालों में कोई चुनाव ही नहीं लड़ा है।

Geography, Environment& Ecology

1. बाघों की मृत्यु दर और उनके अस्तित्व पर बढ़ता खतरा

देश में बाघों की संख्या एक बार फिर खतरनाक तेजी से कम होने लगी है। नैशनल टाइगर कंजरवेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनटीसीए) के आंकड़ों के अनुसार इस साल देश भर में अभी तक 78 बाघ मर चुके हैं। यह संख्या पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा है।

- अपने देश के लिए यह चिंता की बात इसलिए भी है कि कम से कम बाघों के मामले में दुनिया की उम्मीद भरी नजरें हम पर ही टिकी हुई हैं। बाघों की करीब 70 फीसदी आबादी भारत में रहती है और मध्य प्रदेश इस मामले में सबसे आगे माना जाता रहा है।
- समस्या यह है कि इसी राज्य में बाघों के रख-रखाव में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। 2010 में टाइगर स्टेट, यानी सबसे ज्यादा बाघों वाले राज्य का तमगा मध्य प्रदेश से हट कर कर्नाटक के पास जा चुका था, इस बार बाघों की सबसे ज्यादा मौतें भी मध्य प्रदेश में ही दर्ज की गई हैं।
- 78 में से 26, यानी एक तिहाई बाघ इसी राज्य में मरे हैं। नौकरशाही से जुड़े सूत्र इसके कुछ ऐसे कारण गिनाते हैं, जिनसे उनके इंतजामों पर कोई सवाल न उठे। ताजा मामले में उनका कहना है कि चूंकि प्रदेश में बाघों की संख्या ही ज्यादा हो गई है, इसलिए आबादी का घनत्व उन्हें सुरक्षित क्षेत्रों को पार कर अन्य क्षेत्रों में जाने को मजबूर करता है।

- वहां उनका टकराव इंसानी आबादी से होता है, नतीजन वे मारे जाते हैं। मगर बात इतनी सीधी नहीं है। कम से कम तीन ऐसे मामले हैं जिनमें तांत्रिकों की संलग्नता आधिकारिक तौर पर स्वीकार की गई है।
- कुछ आदिवासी समुदायों में यह मान्यता बनी हुई है कि तांत्रिक क्रियाओं में बाघ के पंजों और नाखूनों का इस्तेमाल जरूरी है। इसके अलावा कई मौतें दुर्घटना और आपसी लड़ाई के भी कारण हुई हैं। फिर भी असली खलनायक आज भी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बाघों के अंगों तथा खालों की बढ़ी हुई मांग और इनकी स्वाभाविक रिहाइश माने जाने वाले क्षेत्रों का लगातार सिकुड़ते जाना ही है। इस ओर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो बाघ बचाने के हमारे तमाम प्रयासों पर पानी फिर जाएगा।

2. सारी दुनिया के लिए समस्या बना कूड़ा स्वीडन के लिए इतना कीमती क्यों हो गया है?

सन्दर्भ:- कचड़ा प्रबंधन और बायो ऊर्जा के रूप में मीथेन का प्रयोग। (स्वीडन को इन दिनों दूसरे देशों से कूड़ा आयात करना पड़ रहा है)

GENERAL STUDIES HINDI

एक तरफ भारत है जहां कूड़े को निपटाना एक बड़ी समस्या बना हुआ है तो दूसरी तरफ दुनिया में एक देश ऐसा भी है जो कूड़े के लिए तरस रहा है. खबर आई है कि यूरोप के उत्तरी कोने में स्थित स्वीडन को इन दिनों बाकी देशों से कूड़ा मंगाना पड़ रहा है.

स्वीडन के सामने यह नौबत क्यों आ: . यह दुनिया के उन शुरुआती देशों में से है जिन्होंने तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों पर भारी टैक्स लगा दिया था ताकि लोग इनका इस्तेमाल कम करें. वहां यह काम 1991 में ही हो गया था.

- इसके साथ ही स्वीडन ने एक विकल्प भी खड़ा किया. उसने कूड़े को छांटकर उसके फिर से इस्तेमाल की एक ऐसी सुंदर व्यवस्था बना ली कि अब वहां बेकार से बेकार चीज भी बेकार नहीं होती. बोतलें और कैन जैसी चीजें फिर से इस्तेमाल कर ली जाती हैं और बाकी कूड़े को सड़ाकर उससे ऊर्जा पैदा की जाती है.
- स्वीडन आज अपनी ऊर्जा की कुल जरूरत का करीब आधा हिस्सा कूड़े से चलने वाले संयंत्रों से पैदा कर रहा है. इन्हीं संयंत्रों के लिए अब देश में पैदा होने वाला कूड़ा कम पड़ने लगा है इसलिए उसे बाहर से मंगाना पड़ रहा है.

- स्वीडन कूड़े से ऊर्जा उत्पादन के काम में भी बाकी देशों से आगे है. वहां कूड़े से प्राप्त मीथेन गैस को जलाकर बिजली भी बनाई जाती है और इस प्रक्रिया से पैदा हुई गरमी को भी बेकार नहीं जाने दिया जाता
- स्वीडन के लोग पर्यावरण को लेकर खासे जागरूक हैं. इसके लिए लंबे समय तक अभियान चलाया. धीरे-धीरे लोग सीख गए कि बेकार चीजों को इधर-उधर नहीं फेंकना है. आम लोगों के सहयोग के साथ कूड़े के निस्तारण की उन्नत व्यवस्था विकसित हो गई.

ऐसा नहीं है कि कूड़े से ऊर्जा उत्पादन का काम बाकी देशों में नहीं होता. लेकिन स्वीडन इसमें औरों से एक हाथ आगे है. वहां कूड़े से प्राप्त मीथेन गैस को जलाकर बिजली भी बनाई जाती है और इस प्रक्रिया से पैदा हुई गरमी को भी बेकार नहीं जाने दिया जाता.

यह ऊष्मा एक नेशनल हीटिंग नेटवर्क में चली जाती है जो बेहद ठंडी जलवायु वाले इस देश के घरों को गर्म रखने में इस्तेमाल होती है. जैसा कि ग्रिपवाल कहती हैं, 'यूरोप के दक्षिण हिस्से के देशों में कूड़े से पैदा होने वाली इस ऊष्मा का इस्तेमाल नहीं होता. यह चिमनी से बाहर निकल जाती है.' उनका मानना है कि बाकी देशों को भी कूड़े से ऊर्जा पैदा करने वाले ऐसे संयंत्र ज्यादा से ज्यादा संख्या में बनाने चाहिए. कूड़े के प्रबंधन की इस व्यवस्था को स्वीडन अब और आगे ले जाने की तैयारी कर रहा है. उसकी योजना है कि भविष्य में घरों से कूड़ा उठाने और उसे ऊर्जा संयंत्रों तक ले जाने का पूरा काम ऑटोमेटिक हो जाए. इस योजना के तहत वहां अंडरग्राउंड कंटनेर सिस्टम बनाने की तैयारी भी हो रही है ताकि भविष्य में लोगों को सड़कों पर कूड़ा ले जाने वाले ट्रकों से उठती दुर्गंध न झेलनी पड़े. विकराल कूड़े की समस्या से जूझते भारत जैसे देश छोटे से स्वीडन से बड़ा सबक ले सकते हैं.

3**. <u>खाद्य प्रबंधन की बदइंतजामी और व्यर्थ जाते फल और सब्जिया</u>**

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक अध्ययन रिपोर्ट (आइसीएआर) के अनुसार खाद्य प्रबंधन की बदइंतजामी के चलते खेत से खलिहान और यहां से उपभोक्ताओं तक पहुंचने के पहले ही लगभग एक लाख करोड़ रुपये मूल्य के फल, सब्जियां और अन्य खाद्य वस्तुएं हर साल सड़कर नष्ट हो जाती हैं

Detail

- खाद्य वस्तुओं के रखरखाव के लिए देश में कोल्ड स्टोर की संख्या जरूरत से बहुत कम होने की वजह से यह दिक्कत पेश आ रही है।
- खेतों से कटाई के बाद कृषि उपजों के खराब होने की दिक्कतें बहुत अधिक हैं। दरअसल, इस बाबत कृषि और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रलय के सहयोग से कोल्ड चेन बनाने की योजना को मंजूरी मिली है, लेकिन व्यापक परियोजना नहीं बन पाने के कारण पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है।
- किसान के खेत से उपज को सीधे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इकाइयों तक पहुंचाना और उसके बने उत्पादों को बाजार तक ले जाने की समग्र व्यवस्था का अभाव है।
- देशभर में इस समय कुल 5367 कोल्ड स्टोर हैं जो जरूरत को पूरा करने में नाकाफी साबित हो रहे हैं।

4. चक्रवातो से तटो पर बस शहरों के बचाव के उपाय :

उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अपनी उग्रता और नुकसान के लिए जाने जाते है परन्तु हाल ही में जलवायु परिवर्तन से वो और खतरनाक हो गए है जहाँ चक्रवात की आवृत्ति की अपेक्षा उसकी तीव्रता बढी है जिससे उनके नुकसान पहुचाने की क्षमता में वृदि हुई है और यह सीधे तौर पर तटों पर बसे भारतीय शहरों को अधिक नुकसान पहुंचाता सकता है । चक्रवात को रोक नहीं सकते, लेकिन इसके प्रभाव से बचने के लिए कुछ कदम उठाया जा सकता है जिससे जान-माल का हानि कम हो, जो निम्न है:-

(1) शहरों के तटों पर मैंगरुव का वृक्ष लगाए जाएँ जिससे कि चक्रवात की तीव्रता को कम किया जा सके। क्योंकि ये उसकी हवा की गति को कुछ कम करने में कामयाब होंगे और उससे जो storm surge होगा उसको भी रोकने में मदद करेंगे जिससे इससे होने वाली बाढ़ को कम किया जा सके |
(2) तटों पर दीवार बनाएं जाए जो चक्रवात के लैंडफाल की तीव्रता को भी कम किया जा सके।
(3) इसके लिए हम जैसे बाढ़ क्षेत्रो में flood plan zoning (FPZ) का तरिका अपनाते है एसे ही coastal zoning भी करे |
(4) जलनिकासी का वयवस्था हो ताकि चक्रवात का पानी आसानी से निकल जाए ।
(5) चक्रवात के समय संचार वयवस्था ठप हो जाता है जिससे लोगों बचाने में समस्या होती है। इसके लिए IIT मद्रास ने जो नई तकनीक विकासित की है वो कारगर सिद्ध हो सकती है ताकि हर-पल आपदा के समय संचार प्रणाली बनी रहे और जान माल में होने वाले नुकसान को बचाया जा सके ।
(6) जनता तथा प्रशासन के समन्वय से नुकसान को कम किया जा सकता है ।
(7) सोलर पैनल के उपयोग से चक्रवात के समय बिजली की को कम किया जा सकता है ।
(8) सोशल मीडिया का प्रयोग करके लोगों को होनेवाले हानि को रोका जा सकता है।
(9) तटीय शहरों का निर्माण एक सुनियोजित तरीके से किया जाए ताकि मकानों का हानि कम हो। इसके लिए cyclone proof घर के idea को promote कर सकते है

5.खाद्य सुरक्षा और सिंकुचित होती जैव विविधता

प्राकृतिक जैव विविधता पर धीरे-धीरे ग्रहण लगता जा रहा है।

- सदियों पहले 7,000 से अधिक वनस्पति प्रजातियां उगाई जाती थीं।
- अब 150 से अधिक नहीं बची हैं। वर्तमान में इन्हें उगाया जाता है और कुछ हद तक इनका व्यवसाय भी होता है।
- गंभीर स्थिति का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि विश्व में कुल खाद्यान्न उत्पादन में करीब 90 प्रतिशत योगदान इनमें से दो-तिहाई प्रजातियां उपलब्ध कराती हैं
- । इनमें भी तीन प्रमुख प्रजातियां-धान, गेहूं और मक्का -ऐसी हैं जो प्रमुख रुप से दुनिया भर में उपजाई जाती हैं।
- भोजन ग्रहण करने से मिलने वाली ऊर्जा की बात करेंतो दुनिया के लोग करीब 50 प्रतिशत कैलोरी इन्हीं तीन किस्मों से प्राप्त करते हैं।

GEOGRAPHICAL STUDIES HINDI

इसका मतलब यह है की अगर यह इसी तरह सिमित होती रही और अगर ये फसेल किस्सी महामारी की चपेट में आ गई जैसा की हमने आयरलैंड में आलू और दक्षिण पूर्व एशिया में रबर के सन्दर्भ में देखा तो हमारे पास उनको बचाने के बहुत ही सिमित और न के बराबर उपाय होंगे | जैव विविधता एसी बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है पर इसके सिमित होने से हमारे उपाय भी सिमित होते जा रहे है और जो सीधे तौर पर हमारे खाद्य सुरक्षा पर खतरा है |

जीव विविधता :

जीव विविधता की हालत भी इससे कतई अलग नहीं है।

- दुनिया भर से वन्य जीव प्रजाति सालाना 2 प्रतिशत की रफ्तार से घटती जा रही है।
- 1970 और 2012 के बीच मछली, स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप प्रजातियों की तादाद में 58 प्रतिशत की जबरदस्त कमी आई है।
- इस दशक के अंत तक यह आंकड़ा बढ़कर 67 प्रतिशत पहुंच सकता है। वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड के अद्र्धवार्षिक 'लीविंग प्लैनेट इंडेक्सÓ के अनुसार 2020 तक करीब दो तिहाई वन्य प्राणी दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे।

कृषि कार्यों में मददगार माने जाने वाले कीट-पतंगे और सूक्ष्म जीव भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। इन कीटों को पादप, जीव-जंतु और मानव के स्वास्थ्य तथा कृषि पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि इनमें कितने विलुप्त हो गए हैं, इसका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह निर्विवाद है कि इनकी विविधता अच्छी-खासी कम हो गई है। कीटों और सूक्ष्म जीवों की कई महत्त्वपूर्ण प्रजातियां अब विलुप्त होने के कगार पर हैं और लगता नहीं कि ऐसे हालात में इनका लंबे समय तक अस्तित्व बरकरार रह पाएगा।

मानव के लिए बढते खतरे का सूचक है जैव विविधता की सीमितता :

धरती की आधी से अधिक सतह पर संपूर्ण जैव विविधता का ताना-बाना भंग हो गया है और क्षेत्रीय जैव विविधता के 14 प्रमुख अंचल में से 9 में यह विविधता सुरक्षित स्तर से नीचे चली गई है। इन सभी आंकड़ों से बस एक ही निष्कर्ष निकलता है कि इस समय संपूर्ण मानव जाति के लिए फायदेमंद जैव विविधता निर्मम रफ्तार से खत्म हो रही है। यह बात अवश्य याद रहनी चाहिए कि प्राकृतिक जैव विविधता कोई अक्षय प्राकृतिक संसाधन नहीं हैं, यानी इनका दोबारा सृजन नहीं हो सकता है।

खाद्य सुरक्षा (food security) :

जैव विविधता को होने वाला किसी भी तरह का नुकसान चिंता की बात है, खासकर कृषि क्षेत्र में इसका समाप्त होना या कम होना अच्छी बात नहीं है क्योंकि इसका लोगों की आजीविका सुरक्षा और खाद्यान्न पर सीधा असर होगा। भारत के संदर्भ में यह बात इसलिए महत्त्वपूर्ण हो जाती है कि क्योंकि :

यह कृषि जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। विश्व में उपलब्ध भूमि क्षेत्र का करीब 2.4 प्रतिशत हिस्सा ही भारत में है, लेकिन यहां अब तक ज्ञात सभी प्रजातियों की 7 से 8 प्रतिशत किस्म ही पाई जाती हैं। इनमें पादप की करीब 45,000 और जीवों की लगभग 91,000 प्रजातियां शामिल हैं।

6. जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए भारत की तरफ से कदम

भारत उन कुछ देशों में शामिल है, जिनने समय रहते कृषि-जैव विविधता के महत्त्व को समझा है और पर्याप्त पहले ही उपचार उपायों की शुरुआत की है। कृषि-जैव विविधता के संरक्षण के काम में लगे संस्थानों के अलावा भारतीय किसानों ने भी खाद्यान्न और अन्य फसलों की परंपरा संरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई है। उदाहरण के तौर पर

- दक्षिण भारत का कोनामणि चावल, असम का अग्निबोरा धान और गुजरात का भेलिया गेहूं कुछ ऐसी ही अनगिनत परंपरागत फसलें हैं, जिनका अस्तित्व किसान समुदायों ने बचाए रखा है।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अगुआई में देश की राष्ट्रीय कृषि शोध प्रणाली ने करीब 50 साल से अधिक पहले कृषि जैव-विविधता संरक्षित करने के लिए अनूठी मुहिम शुरू कर दी थी।
- भारत का नैशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस एक ऐसा अनूठा संस्थान है जो भविष्य की पीढियों के लिए पादपों का जीव द्रव्य संरक्षित करता है। संस्थान पादपों के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक चलाता है। उसके पास इस समय दीर्घ अवधि तक संरक्षित रखने के लिए 4,29,000 पादप जीव द्रव्य के नमूने हैं। पशुओं, मछली, कीट-पतंगों और सूक्ष्म जीवों के जीन संसाधन संरक्षित करने के लिए इसी तरह की सुविधाएं विकसित की गई हैं। इन संस्थानों की एक खूबी यह है कि बीज भंडार बढ़ाने के लिए ये हमेशा काम करते रहते हैं। इसके लिए वे जंगलों से लेकर दूरदराज के इलाकों में जाते हैं और अभियान चलाते हैं।

दुनिया के देश फसलों की नई और संकर किस्में विकसित करते रहे हैं और इसके लिए वे ऐतिहासिक रुप से एक दूसरे पर निर्भर रहते आए हैं। जलवायु परिवर्तन के खतरे, खाद्य विविधता के विस्तार की जरूरत और उपभोक्ताओं की बदलती पसंद पूरी करने के मद्देनजर देशों के बीच इस तरह की निर्भरता दिनोदिन बढ़ती जाएगी। इस सन्दर्भ में भारत एक अग्रणी भूमिका भी निभा सकता है

7. जलवायु परिवर्तन से कृषि पर असर

किसानों की आय को दोगुना करने और खाद्य सुरक्षा की राह में जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ा हो गया है, जिसका असर साल दर साल दिखाई देने लगा है। खेती के विभिन्न आयामों को पुख्ता बनाने की दिशा में जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ते तापमान से सबसे अधिक खतरा है|

- गर्मी बढ़ने से खाद्यान्न की पैदावार प्रभावित होने की संभावना है जिससे वैज्ञानिकों ने सरकार को पहले ही आगाह कर दिया है।
- इसका असर लघु व सीमांत किसानों के साथ मछुआरों और पशु पालक पर पड़ेगा।
- गेहूं व धान की फसल की पैदावार घटी तो इसके आयात पर निर्भरता बढ़ सकती है।
- देश की अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा।

सरकार के द्वारा उठाये गए कदम और क्या कदम उठाए जाने की संभावना

- आगामी वित्त वर्ष के आम बजट में इस चुनौती से निपटकर फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार का अनुसंधान व विकास पर सबसे ज्यादा जोर होगा। इस मद में आठ सौ करोड़ रुपये के बजट आवंटन की संभावना है।
- कृषि की सेहत सुधारने के लिए ही सरकार ने पिछले सालों के बजट में कृषि उपकर लगाया था, जिसके नतीजे बेहद उत्साहजनक रहे हैं।
- सरकार खेती को लाभदायक बनाने और किसानों की आमदनी को दोगुना करने की रणनीति तैयार करने में जुट गई है। खेती की प्रमुख चुनौती जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकारी खजाने में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है
- जलवायु परिवर्तन करने वाले प्रमुख तत्व कार्बन उत्सर्जन में खेती का योगदान 18 फीसद तक है। इसमें धान की खेती, फर्टिलाइजर का अंधाधुंध प्रयोग और फसलों की पराली जलाना प्रमुख है। केंद्र सरकार ने इसे रोकने के लिए मिट्टी की जांच से लेकर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, जैविक खेती, कृषि वानिकी, फसल अवशेष प्रबंधन और खादों का संतुलित प्रयोग आदि उपाय शुरू किये हैं

Science & Technology

1. माइक्रोबीड्स या माइक्रो प्लास्टिक

Why in news:

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सौंदर्य प्रसाधनों और शारीरिक देखभाल के उत्पादों में इस्तेमाल (एनजीटी) किए जाने वाले माइक्रो प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। याचिका में कहागया है कि माइक्रो प्लास्टिक का इस्तेमाल जलीय जीवन और पर्यावरण के लिए खतरनाक है।

GENERAL STUDIES HINDI

Where are they used:

- सौंदर्य प्रसाधनों में माइक्रो प्लास्टिक का जमकर इस्तेमाल हो रहा है।
- साबुन, टूथपेस्ट, फेसवॉश, हैंडवॉश, बॉडीवॉश और स्क्रब जैसे उत्पादों में इनका उपयोग हो रहा है।
- कई कंपनियां अपने उत्पादों के बारे में दावा करती हैं कि वे जौ, अंजीर और अखरोट आदि का उपयोग कर रही हैं, मगर इनसे कई गुना ज्यादा मात्र में प्लास्टिक का इस्तेमाल करती हैं।

What are these:

माइक्रोप्लास्टिक दरअसल प्लास्टिक या फाइबर के वे टुकड़े हैं, जो आकार में बहुत छोटे होते हैं और संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्टों के मुताबिक, ये जलीय जीवन और पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं। माइक्रोप्लास्टिक पांच मिलीमीटर से भी कम आकार के प्लास्टिक या फाइबर के टुकड़े होते हैं। निजी देखभाल के उत्पादों में पाए जाने वाले माइक्रोप्लास्टिक या माइक्रोबीड्स हमेशा एक मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं।

Why demand for restriction:

प्लास्टिक के एक से पांच एमएम तक के बेहद छोटे टुकड़े होने की वजह से ये नाली से होते हुए जल स्रोत में मिल जाते हैं और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। दुनिया भर में इन पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है।

2. डीआरडीओ ने विकसित किया सस्ता कॉकलीयर इंप्लांट

- डीआरडीओ ने सस्ता कॉकलीयर इंप्लांट विकसित किया है।
- कलीयर इंप्लांट महंगे होने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे अब मूक बधिर- नहीं रहेंगे।
- डीआरडीओ द्वारा (डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन) विकसित सस्ते स्वदेशी कॉकलीयर इंप्लांट मूकबधिर बच्चों को आवाज देंगे।-
- देश में 70 से 80 लाख बच्चे बहरेपन से पीड़ित हैं। कॉकलीयर इंप्लांट ऐसे बच्चों के लिए उम्मीद की किरण होते हैं। हालांकि इसकी कीमत पांच से सात लाख रुपये है। इस वजह से यह प्रत्यारोपण कराना आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों के लिए संभव नहीं होता।
- इसकी कीमत डेढ़ से दो लाख रुपये होगी। इस कारण इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रत्यारोपित किया जा सकेगा। डॉक्टरों के मुताबिक सुनाई नहीं पड़ने के कारण बोल पाने में असमर्थ बच्चों

की तीन साल की उम्र तक कॉकलीयर प्रत्यारोपण करने पर परिणाम बेहतर रहता है और बच्चे ज्यादा अच्छे तरीके से बोल पाते हैं।

- डीजीसीआइ से (ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया)इसके ट्रायल की स्वीकृति मिल गई है जो जल्द शुरू किया जाएगा।

3. जारविस (Jarvis)

- फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग द्वारा तैयार आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस सिस्टम
- इस एप से काम कराने के लिए किसी बटन पर क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है।
- यह आवाज को पहचान कर उनके निर्देशानुसार काम करता है।

How it works:

यह एप घर के तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट होगा। अगर इससे काम कराना है, तो एप पर हर काम का टाइम सेट करना होगा या फिर एप को बोलकर कमांड देनी होगी। कमांड रिसीव करते ही संबंधित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करने लगेंगे। इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी।

4. ब्लैक बॉक्स'

Why in news:

हाल ही दुर्घटनाग्रस्त हुए रूसी सैन्य विमान का एक ब्लैक बॉक्स बरामद हो गया है |यह विमान रूस से सिरिया जा रहा था

क्या होता है यह

- किसी विमान के 'ब्लैक बॉक्स' में 'फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर' और 'कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर' नाम के दो यंत्र होते हैं
- एक में विमान से जुड़े आंकड़े, जैसे गति और ऊंचाई आदि रिकॉर्ड होते हैं तो दूसरे में कॉकपिट-के अदर की आवाजें रिकॉर्ड होती हैं.
- ह]दसे की वजह का पता लगाने के लिहाज से ये दोनों यंत्र बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं.

International Relation& International events

1. भारत व अफगानिस्तान के बीच विशेष कार्गो सेवा

GENERAL STUDIES HINDI

यह योजना क्यों :

अफगानिस्तान को भारतीय मदद पहुंचाने में हर तरह की अड़चन खड़ा करने में जुटे पाकिस्तान को दरकिनार करने के लिए | अभी पाकिस्तान की अड़चन की वजह से ही भारत चाह कर भी अफगानिस्तान को दो लाख टन गेहूं नहीं पहुंचा पा रहा है। सीधे कार्गो लिंक के लिए अफगानिस्तान को भारत की तरफ से विशेष आर्थिक मदद दी जाएगी

क्या है यह योजना

योजना यह है कि जब तक ईरानअफगान सीमा पर चाबहार पोर्ट तैयार नहीं होता है-, तब तक भारत व अफगानिस्तान के बीच विशेष कार्गो सेवा शुरू की जाए। । दोनो देशों के बीच कागरे लिंक बनने के बाद कारोबार के लिए भारत, पाकिस्तान के भरोसे नहीं रहेगा।

क्या होंगे फायदे :

- एयर कार्गो लिंक बन जाने के बाद भारत को अफगानिस्तान से सूखे मेवे, हस्तशिल्प, कार्पेट आदि की आपूर्ति काफी बढ़ जाएगी। अभी यह सामान वाघा बार्डर या कराची पोर्ट से होकर भारत आते हैं, जिसमें काफी मुश्किलें हैं।
- अभी होता यह है कि पाकिस्तानी नीति के अनुसार अफगानिस्तान से भारत आने वाले हर सामान को वाघा वार्डर पर पूरी तरह से खोल कर जांच की जाती है। इसमें समय ज्यादा लगता है और

बड़ी मात्र में सूखे मेवे नष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन, सीधा कार्गो होने के बाद कंधार एयरपोर्ट से यही खाद्य सामग्री सीधे दिल्ली पहुंचेगी

- कार्गो लिंक शुरू करना भारत व अफगानिस्तान के गहराते रिश्तों का एक उदाहरण है। दोनों देश पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को बढ़ावा देने की नीति से परेशान है। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान के समर्थन से ही तालिबान का अभी तक अफगानिस्तान से सफाया नहीं हो सका है। भारत भी पाक समर्थितआतंकवाद से पीड़ित है।

2. हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन

Why in news:

हाल ही में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ |

क्या है यह

- आतंकवाद और गरीबी से निपटने के लिए अफगानिस्तान और इसके पडोसी देशों के बीच आर्थिक और सुरक्षा सहयोग बढाने के लिए 2011 में हार्ट ऑफ़ एशिया पहल की शुरुआत की गई इसको इस्ताम्बुल process के नाम से भी जाना जाता है |
- अफ़ग़ानिस्तान, अज़रबैज़ान, चीन, भारत, ईरान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, सऊदी अरब, ताज़िकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात, पाक, तुर्की समेत 14 देशों ने आपदा प्रबंधन, आतंकवाद को रोकने, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध, व्यापार-निवेश को बढ़ाने, क्षेत्रीय अधोसंरचना विकसित करने, और शिक्षा का विस्तार जैसे छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को चुना था।

भारत की कुटनीतिक कामयाबी

अफगानिस्तान को पुनर्निर्माण में मदद करने के मकसद से अमृतसर में हुए हॉर्ट' आफ एशिया सम्मेलन ' को भारत जैसा कूटनीतिक मोड़ देने चाहता था, देने में सफल रहा।

- सम्मेलन के एजेंडे में तो आतंकवाद का मुद्दा प्रमुख था ही, उसके घोषणापत्र में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों को दक्षिण एशिया की शांति के लिए बड़े खतरे के रूप में रेखांकित किया गया। यह निश्चय ही भारत की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है।
- भारत ने कहा की आतंकवाद और बाहर से प्रोत्साहित अस्थिरता ने अफगानिस्तान की शांति और समृद्धि के लिए गंभीर खतरा पैदा किया है; आतंकी हिंसा के बढ़ते दायरे ने हमारे पूरे क्षेत्र को खतरे में डाला है। अफगानिस्तान में शांति की आवाज का समर्थन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ ही दृढ़ कार्रवाई होनी चाहिए। यह कार्रवाई आतंकवादी ताकतों के खिलाफ ही नहीं, उन्हें सहयोग और शरण देने वालों के विरुद्ध भी होनी चाहिए।

3. हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन' और अफगानिस्तान का भविष्य

अमृतसर में संपन्न 'हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन' में एक स्वर से आतंकवाद को दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता और सहयोग के रास्ते में सबसे बड़ा खतरा बताया गया। पहली बार सम्मेलन के घोषणापत्र में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का जिक्र किया गया है।

- घोषणापत्र में कहा गया कि हम आतंकवाद के हर रूप के खात्मे के लिए आपसी सहयोग को मजबूत करने का पुरजोर आह्वान करते हैं। इसमें आतंकवादियों की सुरक्षित पनाहगाहों को नष्ट करना और आतंकवाद को मिलने वाली वित्तीय और सामरिक सहायता के रास्तों को खत्म करना शामिल है।
- भारत से भी ज्यादा बढ़-चढ़कर अफगानिस्तान ने इशारों में कहा कि उसके यहां आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान अहम भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित करीब 30 संगठन अफगानिस्तान में अपने पांव जमाने की कोशिश में हैं।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी नेटवर्कों को उखाड़ फेंकने की जरूरत बताई। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने भी इस सम्मेलन में शिरकत की।

अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान खुद को सक्रिय दिखाना चाहता है। वहां की फौज मानती आई है कि भारत से लड़ाई होने पर उसे अफगानिस्तान की जमीन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसे वहां 'स्ट्रैटजिक डेप्थ डॉक्ट्रीन' कहा जाता है। पाकिस्तान की कोशिश इस अवसर का उपयोग भारत-पाक द्विपक्षीय वार्ता के लिए करने की थी। लेकिन भारत ने पहले ही कह रखा है कि जब तक सीमापार से हो रही आतंकी गतिविधियां खत्म नहीं होतीं, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी।

=>'हार्ट ऑफ एशिया' क्या है?

★ 2001 में अमेरिकी हमले के बाद 'हार्ट ऑफ एशिया' ग्रुप का गठन अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के लिए किया गया था। चीन, ईरान, भारत और पाकिस्तान सहित 14 देश इस समूह के सदस्य हैं।

- बाद में इसकी चिंताओं का दायरा बढ़ा दिया गया। अब इसमें चरमपंथ, ड्रग्स कारोबार, गरीबी और कट्टरपंथ पर अंकुश लगाने जैसे विषयों पर भी चर्चा होती है। इसके सदस्यों के अलावा अमेरिका सहित 20 से ज्यादा अन्य देश भी इसमें सहयोगी भूमिका निभा रहे हैं।

-जाहिर है, विश्व बिरादरी अफगानिस्तान में न सिर्फ अमन-चैन कायम करना चाहती है बल्कि उसका सामाजिक-आर्थिक विकास भी सुनिश्चित करना चाहती है ताकि वह आत्मनिर्भर, आधुनिक और मजबूत देश बन सके। दिक्कत यह है कि अमेरिकी फौजों की वापसी के साथ चरमपंथी वहां फिर से सिर उठाने लगे हैं। उनकी इस कोशिश को पाकिस्तान से पूरा सहयोग मिल रहा है।

=> अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत का योगदान :-

-भारत शुरू से ही अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में लगा हुआ है। दरअसल मध्य एशिया तक पहुंच बनाने के लिए ईरान और अफगानिस्तान का साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है।

- चाबहार पोर्ट के तैयार हो जाने के बाद न सिर्फ भारत और ईरान के आपसी व्यापार में आसानी होगी, बल्कि अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों तक हमारे सामानों का आना-जाना भी आसान होगा।

- संसद का निर्माण, अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण, बांध आदि के निर्माण, वहां के विद्यार्थियों को भारत में अध्यापन हेतु स्कालरशिप आदि की उपलब्धता।

4. दूसरे विश्व युद्ध से चल रहे कुरिल द्वीप विवाद को लेकर रूस और जापान में फिर कोई सहमति नहीं

रूस और जापान के बीच कुरिल द्वीप को लेकर छिड़े विवाद को सुलझाने की एक और कोशिश का कोई ठोस परिणाम नहीं निकल सका.

GENERAL STUDIES HINDI

- रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के बीच जापान के नगाटो में आयोजित दो दिवसीय बैठक में कई आर्थिक समझौते हुए. लेकिन, कुरिल द्वीप को लेकर बड़ी सफलता नहीं मिल सकी. हालांकि, दोनों नेताओं की ओर से जारी संयुक्त बयान में इस द्वीप पर संयुक्त आर्थिक गतिविधियां चलाने के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमति जरूर जताई गई है.
- बैठक के बाद जापान ने कहा कि बीती बातों को भुलाकर दोनों पक्षों के लिए सम्मानजनक हल निकालने की पहल होनी चाहिए. जापान के अनुसार इसे सुलझाने के लिए कदम उठाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां दुखी न हों.

- हालांकि, इस मामले में व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है. बैठक के बाद पुतिन ने बस इतना कहा कि आर्थिक सहयोग बढ़ने से दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी.

=> कुरिल द्वीप के बारे में कुछ तथ्य :-

- -कुरिल द्वीप प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर स्थित है. दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही यह दोनों देशों के बीच विवाद की वजह बना हुआ है.

- दूसरे विश्व युद्ध के अंत में रूसी सेना ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया था और वहां बसे 17,000 जापानियों को भगा दिया था.
- जापान का एक तबका रूस से इसे पूरी तरह लौटाने की मांग कर रहा है.

5. नेपाल में नया बदलाव व नइ उम्मीद

एतिहासिक पृष्ठभूमि

- नेपाल बीते ढाई दशक से अशांति और राजनीतिक अस्थिरता से जूझता रहा है। राजशाही के अंत के बाद वहां अब तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं बनी जो अपना कार्यकाल पूरा कर सकी हो।
- आठ साल पहले 2008 में वहां पहली संविधान सभा के अस्तित्व में आने के साथ राजशाही की औपचारिक विदाई हो गई। हालांकि संविधान सभा के गठन के बाद भी स्थिरता नेपाल के हिस्से में नहीं आई है।
- पहली संविधान सभा संविधान नहीं दे पाई, जबकि इसके कार्यकाल का दो बार एक एक साल - के लिए विस्तारभी हुआ।
- दूसरी संविधान सभा के गठन के तीन साल हुए हैं और इस तीन साल में नेपाल ने तीन प्रधानमंत्री और दो राष्ट्रपति देख लिए।

नया संविधान और विरोध

नया संविधान पारित होते ही इसके अनेक प्रावधानों के खिलाफ नेपाल के बड़े हिस्से में हिंसा, प्रदर्शन, धरना का दौर शुरू हो गया था।

- नए संविधान से वहां के मधेसियों, थारुओं, दलितों और अल्पसंख्यकों को अपना वजूद खतरे में नजर आने लगा।
- वह अपना अधिकार पाने के लिए सड़कों पर उतर आए। पुलिस को अनेक स्थानों पर गोलियां चलानी पड़ी।

विरोध क्यों :

नेपाल के नए संविधान के अनेकों प्रावधानों पर वहां के मधेसी और जनजातीय समुदाय को सख्त ऐतराज था।

- संविधान में देश को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया लेकिन राज्यों को अधिकार नहीं दिए गए।
- जो सात प्रदेश बनाए गए, उनके सीमांकन से भी इन दोनों समुदाय में बेहद नाराजगी रही है।
- मधेस में दो राज्य बनाने की बात थी, पर भारत की सीमा से एक कड़ी में लगे आठ जिलों का एक प्रदेश बनाया गया। बाकी जिलों को छह भाग में बांटकर पहाड़ी राज्यों में शामिल कर दिया गया। इससे उनमें मधेसी अल्पसंख्यक बने रहेंगे।
- जनजाती बहुल थरुहट को अलग राज्य नहीं बनाया गया। निर्वाचन क्षेत्रों का गठन क्षेत्रफल के आधार पर करने का प्रावधान किया गया। नेपाल के 17 प्रतिशत क्षेत्रफल में करीब 50 प्रतिशत मधेसी आबादी बसती है। बाकी पहाड़ी इलाके हैं। जाहिर है क्षेत्रफल के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र बनते तो संसद में मधेसियों का प्रतिनिधित्व सिमट जाता।

इन की वजह से भार नेपाल के रिश्तो पर भी प्रभाव पडा है | बीते दो दशक में नेपाल की राजनीति में भारत विरोध और मधेस के हितों को भारत से जोड़कर नकारने की प्रवृति एक फैशन की तरह बन गई है।

पर हाल हाल ही में नेपाल में सत्ता के गलियारे का मन मिजाज बदला है। मूल के आधार पर भेदभाव- और टकराव की राजनीति से बाहर आकर आपसी सहमति और विश्वास के पथ पर कदम बढ़े हैं। नागरिकता, समान अधिकार, संसद में प्रतिनिधित्व और राज्यों के गठन जैसे विवादित मुद्दे को सुलझाने और भारत से संबंध मजबूत करने की इच्छाशक्ति अरसा बाद नजर आ रही है।

नए संविधान संशोधन

सबसे पहला संशोधन निर्वाचन क्षेत्र के गठन को लेकर किया गया। 29 नवंबर को लाए गए संशोधन प्रस्तावों में विदेशी महिला की नेपाल में शादी होने पर अंगीकृत नागरिकता देने, राज्यसभा की कुल 56 सीटों में 35 का निर्वाचन जनसंख्या के आधार पर और प्रत्येक राज्य से तीन सीटों में एक महिला, एक दलित व एक अपंग या अल्पसंख्यक के लिए आरक्षित करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। इस प्रकार भारत या अन्य देशों की नेपाल में ब्याही बेटी के संवैधानिक पदों पर बहाली की बाधा भी दूर हो गई है।

इन सबके बावजूद नेपाल में अभी भी भारत विरोधी भावनाए कायम है | दोनों सरकारों को समझ अपनाते हुए एक दुसरे का साथ देते हुए आगे बढना होगा तथा भारत को भी चाहिए की वो नेपाल में किसी भी मामले में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने से बचे

GENERAL STUDIES HINDI

6. जापान ने लौह-इस्पात आयात शुल्क पर WTO में उठाया भारत के खिलाफ मुद्दा

why Japan protesting

भारत ने कुछ लौह एवं इस्पात उत्पादों के आयात पर न्यूनतम आयात शुल्क) MIP (लगाया है। जापान, भारत के इसी कदम का विरोध कर रहा है।

पृष्ठभूमि

इस साल फरवरी में भारत ने 173 उत्पादों पर छह महीने के लिए न्यूनतम आयात शुल्क लगाया था। बाद में इसे दो बार दो महीने का विस्तार दिया गया। इससे पहले इसी महीने सरकार ने 19 उत्पादों पर न्यूनतम आयात शुल्क की अवधि बढ़ाकर 4 फरवरी, 2017 कर दी।

why MIP by INDIA

- भारत ने इस्पात पर न्यूनतम आयात शुल्क इसलिए लगाया है क्योंकि चीन, जापान और कोरिया जैसे इस्पात अधिशेष वाले देशों से बाजार बिगाड़ने वाले मूल्य पर इस्पात का आयात सितंबर 2014 से घरेलू उद्योग के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।
- भारत ने इस्पात पर न्यूनतम आयात शुल्क इसलिए लगाया है क्योंकि चीन, जापान और कोरिया जैसे इस्पात अधिशेष वाले देशों से बाजार बिगाड़ने वाले मूल्य पर इस्पात का आयात सितंबर 2014 से घरेलू उद्योग के लिए चिंता का विषय बना हुआ है

7. असाधारण हिंसा के कगार पर खड़ा कांगो

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में चल रहे राजनीतिक टकराव के चलते वहां भारी हिंसा का खतरा पैदा हो गया है यह खतरा अब और भी बड़ा हो गया है क्योंकि राष्ट्रपति जोसेफ कबीला पद छोड़ने से इनकार . |वे विपक्ष की जरा भी सुनने के लिए तैयार नहीं दिखते .कर चुके हैं

जातीय हिंसा अभी भी

- कांगो के कई हिस्से अब भी उस जातीय हिंसा की आग की चपेट में हैं जिसकी लपट 1990 के दशक में पड़ोसी रवांडा से यहां आई थी.
- अभी भी रवांडा के हुतु या **नंदे नाम के उग्रवादी गुट** कांगो की सीमा के भीतर आकर हमले और लूटपाट करते हैं.इन कवायदों का मकसद जमीन पर कब्जे करना होता है .
- इसके अलावा युगांडा के विद्रोही समूह एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेज की समस्या भी है ही कई . .नरसंहारों को अंजाम देने वाला यह संगठन इस इलाके में शरीयत कानून चलाना चाहता है
- ऊपर से अब कांगों की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच हो रही झड़पें हिंसा की इस लहर का दायरा और फैला रही हैं पुथल ने जैसे-बल्कि ऐसा लगता है कि राजनीतिक उथल . विद्रोही समूहों, उग्रवादी संगठनों और सेना को मनमर्जी से काम करने का लाइसेंस दे दिया है

इनमें से हर एक अपने संकीर्ण हितों की रक्षा के लिए लड़ रहा है .कबीला की जिद है कि चुनाव कम से कम 2018 तक टाले जाए यह सब देखते हुए आशंका है कि .विपक्ष ऐसा न होने देने पर अड़ा हुआ है . .आने वाले दिनों में कांगो में हिंसा बढ़ सकती है

कई अफ्रीकन देश इसी से गुजर रहे है

- अफ्रीका के कई देशों में सरकारों के मुखिया या तो चुनाव टाल रहे हैं या फिर चुनाव के नतीजों को मानने से इनकार कर रहे हैं.
- चुनाव करवाए भी जा रहे हैं तो इसलिए कि लंबे समय से राज कर रहे तानाशाहों को जनता की मंजूरी मिलने की औपचारिकता पूरी की जा सके .

ताजा उदाहरण गांबिया का है .जिंबाब्वे में 92 साल के रॉबर्ट मुगाबे फिर से राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं दूसरे शब्दों में कहें तो तानाशाह लोकतंत्र की आड़ ले रहे हैं और जनता . इस काम में वे सेना की मदद लेते हैं जो लूट की साझीदार .पर जुल्म ढाकर अपनी सत्ता बनाए हुए हैं .होती है

और इसका सीधा असर अफ्रीका के कई देशों में गरीबी, निरक्षरता और पिछड़ेपन के भयानक स्तर में दीखता है | ताकतवर और भ्रष्ट नेतृत्व की यह जकड़ तोड़ना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं . पुथल दिखाती है कि अफ्रीका में तानाशाही अब उतनी आसान-कांगो में चल रही राजनीतिक उथल अंतरराष्ट्री .नहीं रही जैसी वह पहले हुआ करती थीय समुदाय पहले ही कबीला सरकार पर प्रतिबंधों की चेतावनी दे चुका है इसमें अगर विपक्ष की दृढ़ता भी मिल जाती है तो हो सकता है कबीला सुधर . जाएं

GENERAL STUDIES HINDI

Editorials

1. वरदा से मिले सबक ऐसी आपदाओं से निपटने की हमारी तैयारी को और सुधार सकते हैं

(द एशियन एज की संपादकीय टिप्पणी)

सन्दर्भ :- जिस तरह से हमने खुद जलवायु परिवर्तन को न्योता दिया है उसे देखते हुए आज कुदरत ही हमारे लिए सबसे बड़ा संकट साबित हो सकती है.

एक भयानक त्रासदी चेन्नई से होकर गुजरे वरदा तूफान ने भयानक तबाही मचाई है. राहत की बात यह रही कि इससे होने वाली मौतें कम से कम (तमिलनाडु में करीब 18 लोगों की मौत हुई) रहीं. यह बताता है कि ऐसी भीषण मौसमी हलचलों से निपटने की हमारी तैयारी में कितना सुधार आया है.

- हमने सीख लिया है कि जीवन का क्या मोल है और गरीबों और वंचितों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नुकसान को कम से कम रखने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए. यह देखना सुखद है. आपदा राहत बल की टीमों ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में समुद्र के पास निचले इलाकों में रह रहे लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था. बनिस्बत कम नुकसान झेलने वाले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह सभी से तमिलनाडु की मदद करने की अपील की, उसकी सराहना की जानी चाहिए.
- **भारत की तैयारी** :वरदा से निपटने की भारत की तैयारी असरदार थी, यह इससे भी समझा जा सकता है कि इसी तूफान से थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया में 100 से ज्यादा मौतें हुईं जबकि भारत में यह आंकड़ा कहीं कम रहा. ग्लोबल वार्मिंग से मौसम में होने वाला बदलाव जारी है और इसलिए आगे भी हमें अक्सर तूफान और अतिवृष्टि जैसी चुनौतियों को पहले से ज्यादा संख्या में झेलना पड़ सकता है.
- कम से कम हम इनसे निपटने की तैयारी तो कर ही सकते हैं. कोई तूफान कहां-कहां से होकर गुजरेगा, अब इसकी सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है और इससे तैयारी में मदद मिलती है. इस तरह की विशेषज्ञता अभी तक हमें बाढ़ और भूकंप के मामले में हासिल नहीं है. बाढ़ की विभीषिका को पानी के इलाके में इंसानी अतिक्रमण ने बढ़ाया है जैसा कि बीते साल चेन्नई में बीते साल देखा गया. इस बाढ़ ने 500 से ज्यादा जानें लील ली थीं. इसे देखते हुए निर्माण से जुड़े नियम तोड़ने वालों के खिलाफ राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखानी होगी.
- वरदा से निपटने के दौरान एक अच्छी बात यह भी देखने को मिली कि दक्षिण के इन दोनों राज्यों की सरकारों ने समय पर केंद्रीय आपदा बलों की मदद मांग ली. साथ ही उन्होंने राज्य और केंद्रीय बलों के बीच सोशल मीडिया और संचार के दूसरे माध्यमों के जरिये बढ़िया समन्वय भी स्थापित किया.
- स्कूल-कॉलेजों और दफ्तरों की छुट्टी जैसी सावधानियां थोड़ा अतिरेकी लग सकती हैं क्योंकि सारे तूफान वरदा की तरह नहीं होते. लेकिन ये जरूरी हैं क्योंकि इस तरह की आपदाओं में ज्यादातर मौतें उन्हीं लोगों की होती हैं जो घर की चाहरदीवारी की सुरक्षा के बाहर होते हैं.
- जिस तरह से हमने धरती के संसाधनों का दुरुपयोग किया है और जलवायु परिवर्तन को न्योता दिया है उसे देखते हुए आज कई मौकों पर कुदरत ही हमारे लिए सबसे बड़ा संकट साबित हो सकती है. इस लिहाज से वरदा ने हमें जो सिखाया है उससे ऐसी आपदाओं से निपटने की हमारी प्रक्रिया में और सुधार आना चाहिए.

GENERAL STUDIES HINDI

2. निर्भया कांड के चार साल बाद भी हमने दो अहम सबक नहीं सीखे

निर्भया मामले के चार साल बाद भी अगर हालात लगभग जस के तस हैं तो इसकी वजह यह है कि उससे सबक नहीं सीखे गए. (द इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय)

- निर्भया को गए चार साल हो चुके हैं. उसके साथ जो हिंसा हुई थी उसे समझना तो छोड़िए, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है. तब देश ने वादा किया था कि वह महिलाओं को न्याय देगा. इसके बजाय उसने उन्हें एक कानून दिया.
- तथ्य सीधे हैं. 2012 में दिल्ली में हुई गैंगरेप की उस घटना के बाद देश भर में अब पहले से ज्यादा महिलाओं यौन हमलों की सूचना देने पुलिस के पास जा रही हैं. पुलिस भी अब उनकी शिकायत पर ध्यान देने में पहले से ज्यादा चुस्ती बरत रही है. यह एक अच्छी बात है. आपराधिक न्याय व्यवस्था सच से आंखें चुराकर नहीं बनाई जा सकती.
- लेकिन पीड़ितों की गवाही को काफी अहम मानने और तेज सुनवाई का वादा करने वाले कानून के बावजूद अब भी अपराध साबित होने की दर में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं आया है. दोषी आज भी बड़ी संख्या में छूट जा रहे हैं. इसकी वजह यह हो सकती है कि देश भर में पुलिस अब भी ऐसे सबूत जुटाने में अक्षम है जो सुनवाई के दौरान ठोस साबित हों.

- राजनेताओं ने जब यौन हमलों पर नया कानून पारित किया था तो उन्होंने यह भी वादा किया था कि पुलिस को जांच की आधुनिकतम तकनीकों से लैस किया जाएगा जिसमें फॉरेंसिक भी शामिल है. लेकिन कुछ अपवादों को छोड़ दें तो यह अब तक नहीं हुआ है.
- जांच के लिए पुलिस को दिया जाने वाला प्रशिक्षण बहुत ही अपर्याप्त है. कई राज्यों में तो इसके पाठ्यक्रम आजादी के बाद से कोई खास बदलाव नहीं किया गया है. कॉन्सेबल अपराधस्थल पर पहुंचने वाला पहला पुलिसकर्मी होता है. लेकिन इस स्तर पर प्रशिक्षण अब भी बहुत कम है. पुलिस बल में मानव संसाधनों की भी कमी है और सरकारों के लगातार वादों के बावजूद यह अब भी एक गंभीर संकट के रूप में बनी हुई है.
- फॉरेंसिक लैबों पर काम का पहाड़ है. जिले के स्तर पर तो वे जैसे हैं ही नहीं. कुछ ही पुलिस थाने होंगे जहां सबूत इकट्ठा करने के लिए प्रशिक्षण पाई इकाइयां होंगी. सीधे कहा जाए तो हमारी पुलिस के पास प्रशिक्षण, स्टाफ और पैसे, तीनों अहम चीजों की कमी है.

What can be learnt:

इस अप्रिय स्थिति से सबक लेने की जरूरत है. उनमें

- एक अहम सबक यह भी है कि सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलता. नीतियों के हर पहलू पर काम करने की जरूरत होती है. अक्सर सरकारें फौरी प्रतिक्रिया दिखाती रही हैं और असफल होती रही हैं
- दूसरा सबक यह है कि अगर हम चाहते हैं कि आम जनता के सामने वे खतरे न आएं जो वह रोज झेलने के लिए मजबूर है तो पुलिस की क्षमताएं बढ़ाने के काम में अब और देर नहीं की जानी चाहिए. सड़क हादसों से लेकर गली-कूचों में होने वाली हिंसा और यौन हमलों तक तमाम समस्याओं से तभी प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है.

कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद होता है. पुलिस की जवाबदेही और उसकी स्वायत्तता इस बुनियाद की रक्षा के लिए जरूरी हथियार हैं. निर्भया के साथ चार साल पहले जो हुआ और आज भी कई महिलाओं के साथ जो हो रहा है, उससे सिर्फ गुस्सा नहीं आना चाहिए बल्कि एक प्रतिबद्धता भी पैदा होनी चाहिए कि हम अपनी सरकारों को जवाबदेह बनाएं.

3. नोटबंदी नहीं, चुनाव सुधार और राजनीतिक कमाई पर लगाम से रुकेगा कालाधन

नोटबंदी से कालेधन पर लगाम लगेगी, इस उम्मीद पर बीते 41 दिनों से जारी कवायद पर सवाल उठ रहा है. देश में कालेधन का अंबार है तो इसका स्रोत्र सरकारी महकमा, सरकार कर्मचारी और देश के छोटे-बड़े कारोबारी हैं.

- इन सब को जोड़ने वाली कड़ी खुद देश के राजनेता और उनके राजनीतिक दल हैं. लिहाजा कालेधन पर लगाम लगाने के लिए है जरूरी है कि पहले राजनीतिक दलों की कमाई को नजरअंदाज करने वाले कानूनी प्रावधानों को रोकना होगा.

- देश में नोटबंदी के जरिए कालेधन पर लगाम लगाने की कवायद के बीच चुनाव आयोग ने सरकार से मांग की है कि राजनीतिक दलों को चंदे में मिलने वाली रकम पर से पर्दा उठाने की जरूरत है. बिना इस कवायद के देश से कालेधन को खत्म करने की सभी कोशिश विफल होंगी.
- देश का कानून राजनीतिक दलों की हो रही कमाई पर इनकम टैक्स से पूरी तरह से छूट देता है. राजनीतिक दलों को दी गई इस छूट के पीछे इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 13 ए है. इस कानून के मुताबिक राजनीतिक दलों को मकान और संपत्ति, धन-लाभ अथवा घोषित और गुमनाम चंदे से हुई कमाई पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा.
- राजनीतिक दलों के लिए बना कानून रिप्रेजेंटशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 का सेक्शन 29सी राजनीतिक दलों को चंदे में मिलने वाली रकम पर महज आंशिक प्रतिबंध लगाता है. यह कानून कहता है कि किसी भी राजनीतिक दल को 20,000 रुपये से अधिक प्राप्त गुमनाम चंदे का विवरण चुनाव आयोग को देना होगा. इस रकम से कम प्राप्त हुआ चंदा राजनीतिक दलों के लिए महज अन्य आय ही रहेगी.

-
- अब चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा कालेधन के इस्तेमाल पर लगाम लगाने की नियत से अपील किया है कि किसी भी राजनीतिक दल को 2,000 रुपये से अधिक गुमनाम चंदा प्राप्त करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए.
- चुनाव आयोग की यह पेशकश केन्द्र सरकार द्वारा लोकसभा को यह सूचना कि नोटबंदी के बाद किसी भी राजनीतिक दल को बैंक में जमा कराए गए 500 और 1000 रुपये की करेंसी की जांच नहीं होगी के बाद आया.
- अब मौजूदा कानून और नोटबंदी के बाद प्रतिबंधित 500 और 1000 रुपये की करेंसी को जमा कराने के लिए आए निर्देशों के मुताबिक कोई भी रजिस्टर्ड राजनीतिक दल आसानी से कितना भी पैसा चाहे बैंक में जमा करा सकते है.
- राजनीतिक दलों द्वारा जमा कराई गई प्रतिबंधित करेंसी यदि 20,000 रुपये से कम है तो उन्हें इसका ब्यौरा चुनाव आयोग को देने की जरूरत नहीं है. वहीं वह करोड़ों रुपये की रकम को भी यदि बतौर चंदा जमा कराते हैं तो उनपर टैक्स नहीं लगेगा. इनकम टैक्स कानून उनकी पूरी आय को टैक्स फ्री कर चुका है. यहीं राजनीतिक दलों का कालेधन से सीधा कनेक्शन होता है.
- नोटबंदी के ऐलान के बाद देश में जिसका भी कालाधन बैंक में नहीं पहुंच सकता है उनके लिए इसे राजनीतिक दलों को गुप्तदान देने का सबसे बहतर विकल्प है. वह चाहें तो इस चंदे के एवज में सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों से अपने हित में फैसला करा ले या फिर चंदे में दी गई रकम के बदले कुछ पैसे नई करेंसी में वापस ले लें.
- राजनीतिक दलों को दी गई इस छूट के पीछे इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 13 ए है. इस कानून के मुताबिक राजनीतिक दलों को मकान और संपत्ति, धन लाभ अथवा चंदे से हुई कमाई पर टैक्स नहीं लगाया जाता.

बीते 41 दिनों की नोटबंदी की कवायद से यह साफ है कि इससे राजनीतिक दलों को कोई नुकसान नहीं हुआ है. वह आज भी देश में कालेधन के श्रोत को छिपाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं. अब चुनाव आयोग भी मान रहा है कि राजनीतिक दलों को मिली रही इस छूट में पारदर्शिता लाने की जरूरत है. क्या यह मोदी सरकार की चूक नहीं कि उसे नोटबंदी की कवायद शुरू करने से पहले अपने घर (राजनीतिक दलों) को दुरुस्त करने की जरूरत थी? क्या नोटबंदी से पहले राजनीतिक दलों द्वारा कालेधन को संचित करने के रास्तो को बंद करने की जरूरत नहीं थी?

4. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम को लचकीला करते संशोधन

GENERAL STUDIES HINDI

भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में जो संशोधन सुझाए गए हैं उन पर बहुत अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इन संशोधनों को तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल है लेकिन यह भी सच है कि इनको अपनाए जाने के बाद इस कानून का प्रभाव कमोबेश खत्म हो जाएगा।

क्या है यह (Prevention of corruption act):

कानून भ्रष्ट लोक सेवकों पर अभियोग की इजाजत देता है। यह क़ानून १९८८ में आया था | मौजूदा भ्रष्टाचार निरोधक कानून में लोकसेवकों पर अभियोग चलाने के तीन तरीके हैं। पहला

- यह साबित करना कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति भारी मात्रा में एकत्रित की है।
- रिश्वत को साबित करना।
- इसके अलावा यह दिखाना कि अधिकारियों ने अपने कार्यालय की शक्ति का प्रयोग अन्य स्थानों पर अवैध लाभ हासिल करने के लिए किया है।

अंतिम जो प्रावधान है वो सबसे ताकतवर है और साथ ही सबसे अधिक विवादास्पद भी। मौजूदा कानून के मुताबिक यह कहा जा सकता है कि किसी लोकसेवक का ऐसा कोई भी कदम जो किसी अन्य पक्ष को लाभ पहुंचाए वह भ्रष्टाचार है। जाहिर सी बात है यह प्रावधान नौकरशाहों को बाजार समर्थक सुधारों या नियमों पर काम करते समय रोकता है। बहरहाल, इस समस्या को बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। बस यह सुनिश्चित करना होगा कि नया कानून पद और सत्ता के दुरुपयोग पर जोर देता है।

क्या है चिन्तां का विषय नए संशोधनों में

- बदलाव के मसौदे में इस अंतिम भाग को पूरी तरह हटाने की बात शामिल है। इससे बड़े दोषियों पर कार्रवाई करने की कोशिश को तगड़ा झटका लगेगा।
- आधुनिक समय में भ्रष्टाचार के दौरान नकदी से भरे सूटकेस का लेनदेन नहीं होता। किसी चीज के बदले कुछ देने में अक्सर वक्त लिया जाता है। ऐसे में पद का दुरुपयोग साबित करने में वक्त लगता है। कानून का निर्माण इस बात के इर्दगिर्द किया जाना चाहिए बजाय कि उसे शिथिल बनाने के।
- कानून के अन्य पहलू भी चिंता जगाते हैं। रिश्वत का अभियोग इस बात पर निर्भर करता है कि रिश्वत देने वाला सामने आए और लेकिन संबंधित विधेयक में ऐसे कदम उठाने पर मिलने वाले संरक्षण को भी कमजोर कर दिया गया है।
- इस बीच आय से अधिक संपत्ति की जांच करना और कठिन हो गया है। संशोधन के बाद नए प्रावधान में भ्रष्टअधिकारियों को यह रियायत दी जा सकती है कि वे पुरानी तिथि से आय के विभिन्न स्रोतों पर दावा पेश कर सकें। ऐसा करके वे अभियोग से बच सकते हैं। इस कमी को सन 1980 में दूर किया गया था लेकिन अब दोबारा खोला जा रहा है।

आज जरूरत इस बात की है कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून को उन्नत बनाया जाए ताकि यह आधुनिक और जटिल अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार के नए मामलों से निपटने में काम आ सके। दुर्भाग्यवश सरकार और कानून बनाने वाले इसे कमजोर बनाते दिख रहे हैं। इसका प्रस्तावित स्वरूप इसके उद्देश्य को नाकाम बनाने का काम करेगा। सरकार के ऐसा करने के इरादे पर प्रश्न उठाना तो बनता है।

5. digital खाई को कम करने की और TRAI का कदम १०० मब मुफ्त डाटा देने का

#Business standard editorial

In news

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने देश के ग्रामीण इलाकों में (ट्राई)100 एमबी तक मुफ्त डाटा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की है|

GENERAL STUDIES HINDI

A look on data

- ब्रॉडबैंड रिपोर्ट 2016 के मुताबिक तार वाले ब्रॉडबैंड पहुंच के मामले में भारत 187 देशों में से 132वें स्थान पर रहा जबकि बेतार ब्रॉडबैंड के मामले में उसकी स्थिति 179 देशों में 156वीं रही।
- देश में ब्रॉडबैंड की कुल पहुंच सात फीसदी है जो 46 फीसदी के वैश्विक औसत से खासा कम है।
- शहरी इलाकों में वायरलेस दूरसंचार की पहुंच 150 फीसदी की दर से है। इससे पता चलता है कि देश के ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड की स्थिति कितनी कमजोर है।

Why decision to allot 100 Mb free data

ताकि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जा सके। TRAI का कहना है कि ऐसा करने के लिए दूरसंचार नेटवर्क को यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड से सब्सिडी दी जा सकती है और इस क्षेत्र में एग्रीगेटरों को भी इजाजत दी जा सकती है बशर्ते कि विषयवस्तु के मामले में वे कोई भेदभाव न करें।

Economic viability of this move

- राष्ट्रीय ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क समिति के अनुमान के मुताबिक वर्ष 2018-19 तक देश में 2.5 करोड़ नए इंटरनेट उपभोक्ताओं की मदद से 66,465 करोड़ रुपये के आर्थिक लाभ होंगे।
- **Private companies need not fear:** नेटवर्क कंपनियों को ट्राई की अनुशंसा से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए क्योंकि सब्सिडी का बोझ उनको नहीं वहन करना है। यह सरकार के यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड से आएगी।
- **Is it burdensome on government**: यह सब्सिडी सरकार को भी बहुत भारी नहीं पड़ेगी। ट्राई के मुताबिक कुछ नेटवर्क ने 10 पैसे प्रति एमबी की दर से वायरलेस ब्रॉडबैंड की सुविधा देनी शुरू कर दी है। ऐसे में योजना की लागत हर उपभोक्ता पर 10 रुपये मासिक आएगी। नियामक का कहना है कि देश के ग्रामीण इलाकों में पांच से छह करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हैं। ऐसे में इसकी मासिक लागत 50 से 60 करोड़ रुपये होगी। हाल में डाटा की दरों में आई गिरावट के बाद यह और कम हो सकती है।

Challenge of this decision:

- ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट फोन की कम पहुंच बड़ी बाधा बन सकती है।
- ट्राई खुद यह मानता है कि देश के कुल स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों में ग्रामीण उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी बमुश्किल 20 फीसदी है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट फोन की पहुंच 25 फीसदी से भी कम है।
- **Is 100 Mb enough?:** ट्राई ने यह आंकड़ा सिस्को की वर्ष 2015 की रिपोर्ट से लिया है जिसमें कहा गया था कि एक उपभोक्ता महीने में औसतन 150 एमबी डाटा खर्च करता है। इसलिए ट्राई को लग रहा है कि ग्रामीण इलाकों में मूलभूत डिजिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए 100 एमबी डाटा पर्याप्त होगा। इसमें डिजिटल वित्तीय लेनदेन भी शामिल है।
- **Other concern:** मुफ्त इंटरनेट का एग्रीगेटर मॉडल नेट निष्पक्षता के सिद्घांत का अतिक्रमण भी कर सकता है। उनका कहना है कि कुछ छोटे कारोबारियों के पास शायद इतने साधन नहीं हों कि वे एग्रीगेटर के पूल में खुद को रजिस्टर कर सकें। ऐसे में उन्हें बड़े कारोबारियों के समक्ष नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर एग्रीगेटर भारी भरकम प्रवेश शुल्क लगाता है तो यह स्थिति पैदा हो सकती है। यह काफी हद तक शून्य रेटिंग प्लान की तरह होगा जिसे ट्राई यह कहकर ठुकरा चुका है कि वह नेट निष्पक्षता के सिद्घांत के खिलाफ है। ये चिंताएं वास्तविक हैं। योजना के ब्योरे पर काम करते हुए ट्राई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एग्रीगेटर विषयवस्तु पर किसी भी तरह की रोक न लगा सके।

GENERAL STUDIES HINDI

6. झूठी खबरों के बारे में सचेत रहने की जरुरत

Why in news :

हाल में फेसबुक ने फर्जी खबरों के साथ निपटने के तरीकों की घोषणा की। इनमें विवादास्पद करार दी जाने वाली पोस्ट भी शामिल होंगी और उनकी पुष्टि के लिए तीसरे पक्ष को तथ्य जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। फेसबुक इस दिशा में भी प्रयास कर रहा है कि फर्जी जानकारियां देने वाली वेबसाइट उसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर विज्ञापनों के जरिये कमाई न कर सकें

what is concern of fake news :

- दरअसल सोशल साइट पर फैलाए जाने वाले जहर, झूठ और ध्रुवीकरण की कोशिशों से नकारात्मक सोच का प्रचालन बढ़ रहा है और झूठी खबरों के द्वारा क्षेत्र विशेष या किसी समूह में ध्रुवीकरण की कोशिश की जाती है | कई शोध पत्रों में भी इस प्रवृत्ति पर लगाम लगाने की जरूरत पर बल दिया गया है।
- वर्ष 2012 में पेश एक शोध पत्र मीडिया उपभोग की चहारदीवारी का जिक्र किया गया था। अब इस प्रवृत्ति के लिए कई शोधकर्ता 'इको चैंबर' शब्द का इस्तेमाल करते हैं।
- असल में, इस जगह पर लोग आपस में चर्चा करते हैं, समूह बनाते हैं और खबरों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। अगर-कोई उदारवादी सोच रखते हैं और अपनी ही तरह सोचने वाले लोगों के

साथ ऑनलाइन संवाद करते हैं तो इस बात की संभावना काफी कम है कि वो मध्यमार्गी, वामपंथी या दक्षिणपंथी सोच के विचार सुनने को मिले। संवाद कक्ष के एकसमान स्वभाव के चलते ध्रुवीकरण का जन्म होता है जो तेजी से बढ़ता जाता है।

हाल ही में फर्जी सूचनाओं की घटनाए :

पिछले कुछ वर्षों में फर्जी सूचनाओं और खबरों का प्रसार बढने से हालात और बिगड़े हैं।

- अमेरिका में नवंबर में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव के दौरान इस तरह की फर्जी खबरें देखने को मिलीं।
- कभी हिलेरी क्लिंटन को चुनाव का प्रबंधन करने वाली कंपनियों को पैसे देने की बात फैलाई गई तो कभी यह कहा गया कि पोप फ्रांसिस ने डॉनल्ड ट्रंप के पक्ष में मतदान की गुजारिश की है।
- बज़फीड के एक अध्ययन में पाया गया कि अमेरिकी चुनाव के ठीक पहले फेसबुक पर पोस्ट की गई फर्जी खबरों ने असली खबरों को पीछे छोड़ दिया था। फर्जी खबरें चलाने वाले एक ब्लॉगर पॉल हॉर्नर का मानना है कि ट्रंप की जीत में उनकी पोस्ट का भी थोड़ाबहुत योगदान रहा। बहुत कम राजनीत-िक अनुभव रखने वाले और दक्षिणपंथी सोच वाले कारोबारी ट्रंप की जीत से बहुतेरे अमेरिकी और वैश्विक नेता आशंकित हैं।

Does really fake news affect real world:

- ट्रंप के चुनाव या ब्रेक्सिट पर कराए गए जनमत संग्रह के पहले सोशल मीडिया पर जिस तरह से झूठ फैलाया गया, वह इस बात का सबूत है कि फर्जी खबरों का असल दुनिया पर असर पड़ता है।
- अब दुनिया भर की सरकारें फर्जी खबरों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही हैं।
- इसी पर बराक ओबामा ने इस बात को लेकर चिंता जताई कि प्रोपगेंडा और गंभीर बहस के बीच अंतर को अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो काफी गंभीर समस्या पैदा होगी।
- जर्मनी के सांसदों ने फेसबुक पर 24 घंटे के अंदर फर्जी खबर या नफरत फैलाने वाली टिप्पणियां न हटाने पर 5 लाख यूरो का जुर्माना लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा की है।

facebook का यह कदम क्या इंकित करता है :

फेसबुक का इस्तेमाल करने वालों की संख्या तो केवल 1.8 अरब ही है। लेकिन फेसबुक के इस कदम से पता चलता है कि फर्जी खबरों से खतरा होने की बात मान ली गई है और उस दिशा में कुछ शुरुआती कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं। फेसबुक ने अपनी पहल में ट्विटर, न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनएन को भी जोड़ा है ताकि सोशल मीडिया पर गलत जानकारियां फैलाने पर रोक लगाने के लिए पहला मसौदा तैयार किया जा सके।

भारत और fake news :

- भारत में फर्जी खबरों के प्रसार और उनके असर के बारे में अब तक कोई कारगर अध्ययन नहीं हुआ है। लेकिन इनका वजूद तो है।
- स्वतंत्रता आंदोलन के समय के नेताओं की अपुष्ट टिप्पणियां सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हैं। इसी तरह मौजूदा सियासी और सामाजिक मसलों के अलावा जानी-मानी हस्तियों के बारे में भी गलत सूचनाएं पोस्ट की जाती हैं।
- इंटरनेट खंगालने पर आपको दर्जनों ऐसी वेबसाइट दिख जाएंगी जो बिना किसी तथ्यपरकता के अपने विचारों को पेश करती हैं। उन रिपोर्ट में न तो सही तरह से शोध किया गया होता है और न ही किसी तरह की जांच-परख की जाती है। जबकि किसी भी अच्छे पत्रकारिता संगठन के लिए ये बुनियादी बातें होती हैं।

सचेत रहने की जरुरत और इसके लिए क्या किया जाए :

- किसी भी खबर को व्हाट्सऐप या अन्य प्लेटफॉर्म पर शेयर करने के पहले उसके स्रोत की पड़ताल जरूर कर लेनी चाहिए । पिछले महीने नोटबंदी का ऐलान होते ही सोशल मीडिया पर यह खबर छा गई थी कि 2,000 रुपये के नोट में चिप लगाई गई है जिससे उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। लेकिन सरकार ने इसे तत्काल खारिज कर दिया था।

- दूसरा, किसी भी समाचार, इतिहास से जुड़ी सामग्री और किसी गंभीर मसले से संबंधित सूचना को आगे बढ़ाते समय उसके स्रोत पर एक नजर जरूर डालना चाहिए । अगर उसका स्रोत नहीं मिल रहा है तो उसे आगे प्रेषित नहीं करना चाहिए
- तीसरा, कोशिश करनी चाहिए की कि किसी मुद्दे पर हर तरह के विचारों को जानने समझने का मौका- मिले।

National Issues

1. सिनेमाघरों में राष्ट्रगान

Why in news:

- सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर के सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है
- । शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस दौरान सिनेमा के परदे पर राष्ट्रध्वज मौजूद रहना चाहिए। मकसद देश के हर नागरिक में देशभक्ति की भावना जगाना है।
- साथ ही परदे पर राष्ट्रध्वज की तस्वीर भी दिखाई जानी चाहिए। जिस वक्त राष्ट्रगीत बज रहा हो, वहां उपस्थित लोगों का उसके सम्मान में खड़े रहना जरूरी है।
- इसके अलावा राष्ट्रगान का किसी भी रूप में व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसकी धुन को बदल कर गाने या फिर इसे नाटकीय प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए।

Argument of court

कुछ समय पहले जब सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य किए जाने को लेकर मांग उठी तो इस पर विवाद खड़े हो गए। कुछ लोगों का कहना था कि इस तरह राष्ट्रगान का अपमान होगा। कुछ लोगों ने इसे मान्यता के अनुकूल नहीं समझा। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि:

- अब वक्त आ गया है कि देश के नागरिकों को समझना होगा कि यह उनका देश है।
- उन्हें राष्ट्रगान का सम्मान करना होगा, क्योंकि यह संवैधानिक देशभक्ति से जुड़ा मामला है।
- लोगों को महसूस होना चाहिए कि वे अपने देश में हैं और यह हमारी मातृभूमि है। विदेशों में तो आप उनके हर प्रावधान का पालन करते हैं, मगर अपने देश में हर प्रावधान से दूर भागते हैं। '
- अदालत ने माना कि यह हर नागरिक का फर्ज है कि जब और जहां राष्ट्रगान गाया या प्रदर्शित किया जा रहा हो, वह उसके सम्मान में खड़ा हो जाए।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा भी है कि देश है तभी लोग स्वतंत्रता का लाभ ले पाते हैं। इसलिए राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रकट करने में उन्हें गुरेज क्यों होना चाहिए। दूसरे देशों में राष्ट्रगान को लेकर वहां के नागरिकों में ऐसा लापरवाही भरा रवैया नहीं देखा जाता, जैसा हमारे यहां होता है।

GENERAL STUDIES HINDI

Some view in opposition to SC View:

शीर्ष अदालत ने कहा, 'आजकल लोगों को पता नहीं कि राष्ट्रगान कैसे गाया जाता है और लोगों को यह सिखाना होगा'.इससे दो सवाल उठते हैं .

- **पहला सवाल न्यायपालिका के अपने दायरे से बाहर जाने का है** : न्यायपालिका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, का काम कानूनों की व्याख्या करना है, उन्हें बनाना नहीं लोकतंत्र .शक्तियों के इस बंटवारे पर खड़ा है लेकिन न्यायपालिका पर अगर अपने दायरे से बाहर जाकर काम करने के आरोप बहुत आम . हो गए हैं तो इसका कारण यही है कि न्यायपालिका अक्सर कार्यपालिका के अधिकारों में अतिक्रमण .करने लगी है
- **दूसरा नागरिकों से किसी बच्चे की तरह बर्ताव करने का**: अगर फिल्म से पहले सबको राष्ट्रगान गाने का आदेश हो गया है तो कल इसी तर्क पर हर क्रिकेट मैच या हर फ्लाइट के जमीन पर उतरने से पहले यह करने की मांग होने लगेगी जबर्दस्ती का राष्ट्रवाद-जोर .यह मूर्खतापूर्ण नहीं बल्कि गंभीर बात है . पहचान और व्यवहार के धरातल को अंतहीन रूप से समतल करने की मांग करता है इस तरह के राष्ट्रवाद .

राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ गुस्सा .को लोकतंत्र की विविधता नहीं भाती, दंड या तानाशाही नहीं बल्कि सुंदरता, श्रेष्ठता और सबका ख्याल भी होना चाहिएजबर्दस्ती करने की जरूर-अच्छी बात के लिए जोर .त नहीं होती जबर्दस्ती थोपा गया कोई गीत उतना मीठा नहीं लग सकता जितना वह जिसे आजादी के साथ . जब लोगों को राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाने के लिए मजबूर किया जाता है तो उनकी .गाया गया हो .वास्तविक भावनाएं इसके बिल्कुल उलट हो सकती हैं

Historical background:

सिनेमाघरों में राष्ट्रगान की परंपरा बहुत पुरानी है। साठ और सत्तर के दशक तक यह परंपरा बहुत समृद्ध थी। सिनेमाघरों मेंफिल्म खत्म होने के तुरंत बाद राष्ट्रगान होता था। धीरे धीरे इसमें क्षरण आया। सिनेमा खत्म होते ही- निकलने की जल्दबाजी में कई बार लोग ठहरकर खड़े नहीं होते थे या फिर भीड़ छंटने के इंतजार में बैठे रहते थे। इस तरह राष्ट्रगान का अपमान होता था। धीरेधीरे देशभक्ति का यह अनुष्ठान पहले कमजोर पड़ा-, फिर न जाने कब बंद हो गया। कुछ उत्साही लोगों की मांग पर महाराष्ट्र सरकार ने भी साल 2002 में राज्य के तमाम सिनेमाघरों में शो शुरू होने से पहले राष्ट्रगान का प्रदर्शन अनिवार्य कर दिया था।

कुछ एहतियात बरतने की जरुरत

- कुछ एहतियात_जिन पर ध्यान न देने के कारण एक परंपरा कई दशक पहले खत्म हो गई थी। हमें उस वक्त इस परंपरा के खत्म होने की वजहें भी तलाशनी होंगी।
- सोचना होगा कि राष्ट्रगान का एक नियम है, एक संस्कार है पूरे देश के सिनेमाघरों में इसे कैसे सुनिश्चित- किया जाएगा, क्योंकि यह वह देश है, जहां लोग ट्रेन पकड़ने से लेकर सिनेमा का शो देखने तक भागते- दौड़ते ही दिखाई देते हैं।
- यह कैसे सुनिश्चित होगा कि जिस वक्त परदे पर राष्ट्रगान चल रहा होगा, तब सारे लोग अपनी अपनी सीट- पर पहुंच चुके होंगे।
- सिनेमा तो इत्मीनान की चीज है, लेकिन सोचना होगा कि यह इत्मीनान राष्ट्रगान को कितना सम्मान दे पाएगा? यह भी सोचना होगा कि राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रप्रेम के चक्कर में हम कुछ ऐसा न कर बैठें कि फिर से साठ और सत्तर के दशक वाले हालात में वापस पहुंच जाएं।

2. 'फिक्स्ड डोज कॉम्बीनेशन) 'एफडीसी दवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाली केंद्र की (अधिसूचना खारिज क्यों खबरों में

दिल्ली हाईकोर्ट ने दवा कंपनियों को राहत देते हुए' फिक्स्ड डोज कॉम्बीनेशन) 'एफडीसी (दवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाली केंद्र की अधिसूचना को खारिज कर दिया है यह अधिसूचना इसी साल मार्च में जारी . केंद्र सरकार ने ऐसी |की गई थी344 दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की थी दवा कंपनियों . .ने इसकी वैधता को चुनौती दे दी थी

क्या होती है FDC (Fixed dose combination)

- एफडीसी दो या इससे अधिक दवाओं का एक निश्चित अनुपात में मेल होता है
- कोरेक्स, विक्स एक्शन-500, सेरेडॉन और डी कोल्ड टोटल जैसी दवाएं इसी वर्ग में आती हैं.
- कई एफसीडी बढ़िया काम करते हैं और वे सुरक्षित भी होते हैं .लेकिन भारत में इन दवाओं पर हुए एक अध्ययन में पाया गया कि यहां हजारों ऐसे एफडीसी भी मौजूद हैं जिनके फॉर्मूलेशन को राष्ट्रीय दवा नियामक यानी **द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन** ने कभी मंजूरी ही नहीं दी .

पक्ष और विपक्ष

सरकार ने दलील दी थी कि इन दवाओं पर प्रतिबंध जनहित में लगाया गया है क्योंकि ये सेहत के लिए सुरक्षित नहीं हैं और दुनिया के अन्य देशों में भी इन पर रोक है इस पर अदालत ने कहा कि सरकार . -औषधि और प्रसाधन अधिनियम की धारा26 (ए की शक्तियों का इस्तेमाल तभी कर सकती है जब कोई (

उत्पाद उपभोक्ता के लिए जोखिम पैदाकर रहा हो दवा कंपनियों ने अपनी याचिकाओं में सरकार द्वारा . -धारा26 (ए.की शक्तियों के इस्तेमाल को चुनौती दी थी (

भारत और FDC

भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एफडीसी को नई चीज माना जाता है और इन्हें खूब प्रमोट किया जाता हैये दवाएं ज्यादातर होलसेलरों ., केमिस्टों और अपनी डिस्पेंसरी खोलकर बैठे डॉक्टरों के पास मिलती हैं|इनमें से कुछ अस्पतालों में भी इस्तेमाल होती हैं . कई साल तक इस मुद्दे पर किसी का ध्यान नहीं गयाफिर .,

- 2007 में राष्ट्रीय नियामक ने ऐसी 294 दवाओं पर बैन लगा दिया वजह बताई गई कि उन्हें सिर्फ . मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिला था, मार्केटिंग की मंजूरी नहीं
- ये दवाएं बनाने वाली कंपनियां अदालत गईं और अदालत में मामला अब भी लटका हुआ है .
- केंद्र सरकार ने नियामक के मानदंड और क्षमताओं की पड़ताल करने के लिए एक कमेटी बनाई थी .2012 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और एफडीसी की मंजूरियों सहित कई मोर्चों पर खामियों को रेखांकित किया.
- कमेटी ने पाया कि राज्य स्तर की एजेंसियां ऐसे नए फॉर्मूलेशनों के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दे रही थीं जिन्हें कभी मंजूरी ही नहीं दी गई | रिपोर्ट के शब्दों में इसका नतीजा यह है' कि बाजार म‍ें मौजूद कई एफडीसी की यह जांच ही नहीं हुई है कि वे कितने असरदार और सुरक्षित हैंयह म .रीजों के लिए खतरनाक हो सकता है| कई फॉर्मूलेशन तो मेडिकल साइंस के हिसाब से जरूरी भी नहीं थे.

बिना किसी मंजूरी के बाजार में इतने सारे एफडीसी क्यों हैं

इसके बारे में रिपोर्ट में एक संभावना जताई गई थी इसके मुताबिक नई दवाओं से संबंधित कानून में मई . 2002 में हुए बदलाव से पहले कुछ अस्पष्टता थी और हो सकता है इसकी वजह से इस चलन को प्रोत्साहन मिला हो.

Need to overhaul pharmaceutical laws

दवाओं के एक बड़े निर्यातक भारत में दवाइयों से संबंधित नियम कानूनों में आमूलचूल बदलाव की-जिन एफडीसी को मंजूरी नहीं मिली है उन्हें बैन किया जाना चाहिए और उनकी जगह मरीजों .जरूरत है कानून आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान-भारत में दवाइयों के नियम .को दूसरी दवाइयां दी जानी चाहिए में रखकर बनने चाहिए न कि दवा निर्माताओं के व्यावसायिक हितों के हिसाब से.

3. बच्चो के विद्यालयों में पहुँचाने के लिए परिवहन की समस्या

बीते कुछ साल के दौरान आम आदमी शिक्षा के प्रति जागरूक हुआ है, स्कूलों में बच्चों का पंजीकरण बढ़ा है। साथ ही स्कूल में ब्लैक बोर्ड, शौचालय, बिजली, पुस्तकालय जैसे मसलों से लोगों के सरोकार बढ़े हैं।

A serious issue which need to be given attention:

जो सबसे गंभीर मसला है कि बच्चे स्कूल तक सुरक्षित कैसे पहुंचें, इस पर न तो सरकारी और न ही सामाजिक स्तर पर कोई विचार हो रहा है। आए दिन देश भर से स्कूल आ जा रहे बच्चों की जान जोखिम-में पड़ने केदर्दनाक वाकये सुनाई देते हैं।

- विडम्बना यह है की परिवहन को अक्सर पुलिस की ही तरह खाकी वर्दी पहनने वाले परिवहन विभाग का मसला मानकर उससे मुंह मोड़ लिया जाता है।
- पटना, लखनऊ जैसे राजधानी वाले शहर ही नहीं, मेरठ, भागलपुर या इंदौर जैसे हजारों शहरों से लेकर कस्बों तक स्कूलों में बच्चों की आमद जिस तरह से बढ़ी है, उसको देखते हुए बच्चों के सुरक्षित, सहज और सस्ते आवागमन पर जिस तरह की नीति की जरूरत है, वह नदारद है।
- 52 सीट वाली बसों में 80 तक बच्चे बैठा लिए जाते हैं।

- यह भी गौर करना जरूरी है कि अधिकांश स्कूलों के लिए निजी बसों को किराये पर लेकर बच्चों की ढुलाई करवाना एक अच्छा मुनाफे का सौदा है। ऐसी बसें स्कूल करने के बाद किसी रूट पर चार्टेड की तरह चलती हैं। तभी बच्चों को उतारना और फिर जल्दी जल्दी अपनी अगली ट्रिप-करने की फिराक में ये बसवाले यह ध्यान ही नहीं रखते हैं कि बच्चों का परिवहन कितना संवेदनशील मसला होता है।
- ऐसे स्कूल कड़ाके की ठंड में भी अपना समय नहीं बदलते हैं, क्योंकि इससे उनकी बसों को देर होगी और इन हालात में वे अपने अगले अनुबंध पर नहीं पहुंच सकेंगे।

क्या कदम आवश्यक :

छोटे शहरों में भी वाहनों की बेतहाशा वृद्धि हुई है। जब सरकार स्कूलों में पंजीयन, शिक्षा की गुणवत्ता, स्कूल परिसर को मनोरंजक और आधुनिक बनाने जैसे कार्य कर रही है, तो बच्चों के स्कूल तक पहुंचने की प्रक्रिया को निरापद बनाना भी प्राथमिकता की सूची में होना चाहिए। इस दिशा में बच्चों के आवागमन के लिए सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करना, स्कूली बच्चों के लिए प्रयुक्त वाहनों में ओवरलोडिंग या अधिक रफ्तार से चलाने पर कड़ी सजा का प्रावधान करना जैसे जरूरी काम तो होने ही चाहिए, साथ ही साइकिल रिक्शा जैसे असुरक्षित साधनों पर या तो रोक लगाने या उसके लिए कड़े मानदंड तय किए जाने चाहिए।

4.कैसे जड़ी बूटियाँ हो सकती है छोटे किसानो के समावेशी विकास में सहायक

देश में औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती छोटे किसानों के लिए क्रांतिकारी कदम हो सकती है। इससे उन किसानों की अतिरिक्त आमदनी हो सकती है जो खासकर असिंचित और खराब गुणवत्ता वाली जमीन पर खेती करते हैं। इनमें से अधिकांश पौधों का इस्तेमाल परंपरागत और निर्धारित औषधि, प्रसाधन सामग्री और इत्र बनाने में होता है।

- इन्हें उपजाने में ज्यादा नकद राशि की जरूरत नहीं होती है।
- ये पौधे सूखा, अत्यधिक तापमान और यहां तक कि मिट्टी के खारेपन और क्षारीयता को भी सहने में सक्षम होते हैं।
- इन पौधों को दूसरी कृषि फसलों और बागवानी फसलों के साथ उगाने की सलाह दी जाती है क्योंकि बंदर और आवारा पशुओं के साथ-साथ जंगली जानवर भी इनसे दूर रहते हैं और इस तरह उनसे फसल को बचाया जा सकता है।

Market of these product

विश्व स्वास्थ्य संगठन) डब्ल्यूएचओ (का कहना है कि विकासशील देशों में करीब 80 फीसदी लोग अपनी स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए जड़ी बूटी आधारित दवाओं पर निर्भर हैं। सदियों पुरानी चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी में जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है। होम्योपैथी दवाओं और करीब 40 फीसदी आधुनिक दवाओं में भी पेड़पौधों से निकाले गए तत्त्वों का इस्तेमाल होता है।-

- दुनिया में औषधीय और सुगंधित पौधों और उनके उत्पादों की वैश्विक मांग सालाना 15 फीसदी की दर से बढ़ रही है।
- विश्लेषकों का मानना है कि 2050 तक जड़ी बूटियों से बने उत्पादों का बाजार 5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकता है। आधुनिक दवाओं के दुष्प्रभावों के कारण इन उत्पादों की मांग बढ़ रही है।

Position of India

भारत के पास जड़ी बूटियों का भंडार है और उसे दुनिया का हर्बेरियम कहा जाता है लेकिन फिर भी इन उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी बहुत कम है।

- भारत दुनिया के उन 12 देशों में शामिल है जहां अपार जैव विविधता है। दुनिया में अपार जैव विविधता वाले 18 क्षेत्र हैं जिनमें से दो भारत में हैं।

- भारत में 960 तरह की जड़ी बूटियों का व्यापार होता है लेकिन उनमें से केवल 35-40 की ही व्यावसायिक खेती होती है।
- बाकी जड़ी बूटियां जंगलों से एकत्र की जाती हैं जिसके कारण वन्य भंडार तेजी से कम हो रहा है।
- इन जड़ी बूटियां का दोहन बेतरतीब ढंग से किया जा रहा है जिससे उनके दोबारा उगने की संभावना कम है।
- करीब पांच लाख किसान मेंथा या मेंथॉल के लिए पुदीने की खेती कर रहे हैं। इसका सालाना कारोबार 3,500 करोड़ रुपये है। भारत दुनिया में पुदीने का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। साथ ही भारत आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले एक अन्य हर्बल उत्पाद इसबगोल का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। इसबगोल के वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी 80 फीसदी है। इसके अलावा देश सनाय और पोस्तदाना की भी भारत में खेती की जाती है।
- राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी ने इस साल मई में एक नीति दस्तावेज जारी किया (एनएएएस) जिसमें जंगलों में पाए जाने वाले औषधीय और सुगंधित पौधों की लूट के खिलाफ आगाह किया गया है।
- माना जा रहा है कि अगले दो वर्षो में इन मूल्यवान फसलों की खेती के लिए कम से कम 6,000 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन का इंतजाम किया जा सकता है और प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये से 75,000 रुपये की कमाई हो सकती है। अगर यह पहल सफल हुई तो इससे छोटे किसानों के दिन फिर सकते हैं।
-

क्या कदम उठाने की जरुरत

- राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी) एनएएएस (संस्थान का मानना है कि इन जड़ी बूटियों को जंगलों से एकत्र करने के बजाय उगाया जाना चाहिए।
- इनमें से कई प्रजातियों को बहुत कम लागत पर एकल, मिश्रित या दूसरी कृषि फसलों और बागवानी फसलों के साथ अंतरफसल के रूप में उगाया जा सकता है।- इससे किसानों की अतिरिक्त आमदनी होगी।
- राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी ने औषधीय और सुगंधित पौधों तथा उनके उत्पादों को कच्चे माल के रूप में निर्यात करने के बजाय उनका अंतिम उत्पाद बनाने पर जोर दिया है। इसके लिए उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच आपसी फायदे के लिए संपर्क व्यवस्था बनाने की जरूरत है।

GENERAL STUDIES HINDI

इस और कदम

हाल में एरोमा ऐंड फाइटो-फार्मास्यूटिकल मिशन की स्थापना की गई है। इसका मकसद बंजर, सीमांत और बेकार पड़ी जमीन पर अहम सुगंधित और औषधीय पौधों की खेती तथा उनके उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है।

Potential geographic areas

- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में जड़ी बूटी की खेती की अच्छी संभावना है। इनमें से अधिकांश राज्य लेवेंडर, मेंहदी, नीबू घास, अश्वगंधा, सतावर और दूसरी कई जड़ी बूटियों की खेती कर सकते हैं

5. अग्नि-5 का सफल परिक्षण : आधी दुनिया इसकी जद में

=>**सफल परिक्षण का विश्लेषण और महत्त्व**

- मान्यता है कि अत्याधुनिक अस्त्र-शस्त्र व परमाणु शक्ति संपन्नता युद्ध टालने का सबब बनती है। तर्क दिया जाता है कि भारत-पाक के बीच चरम तनाव के बाद युद्ध का टलना दोनों देशों का परमाणु शक्ति संपन्न होना ही है।
- शायद यही वजह है कि हाल के दिनों में सफलतापूर्वक छोड़ी गई भारत की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-पांच को भारत ने शांति अस्त्र नाम दिया है। यह हमारे मिसाइल वैज्ञानिकों की बड़ी कामयाबी है।
- लगभग छह हजार किलोमीटर तक मारक क्षमता रखने वाली मिसाइल चीन की चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। अब तक की कम दूरी की मारक अग्नि परिवार की एक, दो, तीन, चार तथा धनुष व पृथ्वी मिसाइलें पाकिस्तान की चुनौती के मुकाबले को ध्यान में रखकर तैयार की गई थीं। अब एशिया व यूरोप इस मिसाइल के दायरे में होंगे।
- सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मिसाइल परमाणु शस्त्र ले जाने में सक्षम है और शत्रु की पकड़ में आने से बचने के लिए उन्नत तकनीक से लैस है।
- डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ द्वारा तैयार मिसाइल 85 फीसदी स्वदेशी है।
- सतह से सतह में मार करने वाली इस मिसाइल के सफल प्रक्षेपण के बाद भारत सुपर एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो गया है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस व रूस जैसे देश शामिल हैं।

- ध्यान रहे कि भारत इसी साल 35 देशों वाले मिसाइल टेक्नॉलाजी कंट्रोल रिजीम यानी एमटीसीआर ग्रुप में शामिल हुआ है। दरअसल एमटीसीआर मानवरहित परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों की निगरानी करता है।
- भारत पहले ही सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से लैस है। कुछ समय बाद अग्नि-पांच को भारतीय सेना में शामिल कर लिया जायेगा। हालांकि अभी अग्नि-छह का परीक्षण प्रारंभिक दौर में है।
- यद्यपि डीआरडीओ अग्नि-पांच को पांच हजार आठ सौ किलोमीटर तक सटीक मारक क्षमता वाला अस्त्र बता रहा है, वहीं चीनी विशेषज्ञों का मानना है कि अग्नि-पांच की क्षमता आठ हजार किलोमीटर तक है।
- बहरहाल, अग्नि-पांच का सफल परीक्षण जहां देश के वैज्ञानिकों की मेधा को प्रतिस्थापित करता है, वहीं क्षेत्र में शक्ति संतुलन कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस उपलब्धि पर हर कोई भारतीय गर्व कर सकता है कि हमने यह लक्ष्य स्वदेशी तकनीक और भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा से हासिल किया।
- नि:संदेह इस परीक्षण से भारत की मिसाइल शक्ति में वृद्धि ही हुई है। जब यह सेना में शामिल होगी तो सेना का मनोबल भी बढ़ेगा। वक्त के साथ अब परंपरागत युद्ध का स्थान आधुनिक तकनीक व परमाणु शक्ति ने ले लिया है। हम अपनी संप्रभुता व स्वतंत्रता की रक्षा तभी कर पायेंगे जब उन्नत अस्त्र-शस्त्रों से लैस होंगे।

6. मुश्किल में मणिपुर : नाकेबंदी से बदहाल जिंदगी

-मणिपुर दोहरी मार झेल रहा है, नाकेबंदी और नोटबंदी।

- सरकारों की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिये कि इस संवदेनशील राज्य में नाकेबंदी को दो माह होने को हैं। मगर न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार इस विकट स्थिति का समाधान तलाशती नजर आ रही है।

- इस आपराधिक लापरवाही के मूल में विशुद्ध राजनीति है। अगले साल के शुरू के महीनों में राज्य में चुनाव होने हैं। राज्य में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में मणिपुर में अपनी जमीन के विस्तार को आतुर भाजपा। हालांकि राज्य के दो भाजपा विधायकों में से एक ने खिन्न होकर भाजपा छोड़ने का ऐलान कर दिया था। बहरहाल आज भी राज्य के हालात काबू से बाहर हैं।
- - केंद्र ने पहले राज्य सरकार की मांग पर चार हजार केंद्रीय सुरक्षा बल भेजे थे और चार हजार और भेज रही है। दरअसल राज्य में कांग्रेस की सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिये सात नये जिले बनाने की घोषणा की, जिसके विरोध में यूएनसी यानी यूनाइटेड नगा काउंसिल ने राज्य के जीवन मार्ग कहे जाने वाले एन.एच-2 और एन.एच 37 की नाकेबंदी कर दी।

=>**नाकेबंदी का कारण :-**

- दरअसल मणिपुर का नगा समुदाय नब्बे प्रतिशत इलाके वाले पर्वतीय क्षेत्र में रहता है। जबकि घाटी के इलाके में दस प्रतिशत क्षेत्र ही हैं, जिसमें मेतेई समुदाय का अधिक्य है। मगर नौकरशाही व सरकार में इस समुदाय का वर्चस्व है।
- नगा समुदाय का मानना है कि जिन सात नये जिलों का गठन किया जा रहा है, वह नगा बहुल इलाकों की जनसांख्यिकी बदलने का षड्यंत्र है। जिसके जरिये मणिपुर की इबोबी सिंह सरकार राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है।
- नाकेबंदी से राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों की भारी किल्लत है। कर्फ्यू और नोटबंदी के बीच गैस, पेट्रोल व खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं। वैसे राज्य में नाकेबंदी का हथियार जब-तब प्रयोग किया जाता रहा है। वर्ष 2011 में कुकी समुदाय की नाकेबंदी सौ दिन तक चली थी।
- जनता की दिक्कतों को देखते हुए केंद्र व राज्य सरकार को पहल करके नाकेबंदी खुलवाने का प्रयास करना चाहिये। यूएनसी यानी यूनाइटेड नगा काउंसिल चरमपंथी संगठन एनएससीएन (इसाक-मुइवा) के इशारे पर चलता है जो लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में रहता है। इसका उपयोग केंद्र सरकार राज्य में शांति बहाली व राष्ट्रीय राजमार्ग खुलवाने में कर सकती है। इसमें देरी जनता की मुश्किलों को बढ़ाने वाली ही होगी।

Security issues

1. डिजिटल पेमेंट और साइबर सुरक्षा

एक तरफ सरकार डिजिटल इंडिया और कैशलेस इकॉनमी की तरफ कदम बढ़ा रही है, जबकि दूसरी तरफ साइबर सुरक्षा पर खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी साइबर सिक्यॉरिटी कंपनी 'फायर आई' ने दावा किया है कि कुछ ठगों ने भारत के 26 बैंकों के कई ग्राहकों की खुफिया जानकारी उड़ा ली है।

- 2017 सिक्यॉरिटी लैंडस्केप एशिया-पेसिफिक की अपनी रिपोर्ट में कंपनी का कहना है कि आने वाले सालों में भारत दुनिया में फिशिंग, हैकिंग और ऑनलाइन ठगी के मामले में सबसे ज्यादा निशाने पर रहने वाला है। जाहिर है साइबर सिक्यॉरिटी को मजबूत करना हमारी सबसे बड़ी चुनौती है।
- हमारे बैंकिंग सिस्टम के लिए फिशिंग कोई नई बात नहीं है। गाहे-बगाहे ठगी की ऐसी साइट्स पकड़ में आती रही हैं। इन्हें रोका जा सकता है और बैंकिंग सिस्टम को हैकिंग व फिशिंग जैसे खतरों से बचाया भी जा सकता है, बशर्ते इस दिशा में पुख्ता तैयारियां हों।
- भारत सरकार ने इस दिशा में काफी देर से सोचना शुरू किया और बस तीन साल पहले सन 2013 में देश की पहली साइबर सुरक्षा पॉलिसी बनी। इसके बाद इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर से लेकर टेलीकम्युनिकेशन और रक्षा क्षेत्र में काफी काम भी हुआ। लेकिन चीन और रूस के हैकरों की कारस्तानियों को देखते हुए इस तरह की तैयारियां और सेटअप आज तकरीबन आउटडेटेड ही मानी जाएंगी।

- हर साल संसद में बताया जाता है कि इस वर्ष एक हजार सरकारी वेबसाइट्स हैक हुईं तो पिछले साल डेढ़ हजार हुई थीं। वर्ष 2015 में राज्यसभा में बताया गया कि साइबर अटैक के खतरों से निपटने के लिए नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर भी बनाया जाना है, जिसे मंत्रालय की स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन यह अभी तक नहीं बना है।
- अभी हमारे देश में भारी संख्या में आउटडेटेड कंप्यूटर सिस्टम चल रहे हैं जो साइबर ठगों का सबसे आसान टारगेट हैं। यही हाल मोबाइल फोन के सेटों में है। लोग सस्ते मोबाइल फोन से ही काम चलाते हैं जिनकी सुरक्षा व्यवस्था में लगातार झोल पकड़े जाते रहे हैं।

हमारी साइबर सिक्यॉरिटी की व्यवस्था सुस्त सरकारी तंत्र में घटिया कोऑर्डिनेशन का शिकार है। रही-सही कसर घटिया क्वालिटी के कंप्यूटर और मोबाइल पूरी कर दे रहे हैं। सरकार साइबर सुरक्षा को अपने अजेंडे में सबसे ऊपर रखे और इसके लिए हरसंभव उपाय करे।

2. मणिपुर में जारी नाकेबंदी

मणिपुर में जारी नाकेबंदी को बावन दिन हो गए हैं। राज्य में इस नाकेबंदी ने चौतरफा संकट पैदा किया है।

Why this blockade:

मणिपुर में यूनाइटेड नगा काउंसिल की ओर से नये जिले बनाने के विरोध में यह आर्थिक नाकाबंदी चालु की गई है | मणिपुर में नए जिलों के गठन की मांग बहुत पुरानी है लेकिन तमाम सरकारें अशांति के . अंदेशे से पांव पीछे खींचती रही हैं |

- इस साल राज्य में प्रशासनिक सहूलियत के लिहाज से सरकार ने सात नए जिलों के गठन का फैसला किया था.
- लेकिन खासकर सदर हिल्स, जिसका नया नाम अब कांगपोक्पी हो गया है, को जिले का दर्जा देने के सवाल पर राज्य की नगा जनजाति ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया.
- नागा समुदाय और नागा संगठनों ने ये कहते हुए इसका विरोध किया कि वो ऐतिहासिक तौर पर नागा इलाक़े हैं और उनके प्रस्तावित ग्रेटर नागालिम का हिस्सा हैं.

भौगोलिक स्थति

यूनाइटेड नगा काउंसिल ने दो राजमार्गों -**एनएच-2 (इंफल(दीमापुर-** और **एनएच-37** (इंफल-पर आवाजाही रोक रखी है। ये दोनों राजमार्ग -(जिरिबाम, जो कि बाहरी दुनिया से मणिपुर को जोड़ते हैं, राज्य की जीवनरेखा कहे जाते हैं। इन पर आवाजाही ठप रहने से राज्य को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। खाद्य पदार्थों से लेकर ईंधन तक, रोजमर्रा की जरूरत की सारी चीजें मुहाल हो गई हैं।

GENERAL STUDIES HINDI

मणिपर के लिए नाकाबंदी कोई नया अनुभव नहीं है। अपनी किसी मांग की खातिर दबाव बनाने के एक हथियार की तरह इसका इस्तेमाल कई बार हो चुका है। वर्ष 2011 में तो कुकी संगठनों की तरफ से हुई नाकाबंदी सौ दिन से ज्यादा चली थी, और बदले में फिर नगाओं ने भी वैसा ही किया था। दबाव डालने के ऐसे हथकंडों से किसी समस्या का हल तो कभी नहीं निकला है न निकल सकता है, उलटे राज्य में तरह-तरह का ध्रुवीकरण जरूर होता रहा है।

Social issues

1.विश्व में भुखमरी

- वैश्विक भूख सूचकांक की रिपोर्ट ने भारत की बहुत शर्मनाक तस्वीर पेश की है। दुनिया भर के 118 देशों में भुखमरी और कुपोषण को ध्यान में रखकर तैयार की जाने वाली इस सूची में भारत 97 वें स्थान पर है।

- इसमें जिन देशों की स्थिति भारत से बेहद खराब है, उनमें चाड, इथोपिया, सिएरा लियोन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी शामिल हैं। भारत के दूसरे पड़ोसियों की स्थिति बेहतर है। मिसाल के तौर पर नेपाल 72वें नंबर है जबकि म्यांमा 75वें, श्रीलंका 84वें और बांग्लादेश 90वें स्थान पर है।
- भूख का जहां तक सवाल है, तो ताजा आंकड़े बताते हैं कि एशियाई देशों में सबसे ज्यादा बुरी हालत पाकिस्तान और भारत की है।

रोज भूखे पेट सोते हैं
80 करोड़ लोग

कुपोषण की समस्या दुनिया में अपनी जड़ें गहरी कर रही है। इसके चलते एक अरब लोग मोटापे के शिकार हो रहे हैं तो बड़ी संख्या में लोग दाने-दाने को मोहताज हैं। 80 करोड़ लोग हर रात भूखे पेट सोने को अभिशप्त हैं। यह हालात तब हैं जब कि दुनिया में सालाना एक अरब टन से ज्यादा खाद्य सामग्री बर्बाद होती है। संयुक्त राष्ट्र ने शुक्रवार को इस संबंध में एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक कुपोषण की समस्या को अगर समय रहते नहीं रोका गया तो 2035 तक दुनिया की आधी आबादी इसकी चपेट में होगी।

बड़ी चपत

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक दुनिया की एक तिहाई आबादी कुपोषित है। इनके स्वास्थ्य सेवाओं और उत्पादकता में नुकसान के रूप में सालाना 3.5 लाख करोड़ डॉलर की चपत लग रही है।

1.5 अरब
बच्चे जिनका कद उनकी आयु के हिसाब से छोटा रह गया

1.9 अरब
मोटापाग्रस्त लोग

गरीब देशों का बुरा हाल

भुखमरी के शिकार कुल लोगों में से 78 करोड़ लोग विकासशील देशों में रहते हैं। इसमें से 51 करोड़ लोग एशिया में और 23 करोड़ लोग अफ्रीका के रहने वाले हैं।

2 अरब
पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे कुपोषण के शिकार

60 करोड़
अति मोटापाग्रस्त

अन्न की बर्बादी

दुनिया में सालाना 1.3 अरब टन अन्न की वैश्विक बर्बादी होती है। विकसित देशों में इसके कारण 680 अरब डॉलर और विकासशील देशों में 310 अरब डॉलर का नुकसान होता है।

अमीरों की लापरवाही

अमीर देश भोजन के सदुपयोग में लापरवाही बरतते हैं। इन देशों में सालाना 22 करोड़ टन भोजन बर्बाद होता है। जबकि उप सहारा अफ्रीका में सालाना 23 करोड़ टन अनाज पैदा किया जाता है।

बढ़ाना होगा उत्पादन

2050 तक दुनिया की आबादी 9 अरब संभावित है। इसे भोजन उपलब्ध कराने के लिए विश्व बैंक ने वैश्विक कृषि उत्पादन 60 फीसद बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल करीब 30 फीसद उत्पादित अनाज हर साल बर्बाद हो जाता है। भोजन का उत्पादन बढ़ाने से पहले बर्बादी को रोकना जरूरी होगा अन्यथा भविष्य में भुखमरी में इजाफा हो सकता है।

क्या है वैश्विक भूख अंक (Global hunger index)

- ये सूची कुपोषित आबादी, पांच से कम उम्र के कुपोषित बच्चे और इसी आयु वर्ग की शिशु मृत्यु दर के आधार पर बनाई जाती है।
- वैश्विक भूख अंक ज्यादा होने का मतलब है उस देश में भूख की समस्या (ग्लोबर हंगर स्कोर) अधिक है। उसी तरह किसी देश का अंक अगर कम होता है तो उसका मतलब है कि वहां स्थिति बेहतर है।
- यह रिपोर्ट इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीच्यूट और दो स्वयं सेवी संगठनों वेल्थ हंगर-लाइफ और कंसर्न वर्ल्डवाइड ने मिलकर तैयार की है।
- रिपोर्ट के लिए 118 विकासशील देशों के बारे में अध्ययन किया गया है।
- **इसे नापने के चार मुख्य पैमाने हैं** -
  - कुपोषण,
  - शिशुओं में भयंकर कुपोषण,
  - बच्चों के विकास में रुकावट और
  - बाल मृत्यु दर।
- इस सूचकांक के जरिए विश्व भर में भूख के खिलाफ चल रहे अभियान की उपलब्धियों और नाकामियों को दर्शाया जाता है।
- इस बार से रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावित 2030 के एजेंडे से भी जोड़ा गया है जिसमें जीरो' का लक्ष्य रखा गया है। 'हंगर

2. भारत और ग्लोबर हंगर index

- भारत में करीब बीस करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं।
- यह भुखमरी खाद्यान्न की कमी के कारण नहीं बल्कि खाद्यान्न की बर्बादी और भ्रष्टाचार की वजह से भी है। लालफीताशाही की और भ्रष्टाचार की वजह से देश में करोड़ों लोग भुखमरी की गिरफ्त में है।

- संस्था के आकलन के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के प्रतिशत के लिहाज से भारत की स्थिति केवल अफ्रीका के सब सहारा देशों से ही बेहतर है।-
- विश्वबैंक की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में 2013 में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की सबसे अधिक संख्या भारत में थी। रिपोर्ट के अनुसार उस साल भारत की तीस प्रतिशत आबादी की औसत दैनिक आय बहुत कम थी और दुनिया के एक तिहाई गरीब भारत में थे। यह संख्या नाइजीरिया के 8.6 करोड़ गरीबों की संख्या के ढाई गुणा से भी अधिक है। नाइजरिया दुनिया में गरीबों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है।

An analysis of Hunger in India:

- भारत में गरीबी उन्मूलन और विकास के लिए सैकड़ों योजनाएं हैं, लेकिन आजादी के 69 साल बाद भी देश की एक तिहाई आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजारा कर रही है।
- गरीबी एक बीमारी की तरह है जिससे अन्य समस्याएं जैसे अपराध, धीमा विकास आदि जुड़ा है । भारत में अब भी ऐसे कई लोग हैं जो सड़कों पर रहते हैं और एक समय के भोजन के लिए भी पूरा दिन भीख मांगते हैं।
- गरीब बच्चे स्कूल जाने में असमर्थ हैं और यदि जाते भी हैं तो एक साल में ही छोड़ भी देते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग गंदी हालत में रहते हैं और बीमारियों का शिकार बनते हैं।
- इसके साथ खराब सेहत, शिक्षा की कमी और बढ़ती गरीबी का यह दुश्चक्र चलता रहता है।
- खेती पर निर्भर देश की पैंसठ फीसद आबादी का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा घटकर सत्रह फीसद हो गया।
- आर्थिक विकास के इस दर्शन ने धनी और गरीब, कृषि एवं उद्योग के बीच के अंतर को बढ़ाया है। इससे गांवों और शहरों के बीच की भी खाई चौड़ी हुई है। तीन चार साल के भीतर चीजों के-दाम आसमान छूने लगे हैं। हर चीज में पचास से सौ प्रतिशत तक मूल्य वृद्धि हो चुकी है; केवल किसानों की उपज और मजदूरों की मजदूरी छोड़ कर। भारत में लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, शिक्षा, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उसकी पहुंच से दूर हो गई हैं। निचले स्तर पर अभी देश में हर स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसकी वजह से सरकारी सुविधाओं का फायदा भी ठीक तरह से आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है।

Liberalization and Hunger in India

- देश में आर्थिक उदारीकरण के बाद के बाद एक खास तबके का जबर्दस्त विकास हुआ है जबकि बाकी लोग पिछड़ते चले गए।
- वर्तमान आर्थिक नीतियों और उदारीकरण के कारण देश में कुछ लोग अपार संपत्ति के मालिक बन गए, जबकि अधिकांश जनता गरीबी में जीवन बसर कर रही है। उसे न तो भरपेट भोजन मिल रहा है और न न्यूनतम मजदूरी।
- बुनियादी जरूरतों के लिए एक आम आदमी को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है। देश में खेती-किसानी के हालत बहुत खराब है और देश में किसान आए दिन आत्महत्या करने को मजबूर हैं। आजादी के बाद से अब तक कोई भी सरकार ग्रामीण स्तर पर कृषि को ठीक से प्रोत्साहित नहीं कर पाई, न ही कृषि को जीविकोपार्जन का प्रमुख माध्यम बना पाई, जबकि देश के करोड़ों लोग आज भी कृषि पर ही निर्भर हैं।
- **Growth v/s development paradigm**: आज लगभग हर क्षेत्र में भारत अच्छी तरक्की कर रहा है। हमारी क्षमता का लोहा सारी दुनिया मान रही है। लेकिन इतनी तरक्की होने के बावजूद भारत आज भी गरीब राष्ट्रों में शुमार है। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए गरीबी एक अभिशाप बनकर उभरी है। इसलिए राष्ट्रहित में यह आवश्यक है की गरीबी का उन्मूलन किया जाए। आज जीडीपी के आंकड़े सिर्फ कागजों तक सीमित है ।
- असल में तो आज भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग चालीस से पचास रुपए रोजाना कमाते हैं। उनका जीवनस्तर काफी निम्न है। उन्हें दो वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है।

http://gshindi.com

- देश की एक तिहाई आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है।

Corruption and failure of schemes:

विश्व संस्थाएं, विश्व बैंक आदि भी निर्धनता दूर करने के लिए काफी मदद करते है। लेकिन वह मदद भ्रष्टाचार के कारण गरीबों तक नहीं पहुंच पाती। इसके कारण उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इससे निपटने के लिए सबसे पहले सरकार को भ्रष्टाचार दूर करना पड़ेगा। तभी सही मायने में गरीबी का उन्मूलन होगा। इसके लिए सरकार के साथ साथ जनता का भी फर्ज बनता है कि अपनी कमाई का छोटा-सा हिस्सा गरीबो को देना चाहिए। तभी हम इस स्थिति सेनिपट सकते हैं।

आज भी देश में हालत ऐसे है कि आम आदमी की सुनने वाला कोई नहीं है। सरकारी विभागों में लालफीताशाही इतनी हावी है कि वह अपने छोटे छोटे कामों और दो वक्त की रोटी के लिए दर दर भटकता रहता है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं पर गरीब को कभी सही लाभ नहीं मिल पाता और अधिकांश योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है । देश में दिख रहा कागजी और तथाकथित विकास किसके लिए है और किसको लाभ पहुंचा रहा है, यह एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है, हम सब के सामने क्योंकि सच तो यह है कि देश के अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक सभी वर्ग के लिए फिलहाल दो वक्त की रोटी जुटा पाना ही उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है।

3. तीन तलाक मुस्लिम महिलाओ के साथ क्रूरता

क्या कहा कोर्ट ने

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ट्रिपल तलाक) तीन तलाक (मुस्लिम महिलाओं के साथ क्रूरता है। यह समाज व देश के हित में नहीं है। यह महिलाओं को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के खिलाफ है। भारत को एक राष्ट्र बनाने में बाधक है।

- कोर्ट ने कहा कि पवित्र कुरान 'तलाक' या 'खुला' की छूट देता है, लेकिन पति-पत्नी के बीच सुलह के सारे प्रयास विफल होने की दशा में ही इसकी अनुमति दी गई है।
- लोग अपनी सुविधा के लिए तीन तलाक के इस्लामिक कानून की व्याख्या कर उसे जायज ठहरा रहे हैं।
- कोर्ट ने यह भी कहा कि पर्सनल लॉ संविधान प्रदत्त अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकता।
- **मुस्लिम औरतों को निजी कानूनों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता**
  कोर्ट ने कहा कि पंथनिरपेक्ष देशों में संविधान के तहत आधुनिक कानून सामाजिक बदलाव लाते हैं। भारत में भी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लेकिन मुस्लिम औरतों को पुराने रीतिरिवाजों और सामाजिक मान्यताओं वाले निजी कानूनों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।
- **बिना ठोस कारण तलाक गलत : इलाहाबाद हाईकोर्ट**
  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिमों में बहुविवाह और तलाक से जुड़े मामलों की जटिलताओं सुनवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। अदालत ने कहा कि यदि पत्नी के व्यवहार या बुरे चरित्र के कारण वैवाहिक जीवन दुखमय हो गया हो तो पुरुष विवाह विच्छेद कर सकता है और इस्लाम में इसे सही माना गया है। किंतु बिना ठोस कारण के तलाक को धार्मिक या कानून की निगाह में सही नहीं ठहराया जा सकता। कई इस्लामिक देशों में पुरुष को कोर्ट में तलाक के कारण बताने पड़ते हैं, तभी तलाक मिल पाता है। ऐसे में तीन तलाक को सही नहीं माना जा सकता।

4. आदिवासी और पोषण

भारत में आदिवासी कुपोषण की चपेट में हैं। डाउन टू अर्थ पत्रिका के शोध कार्य बताते हैं कि कुपोषण के कारण बैगा, उरांव तथा संथालो में बौनेपन की समस्या बढ़ रही हैं। लगभग साठ फीसदी से आदिवासी अधिक बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं।

मध्य प्रदेश के जिलो में आदिवासियों में कुपोषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा हैं। कुपोषण के कारण मध्य प्रदेश को ' भारत का इथोपिया ' कहा जाता हैं। श्योपुर जिला इस समस्या से गंभीर रूप से पीड़ित हैं। इन

क्षेत्रो (श्योपुर, मंडला, सिवनी , अनूपपुर , अलीराजपुर , झाबुआ , बैतूल, बालाघाट) में किये गए शोध कार्यो से कुछ महत्वपूर्ण और रोचक निष्कर्ष प्राप्त होते हैं -

1.माताओ में कुपोषण , जन्म लेने वाले बच्चे में कुपोषण का मूल कारण हैं। आंकड़े बताते हैं कि बच्चे को जन्म देने के दो तीन दिन तक कुपोषण के कारण आदिवासी माओं में दूध का स्त्रवण नहीं होता हैं , यही से बच्चे के कुपोषण का चक्र शुरू हो जाता हैं , इसके बाद दूध की मात्रा कम होने से बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिलता। इसके साथ ही आदिवासी इलाको में " खुले में शौच " अधिक प्रचलित होने के कारण महामारियां अधिक फैलती हैं , जो बच्चे के विकास को शुरूआती समय में रोक कर आगे के लिए उसके शरीर को कमजोर बना देती हैं।

2. यह आश्चर्यजनक हैं कि जंगलो से जुड़े होने के बाद भी आदिवासियों में कुपोषण बढ़ रहा हैं। दरअसल हमारे विकास प्रक्रम में हमने आदिवासियों को वनों से दूर कर दिया हैं ; वन अधिकार अधिनियम में हमने आदिवासियों को अधिकार दिए तो हैं लेकिन वे उन्हें प्राप्त नहीं हुए हैं। आदिवासियों के वनों से दूर जाने और वनों के उपयोग करने को लेकर उनके अधिकारों , रोजमर्रा के कार्यो में हस्तक्षेप ने उनकी " खाद्य आदतों " को बदल दिया हैं।

3. " खाद्य आदतों में बदलाव " ही उनमे कुपोषण का मुख्य कारण हैं। आदिवासी अपने भोजन में हरी पत्तियो , जड़ो , कंद , कोदो , फूलो , शहद , मोटे अनाजो को शामिल करते हैं ; ये सभी अपेक्षाकृत अधिक पौष्टिक होते हैं। लेकिन अब देखने में आया हैं कि वनों से उनके अलगाव व उनके अधिकारों में हस्तक्षेप के कारण आदिवासियों को इस प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं। साथ ही उनकी आहार आदतों को ध्यान में रखे बिना " सार्वजानिक वितरण प्रणाली " से उन्हें गेहू , चावल जैसे कम पोषणीय पदार्थ दिए जाते हैं ; इससे उनकी आहार आदतों में अधिक पौष्टिक पदार्थो की जगह कम पौष्टिक पदार्थ आ गए हैं और यही उनमे बढ़ रहे कुपोषण का मूल कारण हैं।

4. हमारे पोषण कार्यक्रमो में आदिवासियों की " आहार आदतों " का ध्यान नहीं रखा गया हैं , इससे ये और अधिक असफल हो गयी हैं। हमारे कार्यक्रमो में अन्य समस्याओ (साफ़ सफाई , पूर्ति, भ्रष्टाचार आदि) के साथ साथ " आहार आदतों " का ध्यान न रखने की समस्या भी हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम " पोषण " देने की जगह मात्र " पेट भरने " वाला कानून हैं , इसमें पौष्टिक तत्वो दाल , मोटे अनाज आदि का ध्यान नहीं रखा गया हैं।

हमें समस्या से निपटने के लिए पहला - अपने पोषण कार्यक्रमो में " आहार आदतों " को ध्यान में रखना चाहिए। पौष्टिक तत्वो का समावेश करना चाहिए। दूसरा माताओ पर ध्यान देना होगा ; ये क्षेत्र कम लागत पर अधिक लाभ दे सकता हैं। तीसरा , खुले में शौच का निर्मूलन करना होगा। साथ ही हमें ये सभी पारंपरिक तरीको से करना होगा ताकि हमारे कदम आदिवासी की समस्याओ के साथ प्रभावी तरीके से निपट सके।

GENERAL STUDIES HINDI

5. हिंसा के कारण और उसमें सामाज की भूमिका

लैंगिक समानता की दृष्टि से राजधानी में कितनी जागरूकता:

निर्भया मामले के बाद ऐसा लगा कि देश बदल जाएगा लेकिन जो जहां था वह वहीं है। राजधानी बच्चे व महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं हैं। बस परिचर्चा और चिंता होती है कि इसके लिए भी हम सब जिम्मेदार हैं। क्योंकि जब घटना होती है तब सब जाकरूक हो जाते हैं लेकिन बाद में अमल नहीं होता है।

सामाजिक मानसिकता इन हिंसाओ के लिए कितनी जिम्मेदार है

वर्षो से महिलाओं को देखने के नजरिये में बदलाव जरूरी है। समाज में महिलाओं को अब भी उपभोग की वस्तु समझा जाता है। प्रतिरोध करने पर तरह तरह की बातें सामने आती हैं। इसलिए इस मानसिकता में बदलाव जरूरी है। इसमें गैर सरकारी संस्था तथा सरकारी संस्था सहित अन्य लोगों को भी सामने आना होगा। काउंसलिंग करनी होगी बढे स्तर पर | इसके लिए दैनिक व्यवहार में भी बदलाव लाना जरूरी है|

क्या है लैंगिक असमानता की मूल वजह

आज बच्चों के साथ जो हो रहा है उसमें लोगों की मानसिकता, पलायन और गरीबी एक बड़ा कारण है। क्योंकि मजदूर महिलाओं की मजबूरी है कि वह अपने बच्चों को छोड़कर काम पर जाएं। लड़कियां और असुरक्षित हैं। इसके लिए जागरूकता के अलावा एक मिली जुली मुहिम चलाने की जरूरत है। साथ ही न्यायिक प्रक्रिया पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तभी महिलाओं को समय से न्याय मिलेगा।
बच्चियों का यदि शोषण हो रहा है या परेशानी है तो उनको आगे आना होगा। लड़कियों को शिकायत करनी होगी और उनको अपनी समस्या बतानी होगी। इसके लिए सबको कार्यशाला करने की आवश्यकता है। कई बार तो छात्रओं को पता ही नहीं होता कि उनको शिकायत कैसे और कहां करनी है ताकि उनकी गोपनीयता भी बरकरार रहे।

Economy

1. अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सुगमता में भारत 102 वें स्थान पर

- डब्ल्यूईएफ और ग्लोबल एलायंस फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन की ग्लोबल इनेब्लिंग ट्रेड रिपोर्ट 2016 में व्यापार में सुगमता पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) की सूची में भारत ने चार पायदान के सुधार के साथ 102वां स्थान हासिल किया है|
- ब्रिक्स देशों में ब्राजील की रैंकिंग 97 से घटकर 110 पर रह गई जबकि रूस का स्थान 105 से घटकर 111 रह गया
- 136 देशों की इस सूची में सिंगापुर में शीर्ष पर है।

What was taken into consideration

- इस इंडैक्स में सीमा से बाहर वस्तुओं के मुक्त व्यापार और गंतव्य स्थान पर पहुंच के लिए विभिन्न देशों द्वारा किये गये उपायों पर गौर किया गया है।
- इसमें घरेलू और विदेशी बाजारों में पहुंच, सीमा प्रशासन, परिवहन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कारोबारी माहौल जैसे फैक्टरों पर ध्यान दिया गया है।

Remarks about India:

- भारत के बारे में कहा गया है कि घरेलू परिवहन, अपराध व चोरी, सीमा पर भ्रष्टाचार और आयात की पेचीदा प्रक्रिया के चलते आयात की लागत बढ़ने और देरी होने की समस्या सबसे प्रमुख है।
- लोकप्रिय धारणाओं के विपरीत भारत में बड़ी आबादी अंतरराष्ट्रीय व्यापार या ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा नहीं बन पाई है।

What is WEF

- स्विट्ज़रलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है।-
- स्विस अधिकारीयों द्वारा इसे एक निजी सार्वजनिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के- रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। इसका मिशन विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ ला कर वैशविक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय करना है।
- यह संस्था प्रबुद्ध मंडल की भी भूमिका निभाता है और अपने द्वारा किए गए अनुसंधानों पर आधारित रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है।
- यह सारी रिपोर्ट अधिकतर **प्रतिस्पर्धा,** वैश्विक जोखिम और परिदृश्य सोच से सम्बंधित होती हैं। प्रतिस्पर्धा टीम ने वैश्विक रिपोर्ट में विश्व भर में देशों के बीच प्रतिस्पर्धा के बारे में लिखा था और विश्व भर के सभी देशों में फैले परुष और नारी के बीच असमानता पर भी एक रिपोर्ट बनाई थी।

2. क्या surge pricing पर लगाम लगाने की जरुरत

What is surge pricing:

ज्यादा मांग वाले समय में अपनी सेवाओं का किराया बढ़ाना जिसे बाजार की भाषा में 'सर्ज प्राइसिंग' कहा जाता है। बढ़े हुए किराये की सर्ज प्राइसिंग व्यवस्था का इस्तेमाल विमानन और होटल क्षेत्र के अलावा रेलवे में भी पहले से होता रहा है।

क्यों इसका विरोध

सर्ज प्राइसिंग की धारणा को बुनियादी तौर पर शोषक और ग्राहकों के हितों के खिलाफ माना जाता है। जब उपभोगताओ को ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है |

Process of surge pricing:

- सर्ज प्राइसिंग एक संकेतक प्रणाली है जो मांग एवं आपूर्ति में अंतर की पहचान पर आधारित है।
- यह व्यवस्था इस सिद्धांत पर चलती है कि मांग को कम करने या आपूर्ति को बढ़ाने से ही हालात सुधर सकते हैं।
- किसी एक कैब के लिए अगर कई दावेदार हों तो किराया बढ़ाकर वहां मांग को कम किया जा सकता है। संभावित ग्राहकों को कैब बुकिंग के समय ही सर्ज प्राइसिंग के बारे में बता दिया जाता है। दरअसल मांग और आपूर्ति के बीच अंतर जितना अधिक होगा, सर्ज प्राइसिंग उतनी ही अधिक होगी। किराया बढऩे से उस कैब के लिए मांग कम हो जाती है और स्थिति साम्यावस्था में आ जाती है।

Balancing demand and supply

- किसी इलाके में आपूर्ति को बढ़ाने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है? जिस तरह संभावित ग्राहकों को मौजूदा कीमतों के बारे में बताया जाता है, उसी तरह कैब प्रदाताओं के पास भी किराये का क्षेत्रवार विवरण पहुंचता रहता है।
- ऐसे में अधिक मांग वाले इलाकों में आपूर्ति बढ़ाने के लिए कैब प्रदाता अपने ड्राइवरों को जाने का निर्देश देते हैं ताकि बढ़े हुए किराये का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। इस तरह मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन साधने में सर्ज प्राइसिंग की भूमिका अहम हो जाती है।

Is there chance of cheating by companies:?

संभावित ग्राहकों को किसी खास कंपनी की सेवा लेने के लिए ही बाध्य नहीं किया जाता है। लोगों के आने-जाने की सुविधाओं के लिए कैब सेवा प्रदाताओं के अलावा निजी टैक्सी ऑपरेटर, ऑटो, बस और अन्य परिवहन साधन भी मौजूद हैं। अगर कैब सेवा कंपनी सही किराया नीति नहीं रखती है तो उसे अपने ग्राहक अन्य साधनों के हाथों गंवाने पड़ सकते हैं।

कंपनियों को भी पता होता है कि किसी खास समय में एक जगह पर उसके ऐप का इस्तेमाल कर रहे सभी लोग उसके ग्राहक ही नहीं होंगे। अगर किराया ग्राहक की उम्मीद से बहुत अधिक हुआ तो वह कैब के बजाय अन्य साधनों का इस्तेमाल कर सकता है या फिर कुछ समय तक इंतजार कर सकता है। लेकिन अगर एक साथ कई ग्राहक इंतजार करने लगते हैं तो मांग में कमी आ जाती है और सर्ज प्राइसिंग भी काफी नीचे आ जाती है। सर्ज प्राइसिंग की अवधारणा का एक मकसद यह भी है।

GENERAL STUDIES HINDI

किराये की सर्ज प्राइसिंग न होने पर क्या होगा?

- उस स्थिति में कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि मांग और आपूर्ति में अंतर है।
- इसके अभाव में किसी खास जगह पर कैब का इंतजार कर रहे कुछ लोगों को ही गाड़ी मिल जाएगी जबकि अन्य लोग इंतजार ही करते रह जाएंगे।
- दरअसल सर्ज प्राइसिंग से यह पता चलता है कि कैब की आपूर्ति की तुलना में मांग कहीं अधिक है। ऊं
- चा किराया होने से संभावित ग्राहक कुछ समय तक इंतजार करने और कैब ड्राइवर उस इलाके का रुख करने के लिए सोचने लगते हैं। इससे मांग को नीचे लाने में मदद मिलती है। इससे कैब किराये में भी काफी कमी आती है।

अगर इस सर्ज प्राइसिंग नीति पर ही रोक लगा दिया जाए तो मांग आपूर्ति अंतराल की वास्तविक तस्वीर-का अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो जाएगा। अगर किराया सामान्य से पांच गुना है तो उससे पता चलता है कि उस जगह पर मांग आपूर्ति की तुलना मे◌ं काफी अधिक है। दोगुने किराये वाली स्थिति से कहीं अधिक बेहतर तरीके से पता चल सकता है कि कैब की भारी कमी है। अगर सर्ज प्राइसिंग पर रोक लगा दी जाए तो बाजार काफी धीमी गति से हालात पर प्रतिक्रिया देगा और स्थिति सामान्य होने में लंबा वक्त लगेगा।

Use of surge pricing other than auto and cab industry:

- सर्ज प्राइसिंग का मॉडल आपूर्ति की कमी से जूझ रहे विमानन और होटल जैसे क्षेत्रों में भी अपनाया जाता रहा है। लेकिन कैब कंपनियों की सर्ज प्राइसिंग ऐसी इकलौती ऐसी व्यवस्था है जिसके जरिये मांग के अनुपात में आपूर्ति सुधारने पर ध्यान दिया जाता है।
- रेलवे भी गतिशील किराया प्रणाली को अपनाने लगा है जिसमें मांग के आधार पर किराया तय किया जाता है। वैसे इन क्षेत्रों में आपूर्ति बढ़ाने की व्यवस्था नहीं होती है, केवल आपूर्ति को कीमतों के जरिये नियमित किया जाता है। इस तरह किरायों में बढ़ोतरी केवल प्रतिस्पद्र्धा के जरिये ही सीमित की जा सकती है लेकिन विमानन और रेलवे में इसकी काफी कमी है।

What benefit have been accrued from cab companies like Ola/ UBER

- कैब कंपनियों के आने का सबसे बड़ा फायदा किराया निर्धारण में हुआ है।
- कड़ी प्रतिस्पद्र्धा का सामना कर रही कंपनियों को नई तकनीक के साथ भी तालमेल बिठाकर चलना पड़ता है। इससे वे ग्राहकों को उनकी पसंद के मुताबिक सुविधाएं मुहैया करा पाने में सफल रहे हैं।
- सरकार भी कैब कंपनियों की आपूर्ति व्यवस्था में आने वाली अड़चनों को दूर करने में मददगार बन सकती है। अभी तक कैब वाहनों को परमिट देने पर कई तरह की रोक लगी हुई है। जहां तक किसी इलाके में कैब कंपनियों की संख्या सीमित करने के सुझाव की बात है तो उसमें खास दम नहीं दिखता है।
- इस तरह के व्यवधानों से सड़कों पर निजी गाडियों की ही संख्या बढ़ी है जिसने भीड़भाड़ और प्रदूषण बढ़ाने का ही काम किया है।

गतिशील किराया निर्धारण व्यवस्था पर लगाम लगाना अपने आप में प्रतिगामी कदम होगा और इससे सार्वजनिक परिवहन पर विपरीत असर पड़ेगा। इकलौती शर्त बस यह होनी चाहिए कि कैब कंपनियां अपने संभावित ग्राहकों को सर्ज प्राइसिंग के बारे में पूरी जानकारी दें।

3. कैशलेस की अड़चनें

नोटबंदी के समय नकली नोटों से छुटकारा मिलने, आतंकवादियों की फंडिंग रुकने और काले धन पर करारी चोट पहुंचने का दावा किया गया था लेकिन अब इस अभियान का केंद्र भारत को नकदी रहित-अर्थव्यवस्था बनाना हो गया है।

क्या है दिक्कते :

- **Infrastructure** :देश में नकदी-रहित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने वाला भौतिक ढांचा या कानूनी ढांचा नहीं होने जैसी अनेक खामियां हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक बैंकों की केवल 38 फीसदी शाखाएं ही ग्रामीण इलाकों में हैं। पिछली जुलाई तक हर पांच में से चार गांवों और हर तीन में से एक कस्बे में कोई बैंक नहीं हैं। पूरे देश के 593,000 गांवों के लिए केवल 120,000 बैंकिंग प्रतिनिधि हैं। यानी ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में रहने वाली 60 करोड़ से भी अधिक आबादी की बैंकों तक पहुंच नहीं है।
- **Banking Account:** इसी तरह 30 करोड़ से भी अधिक वयस्क आबादी के पास कोई बैंक खाता नहीं है। देश की करीब 94 फीसदी वयस्क आबादी के पास आधार कार्ड होने का अनुमान है। लेकिन 6 करोड़ वयस्क लोग अब भी ऐसे हैं जिनके पास बैंक खाते खुलवाने लायक कोई दस्तावेज नहीं हैं।
- **Electricity:** हालत यह है कि ग्रामीण इलाकों में सक्रिय बैंकों के लिए कोर बैंकिंग जैसा काम भी कर पाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बिजली आपूर्ति काफी अनियमित है। एटीएम के संचालन में भी इसी तरह की व्यावहारिक परेशानियां आती हैं।

- **Internet:** इंटरनेट कनेक्शन की हालत खराब होने से वहां ऑनलाइन लेनदेन काफी मुश्किल हो जाता है। प्रधानमंत्री नोटबंदी के बाद से ही लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि वे बैंकिंग सेवाओं के लिए अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में संचार घनत्व केवल 51 फीसदी होना यह संकेत दे देता है कि ग्रामीणों की एक बड़ी संख्या अब भी फोन से वंचित है। भारत में इस समय जो 90 करोड़ मोबाइल फोन हैं उनमें से 65 करोड़ तो फीचर फोन हैं और मोबाइल लेनदेन के लिए जरूरी स्मार्टफोन की श्रेणी में केवल 25 करोड़ फोन ही आते हैं। ग्रामीण इलाकों में स्मार्टफोन की पहुंच काफी कम होने से यूपीआई या मोबाइल वॉलेट के इस्तेमाल की संभावना ही खत्म हो जाती है। देश भर में करीब 35 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन हैं लेकिन उनमें भी शहरी क्षेत्र हावी हैं।
- **Lack of PoS:** व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्ड स्वाइप करने वाली पीओएस मशीनों की संख्या पूरे देश में केवल 14 लाख है और अधिकांशत शहरी इलाकों में ही उनका संकेंद्रण है। प्रति :10 लाख आबादी पर पीओएस मशीनों की संख्या केवल 693 है जो दुनिया में न्यूनतम पीओएस अनुपात में से एक है। चीन में यह अनुपात 4,000 और ब्राजील में 33,000 पीओएस प्रति 10 लाख है।
- **PoS and high cost**: जहां तक पेटीएम जैसे मोबाइल वॉलेट का सवाल है तो वे प्रत्येक लेनदेन पर 2 फीसदी का कमीशन वसूलते हैं। खास तौर पर छोटे कारोबारियों के लिए तो यह काफी महंगा सौदा होगा। भौतिक ढांचे में इन कमियों के साथ ही भारत के पास मजबूत डेटा सुरक्षा कानून भी नहीं है।
- **Cyber Security:** पिछले कुछ महीनों में ही ऑनलाइन डेटा चोरी करने के कई मामले सामने आ चुके हैं। डेटा प्राइवेसी कानून भी नहीं होने से यह खतरा बना हुआ है कि मोबाइल लेनदेन से हासिल डेटा को कंपनियां बाद में दूसरों को भी बेच सकती हैं।

Government measures:

सरकार इनमें से कुछ खामियों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। फीचर फोन पर भी बुनियादी बैंकिंग सेवाओं की सुविधा देने वाली यूएसएसडी तकनीक अपनाने के लिए सरकार मोबाइल कंपनियों पर काफी जोर डाल रही है। सरकार ने पीओएस मशीनों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को भी कम कर दिया है। नकदी रहित लेनदेन को बढ़ावा देने के तरीके सुझाने के लिए मुख्यमंत्रियों की एक-समिति भी बनाई गई है। इन उपायों से वह सवाल एक बार फिर उठ खड़ा होता है कि क्या सरकार नोटबंदी के पहले ऐसा नहीं कर सकती थी? सच तो यह है कि ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में नकदी-रहित लेनदेन अपनाने में खासा समय और भारी निवेश लगेगा।

GENERAL STUDIES HINDI

4. रेपो दर में बदलाव नहीं

रिजर्व बैंक ने उम्मीदों से उलट मौद्रिक नीति में कोई बदलाव नहीं किया है। माना जा रहा था कि इस बार रेपो दर में कुछ कटौती की जाएगी। ब्याज दरें कम करने की मांग काफी समय से की जा रही है। मगर रिजर्व बैंक ने इसमें कोई बदलाव करने का जोखिम उठाने से परहेज किया

क्या होता अगर रेपो रेट में कटौती की जाती तो

- रेपो दर में कटौती की जाती तो लोगों को कर्ज पर मासिक किश्तों का बोझ कुछ कम पड़ता।
- उद्योगजगत को अपने विस्तार में मदद मिलती।
- रेपो दरों में कटौती का लाभ सबसे अधिक कर्ज पर नए मकान, वाहन, घरेलू उपकरण खरीदने वाले लोगों को होता है। मगर इसके उलट उन लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है, जो बैंकों में अपना पैसा इसलिए जमा कराते हैं कि उसके बदले उन्हें ब्याज मिल सकेगा।

क्या कारण था अक्तूबर में रेपो दर में कटौती करने का

रिजर्व बैंक अक्तूबर में रेपो दर में पच्चीस आधार अंक की कटौती करने का साहस इसलिए कर सका कि महंगाई काबू में आती दिख रही थी। राजकोषीय घाटा नियंत्रण में आ रहा था। मानसून अच्छा रहने से जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान बेहतर होने का आकलन था

=>>**क्या होती है रेपो रेट (Repo RATE):**
★रेपो रेट वह दर होती है जिसपर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है। बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को लोन मुहैया कराते हैं। रेपो रेट कम होने का अर्थ है कि बैंक से मिलने वाले तमाम तरह के कर्ज सस्ते हो जाएंगे। मसलन, गृह ऋण, वाहन ऋण आदि।

=>>**रिवर्स रेपो रेट:**
★यह वह दर होती है जिसपर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। रिवर्स रेपो रेट बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है।

5. नोटबंदी और ग्रामीण भारत परिप्रेक्ष्य

हालांकि गांवों में 500 और 1000 की नोटों की तादाद शहरों की तुलना में कम थी लेकिन सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा आदि का भुगतान इन्हीं नोटों में होने के कारण आंकड़ा बढ़ गया था। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में मनरेगा के एक सप्ताह के काम का भुगतान 1002 रुपये होता है। ग्रामीण इलाकों की बड़ी आबादी के लिए आज भी बैंक जाना टेढी खीर है। बैंक औसतन किसी गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही होते हैं। ऐसे में बैंक जाने और घंटों वहां कतार में खड़े रहने की लागत करीब 50 रुपये रोजाना पड़ जाती है। इससे मेहनताने का नुकसान होता है।

कुछ ध्यान देने योग्य असर :

- एक मोटे अनुमान के मुताबिक एक ग्रामीण श्रमिक बैंक के चक्कर में करीब 200 रुपये रोजाना का नुकसान उठाता है। ग्रामीण इलाकों के बैंकों में कर्मचारियों की भी जबरदस्त कमी है। इसके चलते बैंक कर्मचारियों का लोगों के साथ व्यवहार भी खासा रुखा रहता है। इसमें नया कुछ नहीं है लेकिन विमुद्रीकरण के दौरान यह काफी बढ़ गया है।
- Information deficit : मुद्रा बदलने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जानी है उसे लेकर समुचित जानकारी हर जगह नहीं पहुंच पाई। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (स) और 4 (1) (द) कहती है कि सरकार को अहम नीतियां बनाते वक्त उस संबंध में सभी तथ्यों को समुचित प्रकाशित करना चाहिए और लोगों को प्रभावित करने वाले अपने कदमों के संबंध में पूरी जानकारी देनी चाहिए। लेकिन देश के ग्रामीण इलाकों में विमुद्रीकरण को लेकर आरबीआई के दिशानिर्देश सही ढंग से नहीं पहुंच सके।
- ग्रामीण बैंकों और डाक घरों को शहरों की तुलना में कम धन भी जारी किया गया। यहां तक कि जब आरबीआई ने अपने दिशानिर्देश में कहा कि 10,000 रुपये तक की राशि निकाली जा सकती है, तब भी कई जगह ग्रामीण बैंकों ने 2000 रुपये देना ही जारी रखा। कई ऐसे मामले भी हैं जहां असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को जबरदस्ती 500 और 1000 रुपये का भुगतान किया गया। उनसे कहा गया कि अगर उनको काम करना है तो इसी मुद्रा में भुगतान लेना होगा।
- पुराने नोटों को बदलने की कवायद ने अन्य बैंकिंग कामकाज को बुरी तरह प्रभावित किया। सारा ध्यान पुरानी नोटों को बदलने पर केंद्रित हो गया। छोटे और सीमांत किसान जो बैंकों से कर्ज लेते थे उन पर बुरा असर पडने लगा क्योंकि बैंकों में दूसरे कामकाज ठप हो गए। ऐसी परिस्थितियां इन किसानों को हमेशा के लिए खेती से दूर कर सकती हैं क्योंकि ऋण का नवीनीकरण न होने

से उनको दिक्कत हो रही है। सरकारी दिशानिर्देश कहते हैं कि जिन लोगों के पास बैंक खाते नहीं हैं और वे धनराशि जमा करना चाहते हैं तो वे नए खाते खोल सकते हैं। लेकिन ग्रामीण बैंकों में मौजूदा स्थिति में तो यह असंभव नजर आता है।

- मनरेगा के तहत मिलने वाले भुगतान में देश भर में देरी हो रही है। डाकघर नोट बदलने में लगे रहे हैं। बाद में यह भुगतान हो जाएगा लेकिन यह देरी श्रमिकों को बहुत भारी पड़ रही है। इस देरी का कोई हर्जाना भी नहीं मिलेगा।
- प्रवासी श्रमिक अपने घरों से दूर होने के कारण सबसे अधिक परेशान हैं। ऐसे श्रमिक अपने राशन कार्ड, आधार कार्ड और दस्तावेजों को बहुत अहम मानते हैं और शायद ही उनको साथ लेकर घूमते हों क्योंकि खो जाने का खतरा रहता है। लेकिन आरबीआई के दिशानिर्देशों के मुताबिक इन दस्तावेज के बगैर मुद्रा बदलना संभव ही नहीं था।
- Effect on family life: गांवों में कई घरेलू महिलाएं आपातकालीन परिस्थितियों के लिए पैसे बचाकर रखती हैं। इस पैसे के बारे में उनके पतियों को भी जानकारी नहीं होती। ऐसी तमाम रकम 500 और 1000 के नोट में है। खबरें आ रही हैं कि अब यह सच उजागर होने से पति पत्नी के बीच तनाव तक होने लगा है। पतियों को लग रहा है कि उनकी पत्नी ने पैसे क्यों छिपाए?
- ग्रामीण इलाकों की कई असंगठित आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाके में महिलाएं घरेलू खर्च से बचे पैसे की मदद से बच्चों के पोषण के लिए दाल आदि खरीदने का काम करती हैं। ये गतिविधियां अब मुश्किल में आ जाएंगी।

ग्रामीण भारत में लेनदेन का सबसे प्रमुख जरिया नकदी ही है। सरकार ने अचानक नोटबंदी का ध्येय कालेधन से बदलकर नकदी रहित अर्थव्यवस्था का निर्माण कर दिया। मौजूदा हालात में देश में नकदीरहित अर्थव्यवस्था की बात दिवास्वप्न है। ऐसा कदम उठाने के पहले कम से कम ग्रामीण इलाकों को अवसर दिया जाना चाहिए था जहां देश की अधिसंख्य आबादी रहती है।

6. भारत की GDP पहली बार ब्रिटेन से होगी अधिक,(कारण)

दुनिया में तेजी से अर्थव्यवस्था में शुमार भारत की जीडीपी जल्द ही ब्रिटेन को पार कर सकती है| विश्व प्रसिद्ध बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के अनुमान के मुताबिक, अगले साल भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पार कर जाएगी.

- कभी दुनिया के सबसे बड़े भूभाग पर राज करने वाले ब्रिटेन के पिछले 100 साल के इतिहास में यह पहली बार होगा, जब उसकी जीडीपी अपने उपनिवेश रहे भारत से कम हो जाएगी.
- अभी ब्रिटेन से सिर्फ 3 लाख करोड़ रुपये पीछे है भारत की जीडीपी
- फोर्ब्स में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि मौजूदा करेंसी रेट के हिसाब से भारत की जीडीपी 2.25 लाख करोड़ डॉलर यानी करीब 153 लाख करोड़ रुपये है.
- वहीं वर्तमान में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का आकार 2.31 लाख करोड़ डॉलर यानी 156 लाख करोड़ रुपये है. यानी भारत की जीडीपी अभी इंग्लैंड से सिर्फ 3 लाख करोड़ रुपये (1.9%) कम रह गई है.

कुछ समय पहले तक ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि जीडीपी के मामले में भारत वर्ष 2020 तक ब्रिटेन को पछाड़ देगा, लेकिन पिछले 25 वर्षों के दौरान भारत की तीव्र विकास दर के साथ यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के बाहर होने के बाद उभरी मुश्किलों को देखते हुए अब यह लक्ष्य तीन साल पहले ही 2017 में ही मुमकिन होता दिख रहा है.

=>>**वैश्वीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी**

इस वक्त वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में ब्रिटेन दुनिया की 5वीं और भारत 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है.

★भारत ने 1947 में आजादी हासिल करने के बाद से लेकर वर्ष 1991 तक ब्रिटेन के लगभग बराबर दर से जीडीपी विकास दर्ज किया. वहीं 1991 में वैश्वीकरण (खुले बाजार की नीति) अपनाने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार ब्रिटेन के मुकाबले काफी तेज रही.

ब्रिटेन को ब्रेग्जिट का नुकसान :-

- एक ओर भारत का विकास दर तेज बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन (ईयू) से अलग होने यानी 'ब्रेग्जिट' के बाद इंग्लैंड की स्थिति कमजोर हुई है.
- एक अनुमान के मुताबिक, भारतीय अर्थवस्था अगर 7% की दर से भी बढ़ती है, तो अगले साल के अंत तक जीडीपी 2.40 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगी. वहीं वर्ल्ड बैंक और दूसरी संस्थाओं का मानना है कि ब्रिटेन का विकास दर 1-2% तक रहेगी. इन अनुमान के अनुसार अगर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था 2% की दर से भी बढ़ती है, तो 2017 के अंत तक उसका आकार 2.35 लाख करोड़ डॉलर का होगा, जो कि भारत के अनुमानित जीडीपी से .05 लाख डॉलर कम रहेगा.

इसके अलावा **परचेजिंग पॉवर पैरिटी** (किसी देश की करंसी की खरीदने की कैपेसिटी) की आईएमएफ की रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है. इस रैंकिंग में चीन पहले और अमेरिका दूसरे नंबर पर हैं, जबकि ब्रिटेन का स्थान नौवां है.

7. निवेश संरक्षण संधियां (Bilateral investment treaty) के रद करने के निर्णय की समीक्षा

क्यों खबरों में

विदेशी निवेशक इस बात को लेकर काफी परेशान हैं कि यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों के साथ हुई द्विपक्षीय निवेश संरक्षण संधियों को भारत ने एकतरफा ढंग से निरस्त कर दिया है। दरअसल भारत ने 57 देशों को कह दिया है कि वह उनके साथ अपनी निवेश संरक्षण संधियों को निरस्त करने या नवीनीकरण नहीं करने जा रहा है।

हाल ही में FDI की तादाद भारत में

- पिछले दो वर्षों में भारत में होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) एफडीआई (में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2014-15 में एफडीआई प्रवाह 25 फीसदी बढ़कर 45 अरब डॉलर पर पहुंच गया। उसके अगले वित्त वर्ष में एफडीआई प्रवाह 22 फीसदी की तेजी हासिल करते हुए 55 अरब डॉलर के आंकड़े तक पहुंच गया।
- मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भी एफडीआई प्रवाह तेज रहा है लेकिन 19 फीसदी की वृद्धि दर तुलनात्मक रूप से कम लग सकती है। गत वित्त वर्ष की पहली छमाही में भारत में 24.4 अरब डॉलर का विदेशी निवेश हुआ था जो 2016-17 की समान अवधि में बढ़कर 29 अरब डॉलर हो गया है।
- विदेशी निवेश के मोर्चे पर एक और अहम प्रगति यह है कि कुल एफडीआई में पुनर्निवेशित अर्जन का हिस्सा लगातार कम हुआ है। दूसरे शब्दों में कहें तो अब भारत में एफडीआई की अधिक मात्रा या तो नए निवेश के रूप में आ रही है या वर्तमान कंपनियों में शेयरों का अधिग्रहण करके आ रही है।
- विदेशी निवेशकों के पुनर्निवेशित अर्जन की मात्रा चार साल पहले कुल एफडीआई का 28 फीसदी हुआ करती थी लेकिन आज यह मात्रा घटकर 18 फीसदी पर आ गई है।

भारत की और से नियमो की समीक्षा

- भारत की दुनिया के 25 अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि है जिसकी अवधि अगले साल खत्म हो रही है। भारत इन संधियों के विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा कर रहा है ताकि उन्हें निवेश संरक्षण समझौतों के नए नियमों के मुताबिक ढाला जा सके।
- भारत इन देशों के साथ नई निवेश संरक्षण संधियां करना चाहता है।

- इस तरह की संधि का एक आदर्श प्रारूप वर्ष 2015 में तैयार किया गया था जिसमें भारत की घरेलू निवेश नीतियों को वैश्विक निवेश परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की बात कही गई है।
- संधि के प्रारूप में इस बात के पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं कि विदेशी निवेशक किसी विवाद की स्थिति में मुआवजे के लिए भारत सरकार को अंतरराष्ट्रीय पंचाट में आसानी से न घसीट पाएं।

सरकार का तर्क नई निति के लिए

- सरकार का तर्क है कि भारत विदेशी निवेश के लिहाज से अब भी आकर्षक विकल्प बना हुआ है लिहाजा यह आशंका गलत है कि प्रस्तावित निवेश संरक्षण संधि से विदेशी निवेश बाधित होगा।
- सरकार का यह भी कहना है कि मौजूदा संधियों में निहित मध्यस्थता प्रक्रिया भारत या भारतीय पक्ष को लेकर प्राय पूर्वाग्रह ग्रस्त होती है। अधिकांश मौकों पर भारत को विवाद निपटान के : लिए बने मध्यस्थता मंचों पर मुंह की खानी पड़ी है।
- दरअसल ये मध्यस्थता मंच चुनींदा देशों के बंद समूह के रूप में काम करते हैं और फैसला करते समय भारत के पक्ष को गंभीरता से नहीं लिया जाता है।
- वैसे भारत इकलौता देश नहीं है जिसने एकतरफा ढंग से निवेश संरक्षण संधियों का रद्द कर दिया है। इसके पहले ब्राजील और इंडोनेशिया भी इसी तरह का कदम उठा चुके हैं। यहां तक कि कई विकासशील देशों ने भी इन संधियों को रद्द करने संबंधी भारत की मंशा पर अनुकूल राय जाहिर की है।

How developed world is looking this decision:

विकसित देशों को भारत का यह फैसला काफी नागवार गुजरा है। यूरोपीय संघ शिद्दत से चाहता है कि भारत के साथ एक विधिवत निवेश संरक्षण संधि की जाए। यूरोपीय संघ की इच्छा है कि भारत के साथ विदेश व्यापार समझौते को लेकर चल रही बातचीत में आधुनिक निवेश संरक्षण संधि के मुद्दे को तरजीह दी जाए और इस बारे में जल्द ही कोई फैसला कर लिया जाए।

- भारत सरकार की दलील है कि विदेशी निवेशक किसी गड़बड़ी की सूरत में भारतीय अदालतों का रुख कर सकते हैं लेकिन विदेशी निवेशकों को आश्वस्त करने के लिए यह नाकाफी है। भारतीय न्याय व्यवस्था काफी सुदृढ़ है लेकिन लंबित मामलों पर फैसला आने में लगने वाला लंबा वक्त विदेशी निवेशकों की चिंता बढ़ा रहा है।
- उनका मानना है कि अगर भारतीय अदालतों के भरोसे रहे तो देरी के चलते उनके कारोबार को काफी नुकसान हो सकता है।

What can be solution:

GENERAL STUDIES HINDI

- द्विपक्षीय निवेश संरक्षण संधियों को तभी निरस्त किया जाए जब इससे संबंधित नए समझौते को अंतिम रूप दे दिया जाए।
- निवेश संरक्षण कानून को लेकर रिक्तता की स्थिति होने पर निवेश की मंशा रखने वाले विदेशी निवेशक भी भड़क सकते हैं।
- संभव है कि ऐसी संधि की गैरमौजूदगी का बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर खास असर न पड़े लेकिन इससे अनिश्चितताओं में बढ़ोतरी हो सकती है। निवेश संरक्षण संधि न होने से मझोले और छोटे स्तर की विदेशी कंपनी भारत में निवेश करने से परहेज कर सकती है।
- भारत सरकार को इन मुद्दों पर यूरोपीय देशों और अन्य विकसित देशों से बातचीत करनी चाहिए ताकि विदेशी निवेशकों की चिंताओं को दूर करने के तरीके तलाशे जा सकें।
- एफडीआई का निर्बाध प्रवाह बने रहने के लिए विदेशी निवेशकों को आश्वस्त करना जरूरी है। भले ही
- भारत में एफडीआई के लिए माहौल अभी अनुकूल है लेकिन इसे बदलने में देर नहीं लगती है। इसके लिए आवश्यक है कि भारत सरकार विदेशी निवेशकों और उनके प्रतिनिधियों के साथ लगातार संपर्क कायम रखे और उनकी चिंताओं को दूर करे।

8. रतन वट्टल कमेटी ने की सिफारिशे '
कमिटी किसलिए

डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के तरीकों पर सुझाव देने के लिए

कमिटी के मुख्य सुझाव

- कमेटी ने डिजिटल पेमेंट्स को कैश की तरह आसान बनाने के लिए आधार और मोबाइल नंबर्स के अधिक इस्तेमाल पर जोर दिया है।
- कमेटी के मुताबिक, 'मोबाइल नंबर और आधार बेस्ड फुली इंटर-ऑपरेबल पेमेंट्स को प्रायॉरिटी दी जानी चाहिए।
- कमेटी ने पेमेंट्स के रेग्युलेशन को सेंट्रल बैंकिंग से अलग करने से जुड़ा एक सबसे महत्वपूर्ण सुझाव दिया है।

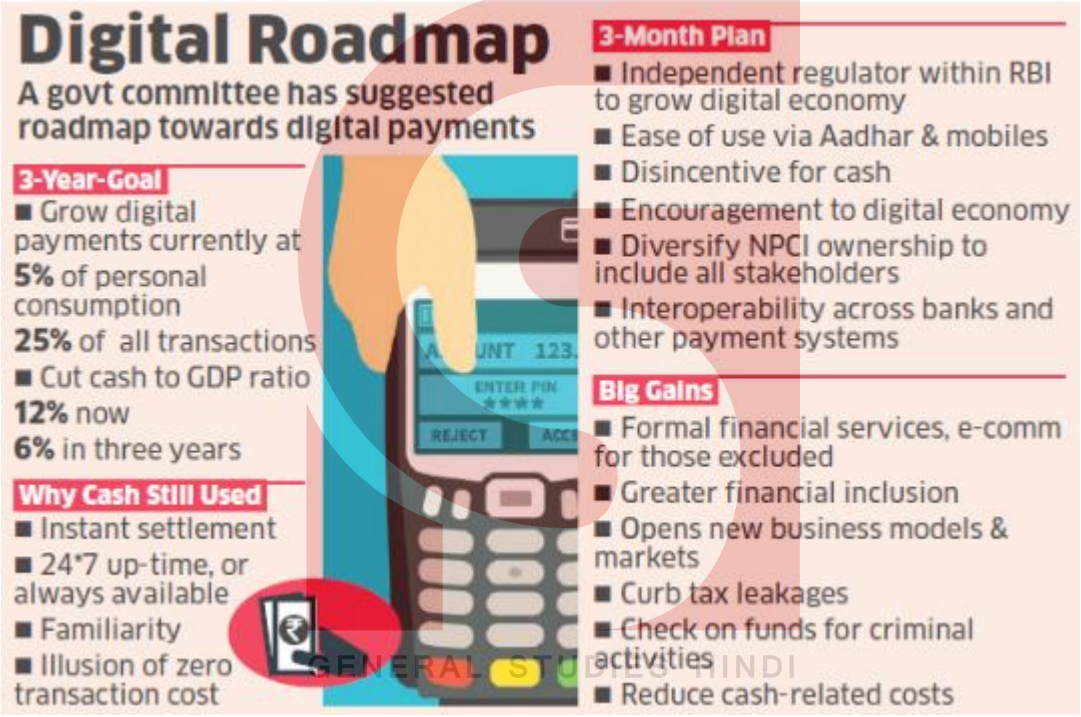

- कमेटी ने कुछ उपायों को लागू करने के लिए 30-90 दिनों की टाइमलाइन का सुझाव दिया है। कमिटी का मानना है कि इन उपायों से देश में कैश के इस्तेमाल में आधी कमी हो सकती है।
- कमेटी ने सेंट्रल बैंकिंग स्ट्रक्चर के अंदर एक इंडिपेंडेंट मेकनिजम बनाने के साथ ही पेमेंट और सेटलमेंट कानूनों में संशोधन करने का भी सुझाव दिया है।
- कमिटी का कहना है कि बोर्ड फॉर रेग्युलेशन ऐंड सेटलमेंट सिस्टम्स (BPSS) को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर स्वतंत्र कानूनी दर्जा दिया जा सकता है और इसका नाम पेमेंट्स रेग्युलेट्री बोर्ड किया जा सकता है। अभी यह RBI के सेंट्रल बोर्ड की एक सब-कमेटी के तौर पर काम करता है।
- कमेटी ने पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स ऐक्ट, 2007 में संशोधन करने की भी जरूरत बताई है।
- कमेटी ने एक फंड का प्रपोजल दिया है 'दीपायन', जो कैशलेस ट्रांजैक्शंस से होने वाली बचत से तैयार किया जाएगा। इसका इस्तेमाल डिजिटल पेमेंट्स का दायरा बढ़ाने के साथ ही डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों, सरकारी विभागों, जिलों और पंचायतों की रैंकिंग में किया जा सकता है।

- रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) और नैशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) को कॉस्ट बेनेफिट अनैलेसिस करने के बाद आउटसोर्स करने का भी सुझाव दिया गया है।

9. मध्यस्थता को अधिक प्रभावी बनाने के उपाय सुझाने के लिए श्रीकृष्णा समिति गठित किसलिए

- भारत को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनाने और वैकल्पिक विवाद निस्तारण प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए
- मध्यस्थता को अधिक प्रभावी बनाने के उपाय सुझाने के लिए

विस्तार से

- समिति की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी एन श्रीकृष्णा करेंगे।
- यह समिति 90 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

समिति को गठित करने के कारण

- वाणिज्यिक विवादों का तेजी से समाधान सुनिश्चित करने और विभिन्न समझौतों के तहत अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मध्यस्थताओं का कारगर संचालन सुगम बनाने के लिए मध्यस्थता तंत्र को तेज करने और देश में मध्यस्थता के माहौल को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न कारकों की पड़ताल करना जरूरी समझा गया है।
- भारत को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मध्यस्थता का केंद्र बनाने के लिए विशेष मुद्दों और उसके लिए जरूरी रोडमैप का परीक्षण करना भी महत्वपूर्ण है।
- मध्यस्थता पर विधायी और प्रशासनिक कदम ताकि अदालतों के हस्तक्षेप को कम किया जा सके, खर्च में कटौती की जा सके, तेजी से निस्तारण के लिए समय-सीमा तय की जा सके और मध्यस्थ की निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके और फैसलों को लागू किया जा सके।

Read more about arbitration (मध्यस्थता)@
http://gshindi.com/category/general-economics-international-affairs/arbitration-facing-major-challenges
http://gshindi.com/category/economics-international-affairs-hindu-analysis/BIT-of-protectionism-and-effect-on-india-0

Governance:

GENERAL STUDIES HINDI

1. नीतियाँ / कानून बनाने से पहले उसके नतीजो का सटीक आकलन भी जरूरी

प्रस्तावना :

शासन का हरेक अंगविधायिका -, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने फैसलों के संभावित नतीजों का अंदाजा लगा पाने में बुरी तरह नाकाम रहा है। इन फैसलों के जरिये जिस मकसद को हासिल करने की उम्मीद की जाती है, वे अक्सर वैधानिक रूप से अनुमानित नतीजे के रूप में पेश किए जाते हैं।

context

राष्ट्रगान पर उच्चताम न्यायालय का फैसला हो या सरकार की विमुद्रीकरण की नीती यह इन मामलों में विफल रही है | संसद और विधानसभाओं के साथ ही केंद्र और राज्य सरकारें भी प्रदत्त विधायन के जरिये कानून बनाने का काम करती हैं

क्यों होता है यह

ये संस्थाए कई बार कानून बनाते समय उसके संभावित नतीजों का अंदाजा लगाने में गलती कर जाते हैं। वास्तव में कानून के पीछे के मकसद को परिभाषित करना अपने आप में मुश्किल कार्य है। वे मूलत : निर्माण से-सहज ज्ञान पर भरोसा करते हैं। कानून**पहले विशेषज्ञों के साथ किसी तरह की चर्चा न होने** से स्थिति और भी खराब हो जाती है। इस तरह मनचाहे नतीजे का अंदाजा लगा पाना कानून लिखे जाने के समय से ही मुश्किल बना दिया जाता है।

न्यायपालिका और क़ानून : न्यायपालिका भी कभी कभी कानून बनाने की भूमिका में दिखाई देती है।- खास तौर पर जनहित याचिकाओं का निपटारा करते समय न्यायपालिका इस अंदाज में नजर आती है। हालांकि न्यायपालिका इस तरह का कोई फैसला सुनाने के पहले सीमित मात्रा में सलाह लेती है लेकिन **मकसद का अंदाजा लगाने में उससे भी कार्यपालिका और विधायिका** की तरह ही गलतियां होती हैं।

- जनहित याचिकाओं के माध्यम से कोई भी नागरिक अदालत से यह गुजारिश कर सकता है कि अमुक मामले में विधायिका और कार्यपालिका की तरफ से प्रभावी कदम नहीं उठाए जाने के बाद अब न्यायपालिका को स्पष्ट निर्देश देने चाहिए। न्यायपालिका के परहेज के बावजूद हाल के वर्षों में कई कानून अदालती फैसले से ही सामने आए हैं।
- अदालतों में मामला ले जाने वाले पक्ष उम्मीद करते हैं कि न्यायाधीश स्पष्ट समाधान दें। इसका नतीजा यह होता है कि कभी चुनाव का सामना नहीं करने वाले न्यायाधीश नीतिगत मसलों पर फैसले सुना देते हैं। इस तरह के फैसलों के पहले न्यायपालिका जिन लोगों से सलाह मशविरा- करती भी है वे समस्या के समाधान के लिए इच्छुक लोग ही होते हैं। इसके बावजूद अपनी सीमित क्षमताओं के चलते न्यायाधीशों के लिए मनचाहे नतीजे देने वाले तरीके अपनाना खासा मुश्किल हो जाता है।

क्या है आवश्यक

- विधि निर्माण के लिए जरूरी है कि जो व्यक्ति नीतिया या क़ानून बना रहा हो उसके पास सुव्यवस्थित वैचारिक क्षमता हो।
- समस्या को अच्छी तरह से परिभाषित करने के बाद उसके समाधान के लिए मौजूद सभी विकल्पों की अच्छी तरह से परख करनी होती है और उनमें से सबसे कारगर विकल्प को चुनना होता है।
- तमाम कानूनी साधनों की उनके संभावित लाभ के आधार पर तुलना कर पाना न्यायिक दक्षता का विषय न होकर प्रशासनिक प्रशिक्षण और नीतिगत पसंद का मामला है। वैसे इस मामले में भारतीय शासन के तीनों अंगों की अक्षमता सामने आती है। इससे भी बुरा यह है कि इच्छित परिणामों के आकलन के बगैर उस कानून की प्रभावोत्पादकता का अंदाजा लगा पाना भी संदिग्ध हो जाता है।
    - उदाहरांत: दिल्ली और आसपास के इलाके में भारी वाहनों के प्रवेश पर (एनसीआर) पर्यावरण शुल्क लगाने का फैसले | दिल्ली के भीतर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना इस कानून का मकसद था। ऐसी मान्यता थी कि प्रदूषण की एक बड़ी वजह गाडिय़ां ही हैं और उनके प्रवेश पर पर्यावरण शुल्क लगाने से प्रदूषण को कम किया जा सकता है। यह कानून पूरी तरह से अदालती फैसले से वजूद में आया था जिसे बाद में सरकार ने औपचारिक शक्ल दी। लेकिन इसके बाद भी दिल्ली को इस साल गहरी धुंध का सामना करना पड़ा है। खेतों में पुआल जलाने से लेकर दीवाली पर पटाखे जलाने से हुए प्रदूषण को भी इसकी वजह बताया गया। लेकिन किसी ने भी यह सवाल नहीं उठाया कि गाडिय़ों पर पर्यावरण शुल्क लगने के बाद भी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर कम क्यों नहीं हुआ?
    - इसी तरह फांसी की सजा को लेकर विधायिका में बना कानून भी अपना असली मकसद हासिल करने में नाकाम रहा है। दिसंबर 2012 में निर्भया सामूहिक बलात्कार कांड के

बाद दोषियों को मौत की सजा देने को लेकर देश भर में खूब प्रदर्शन हुए थे। सरकार ने भी लोगों की नया कानून बनाने की मांग तो मान ली लेकिन मौत की सजा वाले पहलू पर थोड़ा पीछे हट गई। संसद में बने नए कानून में यौन हिंसा की परिभाषा बदल दी गई और सजा के तौर पर मौत तक देने का नियम बना दिया गया। लेकिन उसके कुछ महीनों बाद ही मुंबई में शक्ति मिल गैंगरेप केस हो गया लेकिन नए कानून की प्रभावोत्पादकता को लेकर सवाल नहीं उठाए गए।

2. अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे के लिए एकल स्थायी टिब्यूनल

In news:

केंद्र सरकार ने सभी अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे के लिए एकल स्थायी टिब्यूनल के गठन का फैसला किया है।

- इस कदम का उद्देश्य राज्यों की शिकायतों को जल्द दूर करना है।
- टिब्यूनल के अलावा सरकार ने अंतरराज्यीय जल विवाद कानून, 1956 में संशोधन कर कुछ पीठ के गठन का भी प्रस्ताव किया है।
- एक स्थायी टिब्यूनल जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज करेंगे। जब कभी जरूरत होगी पीठ का गठन किया जाएगा। विवाद के हल के बाद पीठ को खत्म कर दिया जाएगा।'\
- पहले जल विवाद टिब्यूनल अंतिम फैसला देने में वर्षों लगा देते थे। जबकि, प्रस्तावित टिब्यूनल से तीन साल में फैसला होने की उम्मीद है

कहाँ- कहाँ विवाद :एक दर्जन विवाद कई राज्यों में तनाव के बने वजह

देश में करीब एक दर्जन नदियों के पानी को लेकर राज्यों में विवाद हैं। कई बार यह तनाव अतिसंवेदनशील हो जाते हैं और कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बन जाते हैं। हाल में कावेरी नदी के पानी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक में हिंसा इसके ताजा उदाहरण है।

★★पांच विवाद जिनपर न्यायाधिकरण कर रहा विचार

1. रावी ब्यास नदी विवाद

इन दोनों नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के बीच विवाद है। अप्रैल 1986 में इसके हल के लिए रावी-ब्यास न्यायाधिकरण का गठन किया गया। हाल में करार के तहत सतलुज-यमुना लिंक को लेकर पंजाब और हरियाणा में तनाव का माहौल है।

2. कावेरी जल विवाद

कर्नाट और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद दशकों को पुराना है। इसी के मद्देनजर 2 जून 1990 को केंद्र ने कवेरी जल विवाद प्राधिकरण का गठन किया। मामले में केरल और पुडुचेरी भी पक्षकार हैं। हाल में कर्नाटक स्थित मेटुर बांध से पानी छोड़ने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोनों राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुआ था।

3. वंशधारा नदी विवाद

वर्ष 2006 में ओडिशा ने वंशधारा नदी के जल को लेकर आंध्रप्रदेश की शिकायत केंद्र की और नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत न्यायाधिकरण बनाने की मांग की। इसी वर्ष केंद्र के हस्तक्षेप से दोनों राज्य 50-50 फीसदी जल बंटवारे पर सहमत हुए। केंद्रीय जल आयोग करता है निगरानी। स्थायी समाधान के लिए चर्चा जारी।

4. मांडवी नदी विवाद

जुलाई 2002 में गोवा ने मांडवी जल के बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक की शिकायत की। साथ ही मामले के हल के लिए न्यायाधिकरण के गठन की मांग की। सितंबर 2006 में गोवा ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 10 दिसंबर 2009 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मांडवी नदी जल न्यायाधिकरण को मंजूरी दी।

5. कृष्णा नदी विवाद

कृष्णा नदी के जल को लेकर 1969 में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रप्रदेश में विवाद पैदा हुआ। इसके मद्देनजर 10 अप्रैल को कृष्णा नदी बेसिन न्यायाधिकरण का गठन किया गया। 31 मई 1976 में न्यायाधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर तीनों राज्यों का कोटा तय किया गया। 2004 में दूसरे न्यायाधिकरण का गठन किया गया।

=>**इन नदियों पर भी रार**

1. इंदिरासागर (पोलावरम) परियोजना

1980 में गोदावरी जल प्राधिकरण ने आंध्र प्रदेश की ओर से नदी पर बनाए जाने वाले इंदिरासागर (पोलावरम) परियोजना को हरी झंडी दी। इसपर महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश , ओडिशा, कर्नाटक इसमें पक्षकार थे। ओडिशा इसे मुद्दे को 2007 में सुप्रीम कोर्ट लाया। छत्तीसगढ़ ने भी आपत्ति जताई। 2009 में आंध्र ने इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा देने की मांग केंद्र से की।

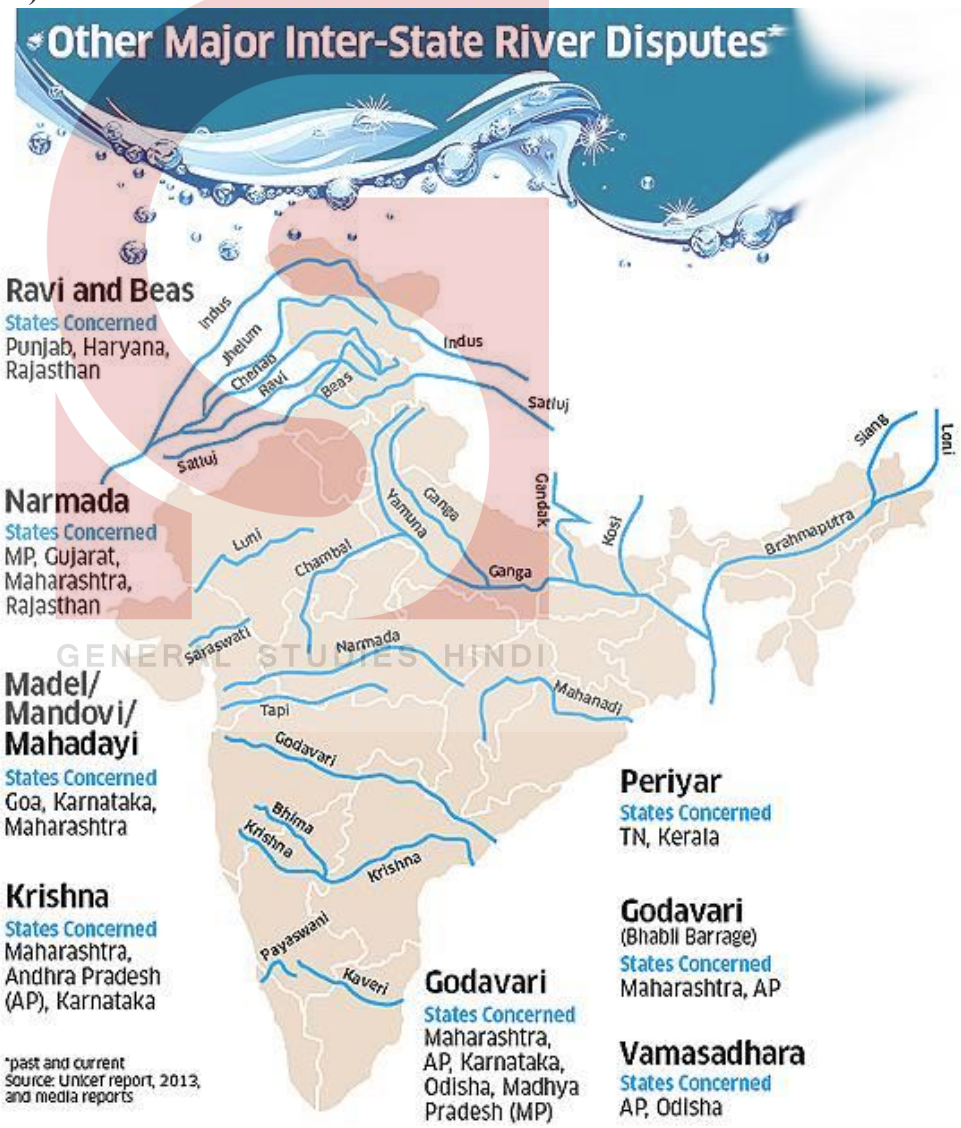

2. बाभली परियोजना

महाराष्ट्र गोदावरी नदी पर बाभली परियोजना के तहत बांध बनाना चाहता है। लेकिन 2005 में आंध्र प्रदेश ने इस पर आपत्ति दर्ज की और इसे गोदावरी नदी प्राधिकरण के आदेश का उल्लंघन करार दिया। 2006 में आंध्र प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक समिति गठित करने का आदेश दिया।

3. मुल्लापेरियार बांध
पेरियार नदी पर बने इस 110 साल पुराने बांध की ऊंचाई बढ़ाने पर तमिलनाडु और केरल में विवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में तमिलनाडु को जलस्तर 136 फीट से बढ़ाकर 142 फीट करने की इजाजत दे दी थी। लेकिन केरल ने ऐसा करने से रोक दिया। हालांकि, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने केरल के इस फैसले पर असंवैधानिक करार दे दिया।
4. **महानदी** पर छत्तीसगढ़ की ओर से 100 छोटे बड़े बांध का विरोध ओडिशा कर रहा
5. **माही नदी** के जल को लेकर गुजरात, मध्यप्रदेश और राजस्थान आपस में उलझे हैं
6. **यमुना** के जल बंटवारे पर उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में रार अलियार और भिवानी नदियों के पानी को लेकर तमिलनाडु और केरल में विवाद
7. **तुंगभद्र** नदी के पानी को लेकर आंध्र प्रदेश और कनार्टक के बीच में तनाव

3. नीति आयोग ने पेश किया 'health index '

क्या है यह :

- स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदर्शन पर आधारित एक सूचकांक
- इसका मकसद राज्यों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा परिणाम और डाटा संग्रहण प्रणालियों का उन्नयन करने के लिए प्रेरित करना है।
- इस सूचकांक से सामाजिक क्षेत्रों के ऐसे परिणामों में आवश्यक सुधार करने में मदद मिलेगी जो देश की आर्थिक वृद्धि के साथ गति बरकरार नहीं रख पाए हैं। इससे राज्यों को स्वास्थ्य क्षेत्र के परिणामों को सुधारने और डाटा संग्रहण को बेहतर करने के लिए प्रेरित करने में भी मदद मिलेगी। यह सूचकांक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर पेश किया गया है।

यह सूचकांक एतिहासिक प्रदर्शन पर नहीं होकर वृद्धिशील वार्षिक सुधारों पर आधारित होगा

will improve monitoring of health
इंडेक्स स्टेट लेवल पर परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से कर पाएगा। इसके साथ ही यह परफॉर्मेंस के आधार पर इंसेंटिव जारी करने के लिए भी एक अहम टूल बनेगा।

4. महानगरों में निजी वाहनों के पंजीकरण के लिए पार्किंग की उपलब्धता को अनिवार्य करने की कोशिश

GENERAL STUDIES HINDI

केंद्र सरकार ने महानगरों में निजी वाहनों के पंजीकरण के लिए पार्किंग की उपलब्धता को अनिवार्य करने का इरादा जताया है।

यह निर्णय क्यों

- बढाती जनसंख्या और शरो पर बढ़ते दबाव के कारण न केवल महानगरों, बल्कि अन्य शहरों और बस्तियों में भी अवैध पार्किंग विकराल समस्या की शक्ल अख्तियार करती जा रही है।
- बस्तियों, बाजारों और दफ्तरों के आसपास लोगबाग कहीं भी बेतरतीब ढंग से अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, सड़कें घिरती हैं और तमाम जगहों पर तो लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है।
- दुर्घटनाएं भी होती हैं। मुहल्लों-कॉलोनियों में तो हालत यह हो गई है कि सड़कों के दोनों तरफ कारों की टेढ़ी-मेढ़ी कतारें लगी रहती हैं, जो कई बार कहासुनी और मारपीट का सबब बन जाती है।

- पार्किंग को लेतकर झगड़े और रोडरेज की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। इन स्थितियों को देखते हुए अगर केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने पार्किंग की उपल्बधता होने पर ही वाहनों के पंजीकरण का प्रस्ताव किया है, तो यह स्वागतयोग्य है।-

दिल्ली का उदाहरण

सिर्फ दिल्ली में करीब 91 लाख वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें करीब तीस प्रतिशत कारें, साठ प्रतिशत मोटर साइकिलें और दो प्रतिशट आटो रिक्शा और टैक्सियां हैं। इसके अलावा हर साल करीब चार-पांच लाख वाहन दिल्ली की सड़कों पर और उतर जाते हैं।

एक सराहनीय कदम

- अगर सरकार अपने इरादे को अमल में लाती है तो गाड़ियों की अनाप-शनाप खरीद-फरोख्त पर भी रोक लगेगी।
- गाड़ियों का बढ़ता काफिला पर्यावरण के लिहाज से भी खतरनाक है। पर्यावरणविद तो बहुत पहले से और अब तो न्यायालय वाहनों को सीमित करने में ही भलाई देख रहे हैं।
- अभी तक हिमाचल ही ऐसा राज्य है, जहां वाहनों की खरीद के लिए पार्किंग की जगह होना अनिवार्य बनाया गया है। हालांकि यह राज्य सरकार के निर्णय के बजाय उच्च न्यायालय के दखल से हुआ। उच्च न्यायालय ने 2015 में अवैध पार्किंग की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए यह आदेश दिया था। इसके बाद राज्य सरकार को इस दिशा में नियमावली तैयार करनी पड़ी। आदेश के मुताबिक वाहन का पंजीकरण करने से पहले संबंधित थाने से पार्किंग उपलब्धता का प्रमाणपत्र लेना पड़ता है, इसके बाद ही वाहन का पंजीकरण होता है।

5. डेंगू चिकनगुनिया से निजात के लिए-क्या जरूरी

शहरों में डेंगू और चिकनगुनिया ने हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले रखा था । इनकी चपेट में आए लोग तेज बुखार, जोड़ों के दुखदायी दर्द और गहरी थकान से जूझ रहे थे। लेकिन बीमार लोगों के कामकाज छोड़कर घर बैठने की मजबूरी कहीं बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी क्योंकि चलने-फिरने में अक्षम हो जाने से लोग अपने रोजमर्रा के काम भी नहीं निपटा पा रहे हैथे जिससे उन्हें लंबे समय तक नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ रही । जो लोग दैनिक वेतनभोगी हैं उनके लिए तो हालत और भी बदतर थे । मच्छरों के काटने से फैलने वाली ये विषाणु-जनित बीमारियां यह बताती है कि हमारे शहरी परिवेश का भारी पैमाने पर कुप्रबंधन हमें कैसे बीमार बनाया ।

इसके कारक :

शहरों में चारों तरफ फैले हुए कूड़े-कचरे, धूल के ढेर : यह एक तथ्य है कि डेंगू और चिकनगुनिया मूलत :शहरी परिवेश की बीमारियां हैं। मलेरिया का वाहक मादा एनोफेलिस मच्छर जहां बहते हुए पानी में पैदा होता है वहीं डेंगू, चिकनगुनिया, पीत ज्वर और जीका वायरस का जन्मदाता एडिस एजिप्टी मच्छर ठहरे हुए साफ पानी में पैदा होता है। अध्ययनों से पता चला है कि एडिस एजिप्टी मच्छर के फैलाव के लिए शहरी इलाके अधिक अनुकूल होते हैं। इस मच्छर ने कृत्रिम प्रजनन आवासों के मुताबिक भी खुद को बेहतर ढाल लिया है। यहां तक कि बेकार पड़े टायर और मामूली पानी वाले ढक्कन में भी यह प्रजनन कर सकता है।

सघनता : शहरी क्षेत्रों में रोगों के विषाणु का फैलाव भी आसानी से हो सकता है। वैसे तो यह मच्छर केवल 100 मीटर के दायरे में ही घूम सकता है लेकिन उसके डंक का शिकार व्यक्ति तो एक बड़े क्षेत्र में भ्रमण करता है। संक्रमित व्यक्ति जब किसी दूसरे क्षेत्र में जाता है और वहां पर उसे कोई मच्छर काटता है तो वह भी इस विषाणु का वाहक बन जाता है। शहरी इलाकों में सघन आबादी होने से इन बीमारियों का फैलाव भी तेजी से होता है।

failure of process and system to detect : अधिकांश मामलों में बीमारी के लक्षण तो होते हैं लेकिन रक्त परीक्षण में उसकी पुष्टि नहीं होती है। कई लोग तो अस्पताल भी नहीं जाते हैं और न ही अपना मेडिकल टेस्ट करवाते हैं। ऐसे में हमें पता ही नहीं चल पाता है कि बीमारी की गंभीरता कितनी है? हम तो बीमारी की वजह के बारे में भी ठीक से नहीं जानते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि परीक्षणों के पर्याप्त संवेदनशील न होने या विषाणु के ताकतवर होने से ऐसा हो रहा है। डॉक्टर इस बात की भी आशंका जता रहे हैं कि कहीं यह कोई नया विषाणु ही न हो। उनकी नजर में तो यह एक रहस्य ही है।

क्यों यह मच्छर पनपते है : पारंपरिक तौर पर यही माना जाता रहा है कि यह केवल साफ पानी में प्रजनन करता है। इसी वजह से नगरपालिकाएं छतों पर बनी पानी की टंकियों और अन्य पानी के टैंकों पर अपना ध्यान केंद्रित करती रही हैं। लेकिन इस बात को नजरअंदाज किया जाता है कि यह मच्छर किसी भी जगह में पनप सकता है जहां अपेक्षाकृत साफ पानी जमा हुआ है। जलवायु परिवर्तन के साथ इसके किसी संबंध के बारे में भी कुछ साफ नहीं है। जलवायु परिवर्तन के चलते भारी बारिश की घटनाएं जोर पकडने लगी हैं और इसी तरह अधिक तेज धूप भी निकल रही है। इससे मच्छरों के प्रजनन के लिए हालात काफी अनुकूल हो जाते हैं। बेमौसम बारिश भी मच्छरों के प्रजनन काल को बढ़ाने का काम कर रही है। परन्तु हम इस मुलभुत तथ्य की ही अनदेखी कर रहे है और साफ़ सफाई पर बहुत ही कम ध्यान दे रहे है जिससे हर साल हमें इसे झेलना पड़ता है |

क्या छिड़काव full proof mechanism है :

अगर कीटनाशक दवाओं के छिड़काव से वयस्क मच्छर मर भी जाते हैं तो लार्वा पर वह बेअसर होगा। इसका मतलब है कि मच्छरों का प्रजनन चक्र जारी रहेगा और लोग परेशान होते रहेंगे।

क्या करना आवश्यक :

GENERAL STUDIES HINDI

- मच्छरों का प्रजनन रोकने के लिए जरूरी है कि उसके लिए अनुकूल परिवेश मुहैया करा रहे सभी कारकों को नष्ट किया जाए।
- इसके लिए हमें शहरों में बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाना होगा।
- हमने लंबे समय से अपने आसपास कचरे को जमा होने दिया है। उस आदत को सुधारना होगा
- व्यापक पैमाने पर सफाई होना हमारा इकलौता लक्ष्य होना चाहिए।

डेंगू और चिकनगुनिया शहरी भारत के लिए खौफनाक स्वप्न बन चुके हैं। जब तक हम जुनून की हद तक जाकर सफाई अभियान नहीं चलाएंगे, ये हमें दहशत में डालते रहेंगे।

6. भगदड़ में होती मौते उजागर करती शासन की कमजोरी

खबरों में :

केरल के सबरीमाला मंदिर में हुई भगदड़ में करीब चालीस लोग घायल हो गए, जिनमें से तीन की हालत गंभीर है।

बार बार होती यह घटनाए :

- कि भारत में भीड़ प्रबंधन के उत्तरदायी लोगों ने पुरानी घटनाओं से कोई सबक नहीं सीखा है।
- इसी मंदिर में 2011 के मकरज्योति आयोजन में भगदड़ से एक सौ चार श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी।
- केरल में ही इस साल अप्रैल में पुत्तिंगल मंदिर में भगदड़ मचने से कुचल कर सौ से अधिक लोग मारे गए थे।
- अभी लोग बीते अक्तूबर में वाराणसी में जयगुरुदेव के अनुयायियों की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में पंद्रह पच्चीस से ज्यादा लोगों की मौत को भूले नहीं हैं।

एक नजर आंकड़ो पर :

- एक अध्ययन के अनुसार में भारत में सन 2000 से अब तक करीब सवा चार हजार लोग भगदड़ में मारे गए हैं।
- के मुताबिक भारत में 'इंटरनेशनल जर्नल आफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन'79 फीसद दुर्घटनाएं धार्मिक आयोजनों में होती हैं, और ज्यादातर अफवाहों की वजह से। राजनीतिक रैलियों में भी लोग बम विस्फोटों और भगदड़ आदि में मारे गए हैं।

failure of governance :

- भारत में सार्वजनिक विशेषकर धार्मिक आयोजनों में हर साल ऐसी कई घटनाएं होती हैं और कुछ न कुछ लोग मारे जाते हैं। फिर भी न तो सरकारें भीड़ प्रबंधन को लेकर मुस्तैद नजर आती हैं न ही आयोजक संस्थाएं। दुर्घटनाओं, भगदड़ों और मौतों का एक लंबा सिलसिला है, जो दिल दहलाने वाला है। मरने वालों में अक्सर बच्चों और महिलाओं की तादाद ज्यादा होती है।
- सरकारी जिम्मेदारी का आलम यह है कि 1999 में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय ने एक समिति का गठन कर देश भर के धार्मिक स्थलों के मद्देनजर साल भर के भीतर एक रिपोर्ट देने को कहा था। उस समिति और उस रिपोर्ट का अता पता नहीं चला।-
- जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो संबंधित राज्य सरकार किसी छोटेमोटे अधिकारी को नि-लंबित कर देती है। जांच बिठा दी जाती है। धीरे धीरे मामला खत्म हो जाता है। लेकिन हादसे जारी-रहते हैं। ऐसी दुर्घटनाओं में ज्यादा लोगों के मरने का एक बड़ा कारण कारगर आपदा प्रबंधन का न होना भी है।

GENERAL STUDIES HINDI

why such incidents :

धार्मिक आयोजन हो या कोई और, कहने के लिए प्रशासन को आने वालों की तादाद की मोटा मोटी-जानकारी दी जाती है या प्रशासन परंपरागत धार्मिक पर्वों, उत्सवों या स्नानों आदि पर खुद ही एक अनुमानित आंकड़ा रखता है। इसके बावजूद दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि:भीड़ को नियंत्रित करने का कोई कारगर उपाय प्रशासनिक अमले के पास प्राय नहीं होता। :

क्या उपाय लेने की जरुरत :

- किसी धार्मिक अयोजन पर रोक लगाना संभव नहीं है, लेकिन इतना तो किया ही जा सकता है कि एक वक्त पर एक ही जगह निर्धारित सीमा से ज्यादा लोग एकत्र न हो सकें।
- प्रवेश और निकास के रास्ते अलगअलग हों। पर्याप्त प्रकाश क-ा प्रबंध हो। ऐसी जगहों पर पेयजल, दवाई और आपातचिकित्सा आदि की व्यवस्था भी जरूर होनी चाहिए।
- अनहोनी की सूरत में लोग घायल पड़े चीखते-चिल्लाते रहते हैं। लेकिन कोई उन्हें देखने-सुनने वाला नहीं होता।
- यह जरूरी है कि भीड़ पर पैनी निगरानी हो, अफवाहों की काट व उपयोगी सूचनाओं के प्रसार की मुकम्मल व्यवस्था हो और राहत तैयारी रखी-बचाव आदि की युद्धस्तर पर पूर्व-साथ आयोजकों की भी हो।-जाए। और इस सब की जवाबदेही प्रशासन के साथ

6. निर्भया के चार साल और स्टाफ की कमी से झुझती पुलिस

निर्भया की मौत को चार साल पूरे हो चुके हैं| इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया |और विडम्बना की बात यह है कि इसी 15 दिसंबर को दिल्ली से फिर एक बलात्कार की खबर आई जिसने एक बार यह साबित किया कि पुलिस पूरी क्षमता के साथ गश्त |नहीं कर रही है (पेट्रोलिंग)

पुलिस की शिकायत :

- दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसके पास ड्राइवरों और अन्य स्टाफ की काफी कमी है |इससे गश्ती दल अपनी क्षमता के दो-तिहाई के बराबर भी गश्त नहीं कर पाता.
- महिला जवानों की भी कमी है .यानी गश्त के लिए जाने वाले हर वाहन) खास तौर पर आपात प्रतिक्रिया वाहन (में महिला सिपाहियों की तैनाती भी नहीं हो पाती जबकि बलात्कार जैसे मामलों की सूचना मिलने के बाद मौके पर जाते समय पुलिस दल के साथ महिला सिपाही होनी ही चाहिए.

क्या कमियाँ है अभी भी मौजूद पुलिस प्रशासन में

- पेट्रोल वैन हैं, लेकिन ड्राइवर नहीं:
  - 2012 में 16 दिसंबर को हुई सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद (निर्भया कांड) पेट्रोलिंग के लिए370 वाहन मंजूर किए गए थे लेकिन इन्हें चलाने के लिए ड्राइवर ही . '.नहीं हैं|
  - इन नए वाहनों के शामिल होने के साथ पुलिस बल के पास वाहनों की कुल संख्या बढ़कर 1,000 के आसपास पहुंच चुकी हैइनमें वे वाहन शामिल नहीं हैं ., जो रखरखाव या सुधार कार्यों के लिए खड़े हैं या फिर लगभग 820 वे वाहन जो कबाड़ होने की स्थिति में आ चुके हैं यानी सिर्फ सड़क पर दौड़ने के लिए फिट .1,000 वाहनों को गश्त के लिहाज से 24 घंटे चलाने के लिए पुलिस को लगभग 3,400 ड्राइवरों की जरूरत है लेकिन उसके . पास यह अमला सिर्फ2,200 की संख्या में ही है.
- **अपर्याप्त महिला सिपाही** पुलिस के आपातकालीन 100 नंबर पर जैसे ही किसी घटना-दुर्घटना की सूचना आती है, सबसे पहले गश्ती वाहन ही मौके पर पहुंचता है ऐसे में हर वाहन . में कम से कम एक महिलासिपाही का होना आवश्यक है खासतौर पर अगर घटना दुष्कर्म या . महिलाओं के शारीरिक शोषण से संबंधित हो, तब तो यह और जरूरी हो जाता है क्योंकि महिला सिपाही से अपनी तकलीफ बताने में महिलाओं को स्वाभाविक रूप से आसानी हो जाती है . इसके बावजूद आंकड़े बताते हैं कि2014 तक पुलिस के गश्ती नेटवर्क के साथ सिर्फ 43 महिला अफसरों की ही तैनाती हुई थी अफसरों की तैनाती के बाद/कुछ और महिला सिपाही . फिलहाल यह आंकड़ा240 के करीब है.

स्टाफ की कमी से पुलिस की हर इकाई को दिक्कत उठानी पड़ रही है और नतीजा वाही दुर्बल व्यवस्था जो महिलाओं के प्रति अपराध रोकने में नाकामयाब रह रही है

Miscellaneous:

1. प्रख्यात पर्यावरणविद् और गांधीवादी अनुपम मिश्र का निधन

प्रख्यात पर्यावरणविद और गांधीवादी अनुपम मिश्र (68 वर्ष) का निधन हो गया है। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अंतिम सांस ली. अनुमप मिश्र लगभग एक साल से कैंसर की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे.

- अनुपम मिश्र गांधी शांति प्रतिष्ठान के ट्रस्टी थे इसके अलावा उन्होंने भाषा और पर्यावरण के लिए खूब काम किया. उनका कोई घर नहीं है वह गांधी शांति फाउंडेशन में ही रहे उनके पिता भवानी प्रसाद मिश्र कवि थे.
- मिश्र को उनके काम के लिए कई पुरस्कार भी मिले थे जिनमें गांधी राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार, जमना लाल बजाज पुरस्कार समेत कई ऐसे पुरस्कार थे जिनसे उन्हें नवाज गया था.

उनकी कई किताबें भी खूब प्रचलित हैं जिनमें जल संरक्षण पर लिखी गई उनकी किताब '**आज भी खरे हैं तालाब**'. इस किताब का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ इसे लोगों ने खूब पढ़ा और इसकी लाखों कॉपियां बिकी उनकी अन्य चर्चित किताबों में 'राजस्थान की रजत बूंदें' और 'हमारा पर्यावरण' है. '

हमारा पर्यावरण' देश में पर्यावरण पर लिखी गई एकमात्र किताब है. अनुपम मिश्र कई कारणों से याद आयेंगे लेकिन पर्वारण की दिशा में उनका काम मिल का पत्थर है. वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने देश में पर्यावरण पर काम शुरू किया था जिस वक्त उन्होंने काम शुरू किया था उस वक्त सरकार का पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं था औऱ ना ही इसका कोई विभाग बना था.

2. सार्वजनिक स्थल पर कचरा फेंकने वालों पर 10 हजार रुपये जुर्माना

GENERAL STUDIES HINDI

क्यों खबरों में

नेशनल ग्रीन टिब्यूनल ने (एनजीटी)सार्वजनिक स्थल पर कचरा फेंकने वालों पर 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया है

क्या कहा NGTने:

- एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कानून, 2016 के तहत सभी निकायों की जिम्मेदारी है कि कचरा उठाकर उसे ठिकाने लगाया जाए।

- पीठ ने निगमों के आयुक्तों को निर्देश दिया कि वे एक माह में योजना बनाकर पेश करें। इसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि जो लोग कचरे को अलगअलग करके निगमों को सौंप रहे हैं-, उन्हें किस

तरह प्रोत्साहित किया जाएगा। पीठ ने पूछा कि क्या ऐसे लोगों को संपत्ति कर में छूट मिल सकती है?

- जो लोग कचरा अलगअलग करके नहीं दे रहे हैं-, उनको सजा देने पर विचार किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि यह बात साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए कि प्रदूषण फैलाने वाले को हर्जाना भरना पड़ेगा। अगर कचरा निकल रहा है, तो संबंधित व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि उसका उचित ढंग से निपटान किया जाए। पूरा बोझ सरकार या प्रशासन पर नहीं डाला जा सकता। पीठ ने यह निर्देश दिल्ली में लैंडफिल साइटों के आस पास की स्थिति के संबंध में दायर एक याचिका पर- दिया।

3. साहित्य अकादमी पुरस्कार: २०१६

- साहित्य अकादमी ने 24 भारतीय भाषाओं के रचनाकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की।
- आठ कविता संग्रह, सात कहानी संग्रह, पांच उपन्यास, दो समालोचना, एक निबंध संग्रह और एक नाटक का पुरस्कार के लिए चयन किया गया है
- प्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा को हिंदी में उनकी कृति के लिए अकादमी पुरस्कार 'पारिजात' से नवाजा गया है।

4. कवि शंख घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार

- बांग्ला भाषा के मशहूर कवि शंख घोष को वर्ष 2016 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है।
- घोष की प्रमुख रचनाओं में आदिम लता-गुलमोमी, मुर्खा बारो, सामाजिक नाय, कबीर अभिप्राय, मुख धेके जाय बिग्यपाने और बाबर प्रार्थना आदि शामिल हैं। उनकी दिनगुली रातगुली और निहिता पातालछाया आधुनिक कविता की पूरी पीढ़ी को प्रेरणा प्रदान करती हैं।

ज्ञानपीठ पुरस्कार

भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है|

GENERAL STUDIES HINDI

किसको दिया जाता है ?

भारत का कोई भी नागरिक जो आठवीं अनुसूची में बताई गई २२ भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो इस पुरस्कार के योग्य है।

5.digital लेनदेन के लिए 'भीम' ऐप

- प्रधानमंत्री ने नया पेमेंट ऐप भीम) BHIM या Bharat Interface for Money) लॉन्च किया है।
- ऐप का नाम डॉक्टर भीम राव अंबेडर के नाम पर रखा गया है।
- सरकार ने यह ऐप कैशलेस या लेस-कैश इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की है।
- भीम ऐप सरकार के पुराने यूपीआई) यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (और यूएसएसडी) अस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा (का ही नवीनीकृत रूप है।
- भीम के जरिए भुगतान करने या प्राप्त करने पर कोई चार्ज नहीं लगता हैहां ., बैंक यूपीआई या आईएमपीएस ट्रांसफर के नाम पर बहुत ही कम शुल्क चार्ज कर सकता है

- भीम ऐप अभी एंड्रवायड वर्जन)8 और इससे ऊपर वर्जन) और आईओएस (5 और इससे ऊपर (.से लैस मोबाइलों में डाउनलोड किया जा सकता है

GENERAL STUDIES HINDI